खण्ड-196, अंक-9
गुरूवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1880
(21 अगस्त, 1958 ई0)

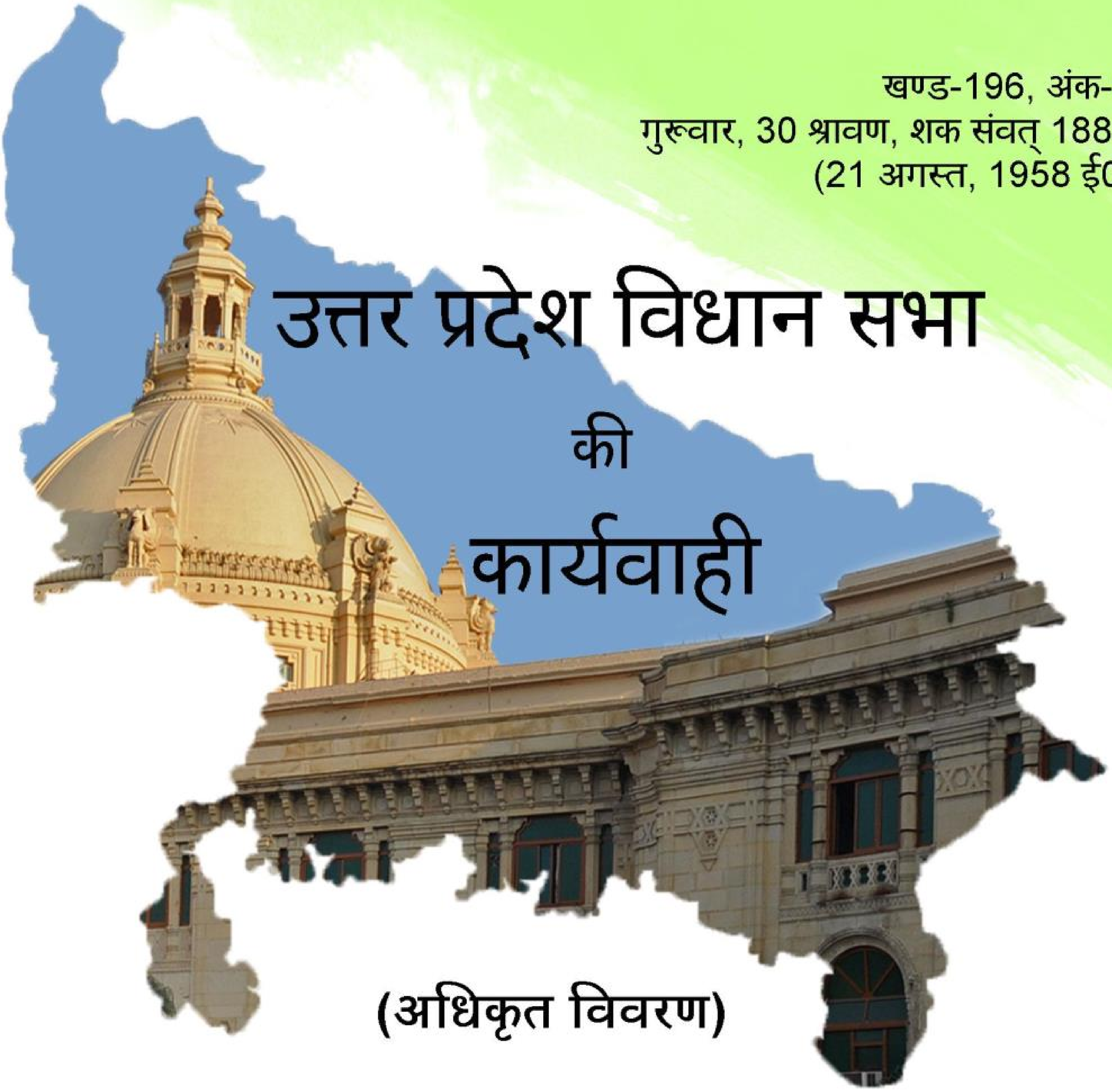

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद बर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवतार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

रामसूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुखन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति तथा आयुर्वेद शिक्षा संबंधी डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

**१--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य) --पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति किये जाने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स के संशोधन की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**२--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेद की शिक्षा के सम्बन्ध में डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमटी की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--केवल एक प्रति† प्राप्त हुई है जो माननीय अध्यक्ष की मेज पर रख दी गई है।

**३--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार कृपया बतायगी कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की क्या-क्या योजना है और कितना अंश तुरन्त कार्यान्वित होने जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कमेटी द्वारा प्रस्तुत पंचवर्षीय 'आयुर्वेदाचार्य' उपाधि पाठ्यक्रम (Syllabus) को तुरन्त चलाने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् को लिखा गया है। इन विश्वविद्यालयों से अभी कोई उत्तर नहीं आया है।

अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये शासन भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा उप संचालक (आयुर्वेद) से पत्र-व्यवहार कर रहा है और उन सिफारिशों को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर शीघ्र लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार बतलायेगी कि जिस प्रकार से वर्तमान प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई उसी तरह से दूसरे प्रिंसिपल की नियुक्ति करने में क्या कठिनाई है ?

---

† प्रति छापी नहीं गयी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---बेहतर से बेहतर तरीका हम अख्तियार करना चाहते हैं जिसमें किसी को कोई शिकायत न हो।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिस प्रकार वह अध्यापकों की नियुक्ति नियमों को न मानकर कर रही है उसी प्रकार प्रिंसिपल की नियुक्ति विशेष परिस्थिति में करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नियम के खिलाफ मैं कोई बात करना चाहता नहीं।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्रिंसिपल की नियुक्ति में इतना विलम्ब क्यों हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स में यह लिखा हुआ है कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स में ही चुनाव करना चाहिये प्रिंसिपल का। हमारे हेड आफ दी डिपार्टमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनको हम इस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिये योग्य समझें, लिहाजा यूनिवर्सिटी से कहा गया कि उस स्टेट्यूट को अमेंड कर दिया जाय। वहां की यूनिवर्सिटी कोर्ट ने जब रिफ्यूज कर दिया तो ला डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया। आज एक्सट्रा आर्डिनरी गजट में नोटिफिकेशन निकल गया है, इस वजह से देरी हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गयी है, तो उसमें से कृपा करके आप देख लें। वह बड़ी रिपोर्ट है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि इतने दिनों प्रिंसिपल के न रहने पर उनके स्थान पर कौन सज्जन कार्य करते रहे और उनकी योग्यता क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- हमारे डिप्टी डाइरेक्टर आफिशियेट करते रहे। योग्यता क्या है उसकी फेहरिस्त मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री जब नियम विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं तो कुछ अध्यापक कैसे वहां नियम विरुद्ध नियुक्त किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस वक्त एमरजेन्सी में कर दिये गये होंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य---सरकार ने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि देने का निश्चय किया है। तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो संस्थायें केवल परीक्षा शुल्क लेकर के आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्रदान करती हैं ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का निश्चय सरकार ने किया है?

श्री अध्यक्ष---यह सब पूरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में एकाध बात उसमें से निकाल के यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिये आपको स्वतंत्र प्रश्न करना पड़ेगा।

श्री गौरीशंकर राय---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो सज्जन आचार्य के पद पर आफिशियेट करते थे उनमें निर्धारित योग्यता जो कम से कम प्रिंसिपल के लिए होनी चाहिए वह है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह फेहरिस्त उनकी योग्यता की मेरे पास नहीं है। इसलिए बताना मेरे लिये कठिन है।

तारांकित प्रश्न

मैट्रिकुलेट रोडवेज कण्डक्टरों के वेतन में वृद्धि

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने प्रदेश के रोडवेज कन्डक्टरों के, जो हाई स्कूल पास हैं, वेतन में १९५७ से कुछ बढ़ोत्तरी की है ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--यह बढ़ोत्तरी १ फरवरी, १९५८ से की गई है।

*२--श्री मुक्तिनाथराय--यदि हां, तो कितनी और वह बढ़ोत्तरी वेतन उन्हें कब से मिलने लगेगा ?

डाक्टर सीताराम--ग्रामीण बस सर्विस के कण्डक्टरों के लिये निर्धारित वेतन क्रम ४०--३--७० रुपये प्रतिमाह तथा सिटी बस सर्विस के कण्डक्टरों के लिये निर्धारित वेतन क्रम ४५--२--६५--प्र० अ०--३--८० रुपये प्रति माह के स्थान पर अब हाई स्कूल पास कण्डक्टरों को ६०--४--८०--प्र० अ०--४--१०० प्रति माह का वेतन क्रम १ फरवरी, १९५८ से दिया जा रहा है।

श्री मुक्तिनाथराय--परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय कण्डक्टरों के जो एप्वाइंटमेंट किये जाते हैं उनमें और पहले से जो काम कर रहे हैं, उनके वेतन में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--यह तो पहले प्रश्नोत्तर में बतला ही दिया गया है कि जो हाई स्कूल पास हैं चाहे पहले के हों या बाद के उनका वेतन ६० से १०० तक का है और जो नान-मैट्रिकुलेट हैं उनका वेतनक्रम भी बतला दिया गया है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या यह सच है कि कुछ कण्डक्टरों से क्लीनर की भी ड्यूटी ली जाती है और यह वही हैं जिनको आज के कण्डक्टरों से कम वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो इस डिस्पैरिटी का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--कुछ क्लीनर कण्डक्टर का अवश्य काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले वह क्लीनर का काम कर लेते हैं तो बाद को धीरे-धीरे उनको कण्डक्टर बनाया जाता है, इसलिए वह क्लीनर-कण्डक्टर कहलाते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो १ फरवरी से आदेश वेतन क्रमों में लागू किया गया है वह नैनीताल और अल्मोड़े में अभी तक लागू नहीं है ?

डाक्टर सीताराम--यह प्रान्त के सब जिलों में लागू है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब हर प्रकार के कण्डक्टरों का नेचर आफ वर्क एक ही है तो उनके पेमेंट में फर्क क्यों है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कण्डक्टर और क्लीनर की पोस्ट अलग-अलग है ?

डाक्टर सीताराम--पोस्ट तो जरूर अलग-अलग हैं, लेकिन देखा गया और पहले जो क्लीनर कण्डक्टर का काम करने योग्य हैं उनको क्लीनर की पोस्ट से कंडक्टर की पोस्ट पर एप्वाइन्ट किया गया।

*३--श्री मक्तिनाथराय--[हटा दिया गया।]

*४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[हटा दिया गया।]

*५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

कौशाम्बी में खोज सम्बन्धी कार्य

*६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौशाम्बी के स्थान की खोज का कार्य वह कब से और किसकी देखभाल में करा रही है तथा उसका अभी तक क्या परिणाम निकला ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--कौशाम्बी में खोज सम्बन्धी कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के संचालन में सन् १९४९ से हो रहा है। इसके फलस्वरूप भारत वर्ष के ईसा पूर्व १,००० वर्ष तक के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।

*७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खोज के सम्बन्ध में उसके पास कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है ? यदि हां, तो क्या वह कृपया उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी केवल संक्षिप्त रिपोर्ट आई है, जिसको संक्षिप्त करना कठिन होगा।

*८--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्य में अभी तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- इस कार्य में अभी तक १,७९,४२८.५३ रुपये व्यय हुआ है जिसमें से प्रादेशिक सरकार ने १,७४,४२८.५३ रुपये का अनुदान दिया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम-- माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि खोज सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब तक कौशाम्बी में खुदाई में चीजें मिलती रहेंगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने कोई रिपोर्ट इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो क्या उसको वह प्रकाशित व प्रसारित कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केन्द्रीय सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है, हमने कोई रिपोर्ट भेजी नहीं।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी कुशीनगर की खुदाई को पूरा करने के लिये इस विभाग द्वारा प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं माननीय प्रश्नकर्ता को कुछ भ्रम हो रहा है। यह सब काम प्रादेशिक सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रयाग विश्वविद्यालय को खुद शौक हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से काम किया। उन्होंने स्वयं केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी क्योंकि वह चीज उनके अधीन थी। हमने केवल उनकी रुपये पैसे से मदद की। इस वक्त प्रादेशिक सरकार के पास पैसा नहीं है इतना कि अपनी तरफ से कोई काम ले, यद्यपि इच्छा हमारी जरूर है।

*९-१०--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ ग्राम सभा के प्रधान को हैण्ड पम्प के लिए सहायता

*११—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, हैदरगढ़ में सन् १९५७-५८ ई० में हैन्ड पम्प लगवाने के लिये किस ग्राम को कितना रुपया दिया गया और कितने हैन्ड पम्प लगाये गये ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—हैदरगढ़ खास में सन् १९५७-५८ में हैण्ड पम्प लगवाने के लिये हैदरगढ़ ग्राम सभा के प्रधान को ८४ रुपया दिया गया तथा एक हैण्ड पम्प लगवाया गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हैन्ड पम्प लगवाया गया है वह प्रधान के दोस्त उप-प्रधान के दरवाजे पर लगाया गया है जब कि उनके दो-तीन कुयें हैं और घर में नल मौजूद है ?

श्री सुल्तान आलम खां— सही जगह तो माननीय सदस्य को खुद मालूम होगी। लेकिन ऐसी जगह लगवाया गया है जहां से सब लोग फायदा उठा सकें।

श्री जंगबहादुर वर्मा— क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हैन्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में ब्लाक में कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हैन्ड पम्प लगाया गया है उसमें विभाग का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैं जवाब में बता चुका हूं कि ८४ रुपया दिया गया है।

*१२—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २८ अगस्त, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

*१८-१९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये।]

राजकीय पोलीटेक्निक, गाजीपुर तथा एच० बी० टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में परिगणित तथा बैकवर्ड श्रेणी के विद्यार्थी

*२०—श्री गरीबदास (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट पोलीटेक्निक, गाजीपुर के सभी ट्रेनिंग कोर्सों में अलग-अलग १९५७-५८ में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये, उनमें कितने परिगणित तथा बैकवर्ड जाति के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राजकीय पोलीटेक्निक गाजीपुर में विभिन्न विषयों में कुल ५७ विद्यार्थी सन् १९५७-५८ में भर्ती किये गये जिनमें ३२ विद्यार्थी परिगणित एवं बैकवर्ड क्लास के थे। विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४७ पर)

*२१—श्री गरीबदास (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एच० बी० टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर के सभी विषयों में अलग-अलग कितने-कितने व्यक्ति १९५७–५८ में भर्ती किये गये, उनमें क्रमशः कितने बैकवर्ड तथा परिगणित जाति के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४८ पर)

*२२—राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

*२३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*२४–२६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बीड़ी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रार्थना

*२८—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बीड़ी उद्योग के विकास के निमित्त सरकार की तरफ से कौन-कौन सी योजनायें चालू हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई नहीं।

*२९—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों की दशा जांचकर उसे सुधारने का सुझाव देने के निमित्त कोई जांच कमेटी बैठाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

होम गार्ड्स के पुनस्संगठन पर विचार

*३०—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार फिर से होम गार्ड्स (Home Guards) का संगठन करने जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि होम गार्ड्स का पुनस्संगठन करने की क्या विशेष आवश्यकता पड़ गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि २ अक्तूबर, सन् १९५७ ई० से ३ स्थान पर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ में, एक संस्था पुलिस विंग आफ पी० आर० डी० चल रही है। अब सोचा यह जा रहा है कि उसके बारे में एक बिल ड्राफ्ट किया जाय। जिसका नाम होम गार्ड्स बिल हो। उसके इन्फोर्स होने के बाद उसके मुताबिक पी० आर० डी० विंग चलेगा और उसके द्वारा काम होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय रक्षा दल को होम गार्ड के रूप में बदलने से कौन-सी सुविधा का अनुभव हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य भूल गये। इन सब प्रश्नों पर बजट के समय बहस हो चुकी है। उस वक्त बताया गया था कि प्रान्तीय रक्षा दल रहेगा। यहां ऐसे सवाल उठाये जा चुके हैं कि पुलिस की संख्या कम है, बढ़नी चाहिये। इसलिये चूंकि उसमें खर्च ज्यादा होता है, वैसा न कर के हम उस में से कुछ चुने हुये आदमियों को लेकर ट्राई करके देख रहे हैं कि कहां तक अच्छा काम होता है।

श्री गौरीशंकरराय---इस होम गार्ड के संगठन की रूपरेखा पी० आर० डी० से किस तरह भिन्न होगी?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है कि बजट में इस पर बहुत ब्योरे से बहस हो चुकी है, इतने ब्योरे के सवाल की इस वक्त मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकरराय--इस वक्त होम-गार्ड्स की कितनी स्ट्रेंथ होगी और यह बिल कब तक आ जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी सारे प्रश्न पर विचार हो रहा है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी से कुछ ट्रेण्ड मजदूरों का चला जाना

*३१--श्री आनन्दब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के ट्रेन्ड मजदूर और कुछ ट्रेन्ड वर्कर्स नौकरी छोड़ कर चले गये या जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने और किस-किस विभाग के?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---१ जनवरी, १९५८ से लेकर ३० जून, १९५८ (६ माह) के भीतर नौकरी छोड़कर जाने वालों की कुल संख्या ५ है, जिनमें दो मैकेनिक खदान के एक टर्नर, एक अटेन्डेन्ट तथा एक हेल्पर है।

*३२--श्री आनन्दब्रह्मशाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के जो ट्रेन्ड वर्कर्स और मजदूर नौकरी छोड़ कर गये हैं उनकी जगह उन्हीं की योग्यता के वर्कर्स लाये गये हैं? यदि हां, तो कितने बाहर से और कितने उसी फैक्टरी से रक्खे गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इन ५ रिक्त स्थानों में से एक स्थान पर उसी योग्यता का एक ट्रेन्ड वर्कर बाहर से रक्खा गया है, एक स्थान के लिये विज्ञापन निकाला गया है। शेष स्थानों पर फैक्टरी में काम करने वालों की ही पदोन्नति की गई है।

*३३--श्री आनन्दब्रह्मशाह---क्या यह सही है कि उपर्युक्त फैक्टरी में कुछ असिस्टेन्ट वर्कर्स ही उन ट्रेन्ड वर्कर्स की जगह रख दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उससे सीमेंट की quality और पैदावार पर असर पड़ रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जो प्रबंध किया गया है उससे सीमेंट की पैदावार और उसकी अच्छाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री आनन्दब्रह्मशाह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी फैक्टरी मजदूरों के बारे में बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--खदान के बारे में बताया गया, फैक्टरी मजदूरों के बारे में वह जानना चाहते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह फैक्टरी के ही मजदूर हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ट्रेड वर्कर इस्तीफा देकर चले गये हैं। उनके इस्तीफा देकर जाने का कारण क्या था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आजकल सेकेंड फाइव ईयर-प्लान में बहुत से कारखाने पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी खुल रहे हैं। जहां अच्छी जगह मिलती है वहां जाने की कोशिश करते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी टेम्पोरेरी सर्विसेज हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चूंकि अभी पूरे तौर से वह गवर्नमेन्ट फैक्टरी होते हुये भी अलग सी चीज है, उसकी सर्विसेज न तो टेम्पोरेरी हैं न परमानेंट, बल्कि एक तरह से परमानेंट ही समझिये।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ये जितने नौकरी छोड़ गये हैं इनकी संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष---संख्या तो बता ही दी उन्होंने।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि चूर्क सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों की सर्विसेज के सम्बन्ध में वह कोई नियम तैयार करवा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फैक्टरी ऐक्ट तो वहां और सब जगह लागू ही है, उसके अनुसार कार्य होता रहता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मजदूरों ने इस्तीफा दिया है उनमें से कुछ ने नौकरी छोड़ने के कारण भी लिखे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नहीं, कारण कुछ नहीं लिखा है। मैंने कहा है कि वहां भी बाहर से आदमी आते हैं और यहां से भी जाते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर छोड़ गये या निकाल दिये गये, उनके रिक्त स्थानों पर पुनः भर्ती हुई है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वह निकाले नहीं गये, वह तो खुद हो गये हैं।

*३४-३५---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---[२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेन्ट सेण्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद में आग लगने से क्षति

*३६---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ मार्च, सन् १९५८ को गवर्नमेन्ट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद में आग लगने से कितना नुकसान हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---८ मार्च, १९५८ को गवर्नमेन्ट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद में आग लगने से ६,७६२ रुपया २५ नये पैसे का नुकसान हुआ।

*३७---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आग लगने का क्या कारण था और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आग लगने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम हो सका है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जैसी सरकार की ओर से सूचना है कि आग १ बजे रात्रि में लग चुकी थी और प्रातः उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गयी, तो तुरन्त उसकी सूचना क्यों नहीं गयी और तुरन्त ही आग बुझाने का प्रबंध क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, सूचना तो फौरन ही दी गयी और पुलिस भी सवा बजे के लगभग पहुंच गयी थी और फायर ब्रिगेड भी उसी वक्त पहुंच गया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जहां आग लगी है उस प्रेस का बीमा भी था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक मेरा खयाल है इंश्योर्ड होना चाहिये । मुझे ठीक पता नहीं है, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार की तरफ से आग लगने के कारणों की जांच करायी गयी है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, जांच करायी गयी, विभागीय तौर पर भी और पुलिस ने भी की, लेकिन अन्दाजा यह है कि किसी ने जान-बूझकर आग नहीं लगायी । हो सकता है किसी ने सिग्रेट वगैरह छोड़ दी हो, बाहर का मामला था, फैक्टरी का मामला नहीं था ।

जौनपुर जिले की 'संसार आयल ऐण्ड ग्लास फैक्टरी, शाहगंज' में कोयले की खपत

*३८--**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की "संसार आयल ऐन्ड ग्लास फैक्टरी, शाहगंज" औसतन साल में कितने दिन चालू रहती है और उसमें कितने मजदूर कार्य करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह फैक्टरी साल में औसतन ४ महीने चलती है और इसमें औसतन ३८ मजदूर काम करते रहते हैं ।

*३९--**श्री माताप्रसाद**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल को वर्ष भर में कितना कोयला खपत के लिये दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस फैक्टरी को जनवरी से जुलाई, १९५८ तक ३६ बैगन कोयला दिया गया ।

श्री माताप्रसाद---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष के अन्य ८ महीनों में जो मजदूर बेकार रहते हैं क्या उस समय उन्हें कोई सुविधा फैक्टरी की ओर से दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री माताप्रसाद---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस फैक्टरी में आयल का कोई कार्य न होने पर भी इसका नाम संसार आयल एवं ग्लास फैक्टरी रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हां, यह फैक्टरी ग्लास का ही काम करती है । यह प्राइवेट चीज है । सरकारी चीज तो है नहीं । यह बोतल वगैरह का काम करती है । चूंकि पूर्वी जिले में, जौनपुर में है इसलिये जरा सरकार लीनिएंटली इस बात को देखती है ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि इस फैक्टरी में दिया हुआ अधिकांश कोयला फैक्टरी के कार्य में प्रयोग न करके निजी भट्ठे में प्रयोग किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस फैक्टरी को कुछ अनुदान या कर्ज दिया गया है अब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जहां तक मेरी जानकारी है नहीं दिया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार ने इस बात की कभी जांच करायी है कि जो ३६ वैगन कोयला दिया जाता है वह सब उस फैक्टरी के काम में आता है या उस में से बच रहता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं। अगर आपको शिकायत हो तो लिख कर दीजिये, करा दी जायगी ।

आजमगढ़ में कथित पाइलेट प्रोजेक्ट

*४०--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगर में कोई पाइलट प्रोजेक्ट चल रहा है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब हुई और अब तक उसमें कितने व्यक्तियों को किस-किस विषय में प्रशिक्षित किया गया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दानसिंह विष्ट को किच्छा, जिला नैनीताल में चीनी मिल खोलने की स्वीकृति

*४१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किच्छा में ठाकुर दानसिंह विष्ट द्वारा शकर मिल खोले जाने की स्वीकृति देने का निश्चय कब किया गया और यह शक्कर फैक्टरी कब से चालू हो जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अक्तबर, १९५५ में दानसिंह विष्ट को किच्छा (नैनीताल) में चीनी मिल खोलने की स्वीकृति देने का निश्चय किया गया । इस फैक्टरी के चालू होने में अभी समय लगेगा क्योंकि फारेन एक्सचेंज सम्बन्धी कठिनाइयां होने से केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक import licence नहीं दिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी कितना और समय लगने की सम्भावना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी मार्च में दोबारा फिर उद्योग मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है और उम्मीद यही की जाती है कि अब जल्दी इस पर फैसला हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--इस कारखाने के एवज में सरकार ने कितना रुपया अब तक दे रखा है और कितना रुपया इस वक्त तक सरकार का फंसा हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह ४०,००,००० रुपया है । वह भी सेंट्रल बैंक के पास है । पूरी सिक्योरिटी देने पर ही मिलेगा । दो इंस्टालमेंट्स में सेंट्रल बैंक में रुपया गया हुआ है ।

श्री गेंदासिंह--क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि इस कारखाने के भरोसे पर किछा सरकारी फार्म के और वहां के बहुत से किसानों ने काफी गन्ना पैदा कर रखा है और उसके पेरने का कोई बन्दोबस्त नहीं होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसीलिये तो सरकार ने फैक्टरी खोलने की कोशिश की ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि फारेन एक्सचेंज की कठिनाई के कारण मशीन नहीं आयी तो मिल की और सब चीजों के बनने में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मकान सब बन चुके हैं और उसके लिये ५,५०,००० रुपया जर्मनी में मशीन खरीदने के लिये एडवांस भी कर दिया गया है ।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद व लखनऊ से प्राइवेट प्रेसों को काम मिलना

*४२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५७ से १५ फरवरी, सन् १९५८ तक कितने रुपये का काम प्राइवेट प्रेसों को राजकीय प्रेस, लखनऊ तथा इलाहाबाद से दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जनवरी, १९५७ से १५ फरवरी १९५८, तक राजकीय प्रेस के प्रधान कार्यालय (इलाहाबाद) द्वारा १,५०,३४३ रुपये ७७ नये पैसे तथा शाखा प्रेस (लखनऊ) द्वारा ८०,९४२ रुपये ८० नये पैसे का कार्य प्राइवेट प्रेसों (private presses) को दिया गया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो प्राइवेट प्रेसों को काम दिया गया था क्या इसके लिये उनसे टेन्डर भी मांगे थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये यह नियम है कि कबाल टाउन्स में ५०० रुपया और अन्य शहरों में २०० रुपये का काम दिया जा सकता है । उसके लिये टेन्डर्स मांगने की जरूरत नहीं है । इसके ऊपर होगा तो टेन्डर्स मांगने की जरूरत होगी । इसके कुछ शिड्यूल रेटस बने हुए हैं उससे जो कम होगा उस पर ही काम दिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह काम जो सरकारी प्रेसों से न होकर प्राइवेट प्रेसों को दिया गया इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गवर्नमेंट प्रेस के पास और ज्यादा महत्वपूर्ण काम रहा होगा ।

सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में यौद्धिक सेवाओं का लाभ न मिलना

*४३--श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिन सरकारी कर्मचारियों ने गत युद्ध (war) में अपनी सेवायें अर्पित की थीं उनको युद्ध के बाद वापस आने पर पद-उन्नति में सुविधा देने की उस समय घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वह घोषणा क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

*४४--श्री सीताराम शुक्ल--क्या मुख्य मन्त्री ने हाल में उपरोक्त नीति के पूर्णतया पालन करने के सम्बन्ध में कोई पुनः आदेश प्रदान किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार बतलायेगी कि कोई सरकारी कर्मचारी लड़ाई में गया ही नहीं या वहां से लौटकर आने पर नौकरी देने का वादा नहीं किया गया ? इसमें दोनों के लिये 'नहीं' हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 'नहीं' किस के लिये है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आपका प्रश्न यह है कि क्या जिन सरकारी कर्मचारियों ने गत युद्ध में अपनी सेवायें अर्पित की थीं उनको युद्ध के बाद वापस आने पर पदोन्नति में सुविधा देने की उस समय घोषणा की गई थी ? मेरा कहना यह है कि कोई घोषणा नहीं की गई थी चाहे जितने भी गये हों ।

श्री सीताराम शुक्ल--बिना घोषणा हुए ही सही, जो कर्मचारी लौट कर आये हुये हैं उनको काम दिया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--काम तो बहुतों को मिला, लेकिन पदोन्नति किसी की नहीं की गई, महज लड़ाई में शामिल होने की वजह से ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लड़ाई में शामिल होने की वजह से कुछ सहूलियत दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पहले, पदोन्नति के लिये नहीं, एक आर्डर निकाला गया था कि जो लौटकर आवे उनकी सीनियारिटी कैसे तय की जाय, उनको कैसे पेन्शन दी जाय । उस सम्बन्ध में लम्बे चौड़े रूल्स हैं ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कुछ असिस्टेंट सेक्शन होल्डरों को ओवर टाइम भत्ता न मिलने की शिकायत

*४५--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ के ११ असिस्टेंट सेक्शन होल्डरों को १५ सितम्बर, १९५६ से आज तक उनको मिलने वाला मासिक ओवरटाइम भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐशबाग प्रेस के ११ असिस्टेन्ट सेक्शन होल्डरों को १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ की अवधि का देय ओवरटाइम भत्ते का बिल बना करके एकाउन्टेन्ट जेनरल, उत्तर प्रदेश को प्रिआडिट के लिये भेज दिया गया है । जैसे ही बिल पास होकर वापस आएगा, भत्ते का भुगतान कर दिया जायगा । १अप्रैल, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक देय भत्ता दिया जा चुका है । राजकीय प्रेस में प्रचलित पद्धति के अनुसार सुपरवाइजरी स्टाफ का १ साल का कार्य देखने के पश्चात दूसरे साल से देय ओवरटाइम भत्ता निर्धारित किया जाता है । यह १ साल का पीरियड ट्रायल का होता है और इसमें कोई भत्ता नहीं दिया जाता है । अतएव १५ सितम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक के लिये ओवरटाइम भत्ता देय नहीं है ।

*४६--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कर्मचारियों ने ओवर टाइम भत्ता पाने के लिये अपने उच्च अधिकारियों के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, परन्तु सरकार के पास इस विषय पर कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतायेगी कि ओवर टाइम देने की जो पद्धति उनके यहां चल रही है कि टेम्पोरेरी आदमियों को यह भत्ता न दिया जाय और एक साल पुराने परमानेन्ट आदमियों को यह दिया जाय तो क्या यह लेबर लाज के अनुरूप है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कानून में तो नियम के मुताबिक ओवर टाइम सुपरवाइजरी स्टाफ को दिया ही नहीं जाता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--१ अप्रैल, १९५७ से लेकर ३१ मार्च, १९५८ की अवधि तक का ओवर टाइम के भत्ते का बिल प्रि-आडिट के लिये गया था और १ अप्रैल से ३० जून, १९५८ तक का पेमेंट कर दिया गया। तो पिछले पेमेंट करने में जो देरी हुई उसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--६ महीने से पहले के जो बिल होते हैं वे नियमानुसार प्रि-आडिट के लिये जाते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जो प्रार्थना-पत्र वहां के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को दिया है, क्या सरकार उसको मान कर उस पर उचित आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं कह चुका हूं कि सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया। अगर वहां के अधिकारियों के पास आया होगा तो उन्होंने उसका उचित उत्तर दिया होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एक साल के बाद सुपरवाइजर्स के वेतन में जब भत्ता शामिल कर दिया जाता है तो क्या कारण है कि १ अप्रैल, १९५७ से उनको भत्ता नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो बिल प्रि-आडिट में पड़ा हुआ है उसके कब तक प्राप्त हो जाने की उम्मीद है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह लगभग १५ दिन के अन्दर हो जायगा, ऐसा मेरा खयाल है।

*४७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[४ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय कम्बल बुनाई शिक्षण केन्द्र, कसया, जिला देवरिया को हटाने का विचार

*४८--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय कम्बल बुनाई शिक्षण केन्द्र, कसया, देवरिया को वहां से हटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी हां।

(ख) क्योंकि उक्त केन्द्र आठ वर्ष तक उस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे चुका है। उस शिक्षण केन्द्र का फायदा अब एक दूसरे क्षेत्र को उपलब्ध कराया जायगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अभाव-ग्रस्त एरिया है, एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है, इस उद्योग से वहां सैकड़ों लोग रोजी पाते हैं, वह मुनाफे में जा रहा है और वहां इमारत भी है, तो क्या कारण है कि सरकार इसको वहां से हटा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--८ साल तक इतने आदमियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि अब वहां इसकी जरूरत नहीं कि और ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जाय। जो कारखाने

चलते हैं उनमें ही और लोगों की ट्रेनिंग हो जायगी और अब जिन जगहों में और ट्रेनिंग देने की जरूरत है वहां इसको ले जाया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इस पर विचार करने की मेहरबानी करेगी कि कम से कम एक साल तक इस ट्रेनिंग सेन्टर को वहां और रखा जाय ताकि जो लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं वह अपना काम बाद में ठीक से चला सकें ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा मैंने अर्ज किया कि वहां ८ साल तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है । काफी लोग वहां होशियार हो गये हैं और वह अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं । अगर वह चाहें तो सरकार उनको सहायता दे सकती है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसको ले जाने के लिये दूसरा स्थान उन्होंने कौन-सा तय किया है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह अब रायबरेली में आ जायगा ।

बस्ती जिले के नियोजन विभाग में हरिजन कर्मचारी

*४९---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला नियोजन विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं और किन-किन पदों पर तथा उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५० पर)

श्री रामलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नियोजन विभाग में कितने कर्मचारी हैं और किस-किस पद पर हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जिन लोगों को लिया गया है वह सूची में देखें कि इन्कीरियर सर्विसेज में ४८ में से १२ हरिजन लिये गये हैं, जितना कि उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए उस से ज्यादा हैं और करीब २५ फीसदी हैं । लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की ख्वाहिश के मुताबिक टैक्नीकल और क्वालीफाइड आदमी दूसरी सर्विसेज में नहीं मिलते हैं । इसलिये बाकी सर्विसेज में उनका रिप्रेजेन्टेशन पूरा नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती के नियोजन विभाग में जो कर्मचारी लिये गये हैं उनमें हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आये थे और उनको क्या सुविधा देने की कृपा की गई ?

श्री सुल्तान आलम खां---जैसा कि मैंने अभी जवाब में बतलाया कि चपरासी तथा अन्य इसी किस्म की सर्विस में इनकी नुमाइन्दगी २५ फीसदी है । दो क्लार्क भी थे, लेकिन वह इस्तीफा देकर चले गये । उनको रेलवे डिपार्टमेंट में अच्छी जगह मिल गई इसलिये वह नहीं रहे । अगर दूसरे आदमी मिल सकें तो जरूर गौर किया जायगा और हमदर्दी के साथ गौर किया जायगा ।

उद्योग विभाग का व्यय तथा व्यपगत धन

*५०---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उद्योग विभाग के १९५७-५८ के अनुदान का कितना धन व्यपगत (lapse) हो गया ?

श्री रऊफ जाफरी--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*५१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि २५ मार्च व ३१ मार्च, सन् १९५८ के बीच कितना धन उद्योग विभाग में व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी--लगभग ७७,३०,२०० रुपये।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--अभी तक हिसाब ए० जी० के यहां से फाइनेलाइज नहीं हुआ है। जब हो जायगा तब मिल सकेगी।

अमीनाबाद, लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश हैण्डीक्राफ्ट्स की दूकान में गबन

*५२--श्री गौरीशंकरराय--क्या डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट्स के स्पेशल मैनेजर के कार्य-कलाप और उनकी सेवाओं के संबंध में कुछ सूचनायें सरकार को पिछले ६ मास के भीतर दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

*५३--श्री गौरीशंकरराय--क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट्स के अमीनाबाद की दूकान में गबन होने के सिलसिले में असिस्टेन्ट फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर आफ इन्डस्ट्रीज न० ३ ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी हां।

(ख) असिस्टेन्ट फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर आफ इन्डस्ट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के अमीनाबाद स्थित शो रूम में ३६४ रुपया ७४ नये पैसे का गबन हुआ। यह धनराशि बाद में जमा कर दी गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि स्पेशल मैनेजर की तरफ से निगरानी में कसर हुई।

*५४--श्री गौरीशंकरराय--क्या उक्त हैन्डीक्राफ्ट्स की जांच पड़ताल श्री बनारसी दास भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तथा श्री गंगा सागर दुबे, क्वालिटी मार्किंग आफिसर ने भी की है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर उस जांच की रिपोर्ट की मुख्य बातें बतायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी हां।

(ख) जांच की रिपोर्ट की मुख्य बातें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

श्री गौरीशंकरराय--सरकार को छः मास के भीतर यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के स्पेशल मैनेजर के कार्य-कलाप के बारे में जो सूचना मिली है उसके संबंध में सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

श्री रऊफ जाफरी--कुछ शिकायतें जो आई थीं उनकी जांच की जा रही है।

श्री गौरीशंकरराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह शिकायतें क्या थीं ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि इस रिपोर्ट में है निगरानी की कमी और स्टाफ पर कंट्रोल ठीक न होना वगैरह यही वजह हैं जिनकी जांच की जा रही है।

श्री गौरीशंकरराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्पेशल मैनेजर क वजह से गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि अर्ज किया गया स्पेशल मैनेजर के खिलाफ जांच हो रही है। जो अमीनाबाद में गबन हुआ था उसके सेल्समैन से रुपया जमा करा लिया गया है और उसको नौकरी से अलग कर दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--जो 'ख' अंश का जवाब 'नहीं' में दिया गया है, इसका कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--उसकी इनक्वायरी शुरू कर दी गई है। जितना पत्र-व्यवहार हुआ है उसे बतलाने से इनक्वायरी पर असर पड़ेगा और वह ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह जांच कब तक सम्पन्न हो जायगी और क्या उससे सदन को अवगत कराया जावेगा ?

श्री रऊफ जाफरी--एक अफसर जांच कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--डायरेक्टर से कहा गया है कि वह जिसे मुनासिब समझें उस अफसर से जांच करावें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को मालूम है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने दो बार अपनी रिपोर्टों में कहा है कि यह स्पेशल मैनेजर हटाये जावें, बदले जावें, फिर भी उसे क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सवाल कई बार सदन के सामने आ चुका है। उसमें यह दिक्कत थी कि यह अपनी किस्म की एक ही जगह थी। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से एक आदमी मंजूर है, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है कि स्पेशल मैनेजर को किसी दूसरी जगह कर दिया जाय और यहां कोई दूसरा आदमी रखा जावे।

श्री गौरीशंकरराय--भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, श्री बनारसी दास और श्री गंगा सागर दुबे ने जो जांच की उसके बारे में क्या यह सत्य है कि सन् १९५२ में यू० पी० हैन्डी-क्राफ्ट की दूकान में आग लगी जिसमें ४४,००० रुपये का नुकसान दिखाया गया, उसमें जला हुआ सामान दिखाया गया था और उसमें से बहुत-सा सामान अब जांच में मिला है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह नहीं मालूम कि उसमें कुछ मिला या नहीं। मगर आग जरूर इलैक्ट्रिक वायर की खराबी से लगी।

खीरी जिले में मोहम्मदी बस स्टेशन के लिए ली गयी जमीन का मुआवजा

*५५--श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहम्मदी, जिला खीरी में बस स्टेशन की इमारत कब तक बन जायेगी ?

डाक्टर सीताराम--३१ दिसम्बर, १९५८ तक इमारत बन जायेगी।

*५६--श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस स्टेशन मोहम्मदी, जिला खीरी के लिये कितनी जमीन ली गई है और उसका क्या मुआवजा किन-किन लोगों को दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--इस बस स्टेशन के लिये ०·८४ एकड़ भूमि हस्तगत की गई और उस भूमि का ७५१·९८ रुपया मुआवजे के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :

	रु० न० पै०
१--श्रीमती जुबेदा बेगम	२९·९८
२--श्री श्यामलाल भगवान दीन	४३·६७
३--श्रीमती फूलमती	६७८·३३
जोड़ ..	७५१·९८

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*५७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में कितने गजटेड व नान गजटेड आफिसर व क्लर्क हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में आठ गजटेड, तीन नान गजटेड आफिसर व ४४० क्लर्क हैं। परिगणित एवं पिछड़े वर्ग के लोग क्लर्कों में ही हैं और इनकी संख्या क्रमशः १० व २१ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गजटेड और नान-गजटेड आफिसरों में एक भी पिछड़े वर्ग का और परिगणित जाति का व्यक्ति न होने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ये पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके लिये जगह रिजर्व रहती है। कमीशन में नहीं ऐपियर हुए होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्लर्कों में भी इन लोगों का अनुपात ढाई फीसदी से भी कम क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से अर्जियां मांगी जाती हैं और फिर उनका कम्पीटीशन कराया जाता है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से ही कम आते हैं और जो आते हैं वे कम्पीटीशन में नहीं आ पाते और जो ले लिये जाते हैं वे दूसरी जगह ज्यादा वेतन पर चले जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिगणित जाति को संविधान में संरक्षण है सरकार उन बातों को जिनका उसने उल्लेख किया है उनको हटाने की कृपा करेगी जिससे उनको संरक्षण मिल सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये सरकार स्वतः इस प्रश्न के पहले ही, लिख रही थी कि उनका पूरा होना चाहिये।

रोडवेज विभाग के आजमगढ़ क्षेत्र में बस कंडक्टर

*५८--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज विभाग के आजमगढ़ रीजन में कुल कितने कंडक्टर मैट्रिक पास तथा कितने नान-मैट्रिक वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--३८ मैट्रिक और ५१ नान-मैट्रिक।

श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५१ नान-मैट्रिक कन्डक्टर कब से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--करीब १० साल से कर रहे हैं।

श्री यमुनासिंह--इन कन्डक्टरों की पदोन्नति का आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम--जिन कन्डक्टरों का कार्य अच्छा होता है उनकी पदोन्नति ए०टी० आई० तथा एसिस्टैंट स्टेशन इंचार्ज की पोस्ट पर होती है। वह केवल करीब ५० परसेंट ही होती है।

*५९--कुंवर श्रीपालसिंह--[हटा दिया गया।]

विकास संबंधी बैठक, लखनऊ में बुन्देलखण्ड कमिश्नरी के विधायकों के सुझाव

*६०--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७ फरवरी, १९५८ को कमिश्नरी लेबिल पर लखनऊ में हुई विकास संबंधी बैठक में जो नियोजन उपमंत्री के सभापतित्व में हुई थी, जो सुझाव दिये गये थे उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बुन्देलखंड कमिश्नरी के विधान मंडल के सदस्यगणों के सुझावों पर जो दिनांक ७ फरवरी, १९५८ की बैठक में प्रस्तुत किये गये, की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५२-७५३ पर।)

*६१-६२--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--[हटा दिये गये।]

मेरठ रोडवेज वर्कर्स यूनियन की मांगें

*६३--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को गत ८ मई को मेरठ रोडवेज वर्कर्स यूनियन की ओर से उक्त रीजन के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

*६४--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ रोडवेज वर्कर्स यूनियन को मान्यता प्रदान करने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम--मान्यता प्रदान करने या न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विभिन्न टेक्निकल तथा पालीटेक्निक स्कूलों में परिगणित तथा वैकवर्ड श्रेणी के प्रशिक्षणार्थी

*६५--श्री गरीबदास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय टेक्निकल इंस्टीटयूट, गोरखपुर, राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झांसी, राजकीय पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, देहरादून, राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर, राजकीय पोलीटेक्निक, इलाहाबाद, राजकीय काष्ठकला, इलाहाबाद, बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक, वाराणसी, राजकीय पोलीटेक्निक, गढ़वाल, पं० जे० जे० राजकीय पोलीटेक्निक, अल्मोड़ा के अलग-अलग सभी विषयों में कितने-कितने व्यक्ति १९५७-५८ में ट्रेनिंग में लिये गये, उनमें अलग-अलग कितने-कितने बैकवर्ड तथा परिगणित जाति के थे ?

श्री रऊफ जाफरी--वांछित सूचना से सम्बन्धित सूची † सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

† छापी नहीं गई।

श्री गरीबदास--क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि पं० जे० जे० राजकीय पोलीटेक्निक, अल्मोड़ा और राजकीय पोलीटेक्निक, टेहरी-गढ़वाल, में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की संख्या निल क्यों है ?

श्री रऊफ जाफरी--वहां लड़के नहीं आये होंगे।

राजकीय पाइलट वर्कशाप, जिला सहारनपुर में बैकवर्ड तथा परिगणित श्रेणी के प्रशिक्षार्थी

*६६--श्री गरीबदास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर के राजकीय पाइलट वर्कशाप में सन् १९५७-५८ ई० में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई, उनमें से कितने बैकवर्ड तथा परिगणित जाति के थे ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) ४५।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य में औद्योगिक शिक्षालय तथा पाइलट योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थी

*६७--श्री गरीबदास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक शिक्षालय योजना व औद्योगिक पाइलट परियोजना से १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग दी गई उनमें से कितने बैकवर्ड तथा कितने परिगणित जाति के थे ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) इन योजनाओं के अन्तर्गत ९६६ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई तथा १,२९० व्यक्ति मार्च, १९५८ में ट्रेनिंग पा रहे थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गरीबदास--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सूचना कब तक आ जावेगी।

श्री रऊफ जाफरी--यह नहीं बतलाया जा सकता। अलग-अलग यह नहीं लिखा जाता है कि इतने बैकवर्ड या परिगणित जाति के थे, उसमें देर तो लगेगी ही। वैसे उनके लिये जगह सुरक्षित है।

सरकारी गाड़ियों का क्रय

*६८--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने प्रदेश और जिले में गत वर्ष कितनी नई मोटरें खरीदीं और उनका मूल्य क्या था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, कुल ५२६ गाड़ियां खरीदी गईं और उनका मूल्य १,३४,०२,२७३ रुपये २४ नये पैसे था।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी गाड़ियां ऐसी थीं जो सरकारी अधिकारियों के लिये खरीदी गईं और उनकी कीमत १०,००० रुपये से अधिक थी ?

डाक्टर सीताराम--विभिन्न विभागों के लिए १७० गाड़ियां खरीदी गईं तथा ३५६ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिये खरीदी गईं।

श्री देवकीनन्दन विभव--इन गाड़ियों की कीमतें कौन निश्चय करता है ?

डाक्टर सीताराम--गवर्नमेंट आफ इंडिया के डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज़ एण्ड डिसपोज़ल्स निर्धारित करते हैं और उसी निर्धारित कीमत पर सभी गाड़ियां खरीदी जाती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि अधिकारियों के लिये जो वह १७० गाड़ियां खरीदी गयीं, उनमें से ऐसी गाड़ियां कितनी हैं जिनकी कीमत १०,००० रुपये के ऊपर है ?

डाक्टर सीताराम--यह तो ब्योरे की बात है, इसको देखना पड़ेगा। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकारी जी० ओ० एक ऐसा हो गया है कि सरकारी आफसरों को गाड़ियां न दी जायंगी फिर ये १७० गाड़ियां क्यों खरीदी गयीं ?

डाक्टर सीताराम--पहले प्रश्न का उत्तर है--सरकार के विचाराधीन है। सरकारी अधिकारियों ने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के पास अपनी मांग प्रस्तुत की थी, उन्होंने इनको खरीद कर दीं।

श्री नवल किशोर--क्या यह सही है कि सरकार के पास से ऐसा जी० ओ० इश्यू हुआ है कि सरकारी अफसरों को गाड़ियां न दी जायं और जिनके पास हैं भी, उनसे ले ली जायं ?

डाक्टर सीताराम--यह बतला दिया गया है कि सरकार के सामने यह पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी अफसरों की गाड़ियों के सम्बन्ध में कोई जी० ओ० इश्यू किया गया है या उस जी० ओ० के इश्य करने का विचार ही सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम--जी० ओ० इश्यू किया गया था, लेकिन भविष्य में उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो, यह सब प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो गाड़ियां खरीदी गयीं उन्हीं आफसरों के लिये खरीदी गयीं जिनसे कि पहले गाड़ियां सरेंडर करायी गयी थीं ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जी० ओ० हो जाने के बाद सरकार को आफसरों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि ये गाड़ियां उनसे वापिस न ली जायं ?

डाक्टर सीताराम--इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है।

*६९-७०--श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)--[हटा दिये गये।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना परिचालित करने के लिए राज्य को केन्द्र से सहायता

*७१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जून, १९५८ तक प्रादेशिक सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को परिचालित करने के लिये किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया सहायता, कर्ज एवं अन्य रूप में प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--महालेखापाल से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इस राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से १ जून, १९५८ तक लगभग ३५.०३ करोड़ रुपये ऋण, अनुदान एवं अन्य रूप में प्राप्त हुये। विभिन्न मदों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५४ पर।)

भ्रष्टाचार के आरोप में दण्डित राज्य कर्मचारी

*७२--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कितने सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में १९५७ में किस-किस विभाग में किस-किस रूप में दंडित हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिन विभागों से सूचना प्राप्त हो चुकी है उनमें ९३५ सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोपों पर १९५७ में दंडित हुये। पूरा विवरण सम्बद्ध तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७५५-७५७ पर।)

रोडवेज के कानपुर रीजन मे अवैतनिक प्राविधिक प्रशिक्षार्थी

*७३--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर रीजन यू० पी० रोडवेज में बिना तनख्वाह टेक्निकल ट्रेनिंग कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दो साल या इससे पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--१९। इनमें से कोई भी दो साल या इससे पहले से ट्रेनिंग नहीं कर रहा है।

*७४--श्री मोतीलाल अवस्थी--[हटा दिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले में अल्पबचत योजनान्तर्गत एकत्र धन

१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५७ ई० से जून, १९५८ ई० तक सीतापुर जिले में तहसीलवार अल्पबचत में कितना रुपया जमा किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अल्प बचत में जमा किये गये धनराशि के आंकड़े तहसीलवार नहीं रखे जाते हैं।

काशी और गोरखपुर डिवीजन में सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ काम रोको प्रस्ताव आये हैं, उनमें से प्रथम श्री मन्नालाल का है जो इस प्रकार है:--

"काशी और गोरखपुर डिवीजन्स में १० दिन से सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला नहीं मिल रहा है और इस बढ़ती हुई महंगाई में तथा इस अन्न के अभाव काल में लोगों को गल्ला न मिलने से अत्यधिक कष्ट हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप जनता में अत्यधिक क्षोभ व्याप्त है जिसके कारण प्रान्त की शान्ति और व्यवस्था भंग होने की आशंका है। अतएव सदन का यह सुनिश्चित मत है कि इस गम्भीर तथा सुनिश्चित विषय पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह बहुत अनिश्चित सी बात है कि काशी और गोरखपुर डिवीजन में १० दिन से सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। गल्ले के बारे में बहुत कुछ बहस भी इस सदन में हो चुकी है।

देवरिया कलेक्टरी कचहरी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण का है जो इस तरह से है---

"गत ९ अगस्त को देवरिया कलेक्टरी कचहरी में 'रोटी दो या जेल दो' की मांग करीब पांच हजार जनता ने किया था। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को यह हक हासिल है कि वह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन निकालें, सभाएं संगठित करें, साथ ही साथ जीने की व्यवस्था करने की मांग करें। १० तारीख को रात्रि में करीब २ बजे चार पांच ट्रकों में करीब ५०० नर नारियों को जबरदस्ती उठा-उठा कर सरकारी पुलिस ने फेंका और उन्हें ५०, ५० व ६०, ६० मील की दूरी पर छोड़ दिया। श्री चन्द्रबली सिंह को कई पुलिस वालों ने उठा कर फेंका और २० सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों को बिना किसी वारन्ट के जेल में बन्द कर दिया। १८ अगस्त तक चार नवयुवक लुप्त थे, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। हमने अवैध कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, तिस पर भी अवैध तथा गैर कानूनी कार्यवाहियों पर रोकथाम न की गई।

रोटी मांगने वालों के साथ जिस प्रकार सरकार ने अवैध तथा गैरकानूनी ढंग पर अमानवीय व्यवहार किया है उससे प्रदेश की जनता क्षुब्ध है और व्यापक असन्तोष व्याप्त है।

अतः जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण तात्कालिक उपर्युक्त अत्याचारपूर्ण एवं अवैध कार्य प्रणाली जन्य विषय पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

जो सम्बन्धित मंत्री हैं वे इस विषय के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। क्या उनके पास इस तरह की कार्यवाही के बारे में कोई शिकायत आयी है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस 'घेरा डालो' आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां हुईं जिसका चर्चा इस सदन में पहले हो चुका है, लेकिन कुछ लोग लापता हैं इसकी सूचना मुझे बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से यह कि ५०० के करीब आदमियों को ट्रकों में बन्द करके कहीं बहुत दूर ५०-६० मील पर ले जाकर छोड़ दिया गया, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। आज ऐडजर्नमेंट नोटिस मिलने के बाद मैंने देवरिया से इस सम्बन्ध में कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन देवरिया की ट्रंक लाइन स वक्त खराब है और कुछ देर तक ठीक होने की आशा भी नहीं है जिससे वहां की सूचना मिल सके। लेकिन इन दो बातों की बाबत मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं आशा करता हूं कि कल तक आप सूचना मंगा कर सदन को बता देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आशा है।

श्री अध्यक्ष---तब तक के लिये मैं इसको स्थगित करता हूं। इस विषय में थोड़ी जानकारी मिलने के बाद ही मैं निश्चिय करूंगा कि यह वैध है या अवैध है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---थोड़ी जानकारी, श्रीमन्, मैं दे ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---उसकी वे जांच करना चाहते हैं, जानकारी दोनों तरफ से आ जानी चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं कुछ दूसरी जानकारी देना चाहता हूं। मैंने ट्रंक काल किया था और मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बतलाया तो उनकी बातों से मैं यह समझ पाया कि उनको इस बात की जानकारी है कि ट्रकों में लोग ढाई बजे रात में लाद-लाद कर बाहर फेंके गये।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी को जो बात मालूम थी वह उन्होंने बतला दी। माननीय गृह मंत्री तो यहां मौजूद नहीं हैं। उनको जिस बात की सूचना नहीं है, उसके सम्बन्ध में वे कल तक दे देंगे और उसके बाद इस पर विचार होगा।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना, श्री मदन पांडेय तथा श्री दुर्योधनप्रसाद द्वारा अनशन करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी का है जो इस प्रकार है:---

"श्री शिब्बनलाल सक्सेना, सदस्य लोकसभा, श्री मदन पांडेय तथा श्री दुर्योधन प्रसाद, सदस्य विधान सभा आज से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के प्रति जो रुख सरकार का उपेक्षा और निर्दयता का रहा है उससे ऊब कर ऐसा कदम उठाने के लिये यह तीनों महानुभाव विवश हुए हैं। पहले ही से प्रदेश के पूर्वी अंचल में लगभग २,००,००,००० की आबादी में घोर निराशा और रोष का वातावरण फैला हुआ था। अब इस परिस्थिति के अधिक भयावह हो जाने का गंभीर खतरा सामने है।

अतः सदन इस महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।" सम्बन्धित मंत्री इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि मामला क्या है?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि गालिबन मुख्य मंत्री जी एक रोज सदन में फरमा चुके हैं उनके पास श्री शिब्बनलाल जी का एक पत्र आया था और उन्होंने उसका जवाब दे दिया था, लेकिन उनको माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब पसन्द नहीं आया। तो उन्होंने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया है और अखबारों से जैसा जाहिर होता है आज से वह भूख हड़ताल शुरु होने वाली है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हो गयी है।

श्री चरणसिंह---हो गयी है साहब। अब भूख हड़ताल शुरु हो गयी है। इतना वाक्या मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष---क्या श्री मदन पांडेय और श्री दुर्योधनप्रसाद भी इसमें शामिल हैं?

श्री चरणसिंह---चलिये तीनों को मान लीजिये, तीनों ने शुरु कर दी है।

श्री अध्यक्ष---आपको कोई जानकारी है?

श्री चरणसिंह---मुझे कोई जानकारी नहीं है सिवा इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास श्री शिब्बनलाल जी का पत्र आया और जो अखबारों में पढ़ा वह ऐसा करना मुनासिब समझते हैं। गवर्नमेंट का इससे कोई वास्ता नहीं। और जिन बातों का जिक्र है वह रोजाना सुनते रहते हैं कि विषम परिस्थिति है, यह और वह। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कोई नयी बात नहीं कहनी है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इतना मैं कह दूं कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले मदन पांडेय जी का खत मिला, जिसमें लिखा है कि मैंने साढ़े १० बजे से व्रत आरम्भ कर दिया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम है कि शिब्बनलाल जी सक्सेना जिन बातों के लिये अनशन करने जा रहे हैं उनमें से मुख्य बात यह है कि पूर्वी जिलों में, खासतौर पर गोरखपुर में कोअर्सिव प्रोसेस से इस अभाव की स्थिति में मालगुजारी और लगान वसूल किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शिब्बनलाल जी सक्सेना का एक पत्र आया था । उन्होंने १३ मांगें उसमें रखी थीं । जिसका जिक्र माननीय पालीवाल जी ने किया थोड़ा-सा हवाला उसका भी था, लेकिन उनका कहना यही था कि जब तक १३ मांगें मंजूर नहीं होंगी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे और अनशन जरूर करेंगे । इसलिये यह कहना कि इसी एक बात के लिये वे अनशन कर रहे हैं यह उनके साथ अन्याय करना होगा ।

श्री अध्यक्ष (श्री गेंदासिंह से)---किस प्रकार से यह निश्चित विषय है जिस पर माननीय सदस्य बहस करना चाहते हैं, इसके सम्बन्ध में वे जानकारी करायें ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना तो निश्चित ही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को माननीय शिब्बन लाल जी ने और मदन पांडेय जी ने कई पत्र लिखे हैं और उनमें उन्होंने कुछ निश्चित बातें लिखी हैं जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि १३ मांगें उन्होंने उपस्थित की थीं । मैं इन १३ मांगों के लिये यह नहीं कहता हूं कि १३ की १३ मांगों के स्वीकार हो जाने पर ही वे अनशन तोड़ेंगे या अनशन नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो निश्चित बातें हैं उनको बगैर माने हुए वे किसी भी हालत में अपना अनशन तोड़ने के लिये राजी नहीं होंगे और आज से उन्होंने अनशन शुरू भी कर दिया है जिसकी सूचना मदन पांडेय जी ने मुझे और माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दी है। कल लोक सभा में शिब्बनलाल सक्सेना ने कहा कि वे २१ तारीख से अनशन करने जा रहे हैं । यह फिर एक निश्चित बात है ।

दूसरे जो स्थिति पहले से ही पूर्वी अंचल में है और उससे जो स्थिति सारे प्रदेश भर में अन्न के संकट के सम्बन्ध में फैल गई है वह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है । आप देखते हैं कि रोज बावजूद इसके कि फूड पर डिबेट हो चुकी फिर भी मजबूर हैं माननीय सदस्य कि आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रखें और उस प्रश्न पर रोज आपका ध्यान दिलायें । तो अब ऐसी हालत में जब वह भूख हड़ताल करने जा रहे हैं उसके बाद जो असन्तोष की स्थिति पहले से चल रही है, वह और बिगड़ने वाली है .....

श्री अध्यक्ष---निश्चित कौन सा विषय है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि सदन विचार करे, भूख हड़ताल पर विचार करना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह---जी हां, आज से वह भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और उससे स्थिति के और बिगड़ने की सम्भावना है । आज के बाद कल ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमारा सारा काम ठप हो जाय, और ज्यादा नुकसान पहुंचे, और साधारण जीवन जो चल रहा है उसके लिये भी खतरा पैदा हो सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आप इसी प्रश्न पर कहें कि क्या कोई निश्चित विषय प्रस्ताव में है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं ।

श्री राजनारायण--एक विषय तो निश्चित है कि साढ़े दस बजे से श्री मदन पांडेय जी की भूख-हड़ताल शुरू हो गयी है। मदन पांडेय जी का पत्र अभी-अभी मुझे मिला है, इसी लिफाफे के अन्दर जिसमें यह लिखा है उन्होंने--

"Till to-day I have waited for the Government reaction and since I do not find anything to warrant any change in my former decision to undertake a fast unto death, I have commenced my fast at 10.30 hours to-day."

मैं इस सम्बन्ध में श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट की उपेक्षा कैसे हुई और मदन पांडेय जी ने भूख हड़ताल क्यों शुरू की ? यह एक डेफिनेट बात है और इसलिये भी है कि सरकार का इससे कैसे सम्बन्ध है, यह भी मैं बताना चाहता हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं वह नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ यह पूछ रहा था कि जो प्रस्ताव सामने है उसमें कोई निश्चित विषय है महत्व का, जिसके लिये बहस करना आप चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--मैं यह समझता हूं कि सरकार ने अब तक जो उपेक्षा की नीति अख्तियार की है उसी से प्रभावित होकर श्री मदन पांडेय जी ने भूख हड़ताल की और उनके भूख हड़ताल करने का विषय निश्चित है और एक बड़े गम्भीर जनहित से सम्बन्धित समस्या को लेकर के वह भूख हड़ताल हो रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि तात्कालिक भी है, डेफिनेट भी है और महत्वपूर्ण भी है और इस पर विचार अवश्य होना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय की निश्चितता के सम्बन्ध में मैं आप से थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। विषय यों निश्चित है कि पूर्वी जिलों में अभाव की स्थिति है यह निश्चित है और भूख हड़ताल होने जा रही है उसी सम्बन्ध में यह भी निश्चित है। तीसरी बात यह भी निश्चित है कि अभाव की स्थिति से जो असन्तोष प्रदेश भर में है भूख हड़ताल से वह असन्तोष और बढ़ेगा। वह उग्र हो सकता है, जन आन्दोलन हो सकता है और उसका परिणाम सबके लिये हानिकर हो सकता है। इसलिये यह विषय निश्चित है। परिस्थिति गम्भीर है। इसलिये इस पर विचार होना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें निवेदन करनी हैं। जो विषय यह है यह पूर्ण निश्चित इसलिये मनाया जाना चाहिये कि सारे पूर्वांचल में जो भी सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति के परिणामस्वरूप घटनाएं घटित हुई हैं उनके विरोध में यह है और यह तो सर्वमान्य है कि स्थिति बहुत ही भीषण है। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि जैसा अभी लोगों के अन्दर असन्तोष और विद्वेष घर कर रहा है, इस भूख हड़ताल के बढ़ने के परिणामस्वरूप अगर यह ज्यादा दिन चलती है सरकार के अनरेस्पांसिव ऐटीट्यूड के परिणाम स्वरूप .....

श्री अध्यक्ष--कोई आप निश्चित विषय नहीं बता रहे हैं, आप तो बहस कर रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उसके परिणामस्वरूप प्रान्त में एक भीषण परिस्थिति पैदा हो जायगी। इसलिये आवश्यक है कि इस विषय के लिये श्रीमन्, समय दें, जिससे कि हम लोग इसके ऊपर विचार कर सकें और इसको स्वीकार कर सकें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य-स्थगन प्रस्ताव की इजाजत माननीय देवरिया जिले के, माननीय सदस्य ने मांगी है उसमें निश्चित प्रश्न यह है कि इस आदरणीय सदन के दो माननीय सदस्य आज से और इस समय से निश्चित काल के लिये भूख हड़ताल पर हैं।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

उनका इरादा, घोषित इरादा यह है कि आमरण अनशन करेंगे यदि प्रदेशीय सरकार कुछ ऐसे कार्य नहीं करेगी जिनका उल्लेख माननीय नेता सदन ने कियाहै। १ से १३ डिमान्ड्स में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन के दो माननीय सदस्यों के आमरण अनशन करने के निश्चय को, उन कारणों में जिसको कि बहुत पूर्व सूचना सरकार के पास है, एक निश्चित और आवश्यक प्रश्न है और इसलिये भी कि आज ही साढ़े दस बजे से मेरे पास लिखित सूचना माननीय मदन पांडेय जी से प्राप्त हुई है। उन्होंने अनशन आरम्भ किया है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, मान्यवर, कि इस प्रस्ताव को वैध करार देने की कृपा कर।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस बात का आप निर्णय करेंगे कि चाहे कोई भी शख्स हो किसी भी कारण से अनशन करना चाहे तो अनशन का विषय यहां पर कामरोको प्रस्ताव का विषय हो सकता है ? मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन दो,एक बातों के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। बार-बार कहा गया, सरकार की उपेक्षा का जिक्र किया गया। तो उस सम्बन्ध में मैं बतला देना चाहता हूं कि जब श्री शिब्बनलाल सक्सेना जी का मेरे पास पत्र आया उनके पत्र में वही १३ डिमान्ड्स हैं जिनका जिक्र माननीय मदन पांडेय जी ने किया है, तो मैंने उनका फौरन ही जवाब दिया था। उनका पत्र अखबारों में छप चुका था इसलिये मेरा भी पत्र अखबारों में छपा। मैंने उनको लिखा था कि कई बातें ऐसी हैं जिनको सरकार आलरेडी कर रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको करना सरकार के लिये असम्भव है। मैं उन्हीं बातों का जिक्र करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस प्रकार से विषय का जिक्र करना उसकी मेरिटस में जाना होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत अच्छा मैंने लिखा है दो, तीन बातें ऐसी हैं जो ऐबसोल्यूटली असम्भव हैं, किसी हालत में भी इस सरकार के लिये स्वीकार करना। फिर मैंने लिखा अनशन वाली बात का चर्चा इस वातावरण में नहीं हो सकता। यह तो सिटिंग ऐक्रास दी टेबिल यानी बैठ कर सब बातें हो सकती हैं। यह मैंने उनको लिखा था यदि फिर भी अनशन करना चाहते हैं तो हमारी मजबूरी है। जैसे ही उनका पत्र मिला वैसे ही मैंने लिखा।

अब माननीय मदन पांडेय जी का जो पत्र मिला उसमें है--

".....fast unto death if the following 13 demands, the acceptance of which is in my opinion the only solution of the problems facing the people of the famine-stricken eastern districts, were not conceded.

यह भी वही कहते हैं कि यह १३ डिमान्ड्स मानना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--काम रोको प्रस्ताव के लिये अनुमति देने का प्रश्न मेरे सामने है। इसमें निश्चित जो प्रश्न विचार के लिये प्रस्तावक ने रखा है वह अनशन का है और उसका कारण बतलाया गया है कि सरकार ने उपेक्षा और निर्दयता का जो व्यवहार किया है उसके कारण वह अनशन कुछ व्यक्ति शुरू कर रहे हैं। मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई मांग सरकार से करता है और सरकार उसे पूरा नहीं करती है इस पर नाराज होकर यदि वह सदस्य अनशन कर दे तो यह तो निश्चित घटना हो गई कि अनशन किया गया लेकिन उसकी वजह से सरकार के किसी कर्तव्य से उसका सम्बन्ध नहीं आता है और न सरकार की कोई जिम्मेदारी उसके अनशन कराने में हो जाती है। सरकार से इसलिये उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वह सदस्य अनशन अपनी मर्जी से करता है। अनशन करना निश्चित भी हो तो भी वह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता क्योंकि सदस्य का वह स्वेच्छा से

किया काम है। हां, यह प्रश्न हो सकता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसे खिलाने पिलाने की, यह विषय हो सकता है कामरोको प्रस्ताव का। लेकिन वह विषय कामरोको प्रस्ताव में नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या पर तो काफी माननीय सदस्यों ने बहस की है। इस प्रस्ताव में कोई भी बात ऐसी निश्चित नहीं बतलायी गई कि कौन सा कर्तव्य सरकार ने नहीं किया। एक आमतौर पर अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति उपेक्षा, निर्दयता आदि ऐसे शब्दों का उपयोग करने से यह विषय बिल्कुल अनिश्चित हो गया है। कुछ व्यक्तियों ने अनशन किया यह निश्चित विषय है, लेकिन उसके लिये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिये अनशन किया। यह उनका स्वयं का कार्य है, उससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दे रहा हूं। बाकी जो विषय बताया गया है वह निश्चित नहीं है और इस कारण से मैं इजाजत नहीं देता।

साहिबगंज, जिला देवरिया में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक और कामरोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी का है कि "गत १७ अगस्त से अब तक देवरिया जिले के पडरौना तहसील के साहबगंज (सेवहरी) कस्बे में भूखे रहने वालों की हजारों की संख्या में इकट्ठा होना, तथा भीख मांग कर खाना जारी है। सरकार ने उन की सहायता करने के बजाय, उनको आतंकित करने के लिये सैकड़ों टोपधारी तथा अन्य पुलिस उक्त सेवरही कस्बे में भेज दिया है जिस से कस्बे तथा देहात दोनों में, इस अनावश्यक एवं अचानक पुलिस की तैनाती से वातावरण क्षुब्ध हो चला है। और जनजीवन संकट में पड़ गया है।

अतः इस लोक महत्व के आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें उनका कहने का मतलब केवल यह है कि पुलिस की जो तैनाती वहां की गई है उससे वातावरण क्षुब्ध हो गया है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी हो तो वह जबाव दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--इसकी जानकारी केवल यही है कि किसी स्थानीय इंतजाम की वजह से पुलिस वहां भेजी गई होगी, इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, इसके लिये वहां पर पुलिस की बेटैलियन बुलाई गई है और वहां पर तमाम भूखे लोगों को दबाने के लिये पुलिस के लोग.....

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं। मैं इसकी भी अनिश्चितता के कारण अनुमति नहीं देता।

समाचार-पत्रों में कार्यवाही के गलत प्रतिवेदन के विषय में शिकायत

श्री अध्यक्ष--अब कुछ अखबारों के बारे में मेरे पास शिकायतें आई हैं, मैंने उन अखबारों के कारेस्पांडेन्ट्स से कहा है कि वे मेरे कमरे में आ जायं। कल के एक संकल्प के संबंध में पायनिर, नवजीवन और नेशनल हेरल्ड आदि में कई अखबारों में कुछ थोड़ी सी गलत सूचना छप गयी है। एडजर्नमेंट मोशन के मेरे फैसले की गलत सूचना छपी है ऐसी भी मेरे पास शिकायतें आई हैं, उनकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता और न उनके लिये सदन का समय लेना चाहता हूं। किसी प्रकार की गलती होगी तो सरकार से जानकारी करके उनका ठीक से प्रतिवाद कर दिया जायगा और अखबार दूसरे दिन की

[श्री अध्यक्ष]

खबरों में भी दुरुस्ती कर देंगे। इससे ज्यादा और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह निवेदन करना है कि हमें ऐसा पता चला है कि सरकार की ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में कि वह यहां की प्रोसीडिंग्स के बारे में सूचना भेजा करें और उसका खर्च सरकार देगी। तो यह सूचना विभाग के द्वारा जो खबरें भेजी जाती हैं वह सब पहले ही चली जाती हैं.....

श्री अध्यक्ष---वह अखबार वालों से पूछ लेंगे।

विभिन्न जिलों में बाढ़ सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री, आपने यह कहा था, कल, कि बाढ़ के सम्बन्ध में आज तक का जो हाल प्रदेश का है वह सब जगहों का, जो आपके पास मौजूद है, वह आप कृपा करके बतायेंगे। तो जितनी नयी घटनाएं हुई हैं, जितनी बातें आप बता चुके थे उसके बाद की, वह बताइये। प्रारम्भ से सूचना न दीजिये।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---प्रारम्भ से नहीं देना चाहता, लेकिन एक-आध बात ऐसी हो सकती है, मसलन वर्षा कुल कितनी हुई है, वह प्रारम्भ से ही हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, अबकी बार जैसा सदन को मालूम है वर्षा होने में जुलाई में कुछ देर हुई। जून के आखिरी हफ्ते में कुछ इलाके में वर्षा हो गयी, लेकिन उसके बाद फिर काफी वक्फे के बाद जुलाई में वर्षा हुई। अब कुछ जिलों में जुलाई के आखिरी सप्ताह में जो वर्षा हुई वह जुलाई के महीने की जो उनकी नार्मल वर्षा हुआ करती थी उसको देखते हुए बहुत ज्यादा हो गयी। इसी तरह से अगस्त के पहले पखवारे में, अगस्त महीने का जो नार्मल रेन फाल होता था उससे भी ज्यादा कुछ जिलों में वर्षा हो गयी। इस कारण कुछ जिलों में काफी नुक्सान इस वर्षा से और इस वर्षा से जो बाढ़ आयी और बाढ़ से ज्यादा जो वाटर लागिंग हुआ है, उससे हुआ है। अब आपकी इजाजत से वर्षा के आंकड़े कुछ सदन को सुनाना चाहता हूं---

बिजनौर में जुलाई के कुल महीने में १२.८ इंच के औसत से वर्षा होती थी, लेकिन अकेले आखिरी सप्ताह में १३.८७, यानी १४ इंच के करीब वर्षा हुई। इसी प्रकार बदायूं में जुलाई के कुल महीने में १०.५ इंच वर्षा होती है, लेकिन अकेले एक सप्ताह में ८ २/३ इंच वर्षा हो गयी। इसी प्रकार मुरादाबाद में सारे जुलाई को वर्षा का औसत ११.७५ है, लेकिन आखिरी सप्ताह में ९ १/४ इंच वर्षा हुई। आगरे में सारे जुलाई की वर्षा का औसत ८ इंच के करीब पहुंचता है और एक सप्ताह में ७ २/३ इंच बारि हुई।

अगस्त महीने में जो वर्षा हुई उसमें मिसाल के तौर पर सहारनपुर है, वहां सवा १० इंच वर्षा का औसत सारे महीने का है, लेकिन अकेले पहले पखवारे में साढ़े १२ इंच वर्षा हुई।

इसी प्रकार मुफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर और बरेली में हुआ। बदायूं के बारे में तो मैंने बताया कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी ज्यादा वर्षा हुई, पर अगस्त के पहले पखवारे में भी बहुत वर्षा हुई है। सवा ९ इंच सात अगस्त के रेनफाल्स काम औसत है, लेकिन सवा ११ इंच पहले पखवारे में वर्षा हो चुकी है। मुरादाबाद में इस महीने में कम वर्षा हुई है। अलीगढ़ में सारे महीने में साढ़े ७ इंच होती है, तो एक पखवारे में ७ २/३ इंच हो गयी। आगरे में जुलाई के बराबर उसके एक सप्ताह में वर्षा हुई और अगस्त के पहले पखवारे में सारे महीने से ज्यादा हुई। सारे महीने में ८ इंच होनी चाहिए, लेकिन साढ़े ९ इंच पहली फोर्टनाइट में हो चुकी। बस्ती

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

में बारिश जुलाई में बहुत कम थी, बलिया में बहुत कम थी, आजमगढ़, गोंडा में बहुत कम थी, लेकिन अगस्त के महीने में इन चारों जिलों में जो सारे महीने का औसत है, उससे ज्यादा पहले पखवारे में वर्षा हुई ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने आपकी इजाजत से आंकड़े माननीय सदन को सुनाये हैं यह जिलों का औसत है, लेकिन जिलों के विशेष हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है । जो पर्टिकुलर पोर्शंस होते हैं उनमें ज्यादा हुई है । यह आप औसत सुन रहे हैं, तो जब यह औसत है तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि खास-खास इलाकों में इन जिलों में कितनी वर्षा हुई होगी ।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में ४ साल से, जो ५०–६० साल का तजुर्बा है और जो औसत आता है उससे दुगनी तिगुनी बारिश हुई । वहां जो नुक्सान होता है वह बाढ़ से नहीं होता है । गंगा और यमुना बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं । रामगंगा में बेशक बाढ़ आती रहती है जिससे मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और हरदोई आदि जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन गंगा जमुना से बाढ़ से नुक्सान नहीं होता है । वह बहुत बड़ी नदियां हैं और भंडार इतना अथाह है कि कितना ही ऊपर से पानी आ जाय अधिक नुक्सान नहीं होता है । चार साल से जितना पश्चिमी जिलों में नुक्सान हो रहा है वह छोटे-छोटे रिव्यूलेट्स के उफन जाने से उतना नहीं हो रहा है, जितना वाटर लागिंग से हो रहा है । वहां का जो नेचुरल ड्रेनेज है वह अपसैट हो गया है नहरों से, रजबहों से, रेलवे लाइन से, सड़कों से, चैनेल्स से और डेवलपमेंट वर्क्स से । इसलिये वहां ड्रेनेज की प्राबलम बहुत बड़ी हो गयी है, उसी से नुक्सान होता है । वैसे गंगा नदी का नरौरा में ज्यादा चढ़ाव है, ५८७.५ फीट है और वह चढ़ी ५८८.७ फीट यानी इसने डेंजर लेविल क्रास किया, लेकिन हाइरेस्ट लेविल क्रास नहीं किया । इसी तरह से कानपुर में रेलवे ब्रिज पर डेंजर लेविल ३७२ फीट है लेकिन गंगा १२ अगस्त को चढ़ी ३७२.९ फीट । इसी प्रकार से इलाहाबाद में हमारी यमुना का गेज सी लेविल से २७७ फीट । यानी यह डेंजर मार्क है । इसमें पानी २७६.५ तक चढ़ा यानी डेंजर लेविल क्रास नहीं किया है घाघरा में १२ अगस्त को मीडियम फ्लड्स थे । एलगिन ब्रिज और दोहरी घाट पर १४, १५ अगस्त को पानी डेंजर लेविल तक पहुंच गया था और राप्ती Birdghat पर लो फ्लड्स में १३ अगस्त को थी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमेंट को अभी सुनाये देता हूं । क्या हर जिले का जोड़ भी सुना दूं, क्या इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आज असरकारी दिन है इसलिये मैं समझता हूं कि ज्यादा सरकारी काम नहीं होना चाहिये । थोड़ा हो जाय तो कोई बात नहीं है । माननीय मंत्री जी आप संक्षेप में हर जिले की सूचना दे दीजिये ।

श्री चरणसिंह—यह मेरे पास स्टेटमेंट है जो मित्र जानना चाहें उसको देख सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, स्टैंसिल इसलिये नहीं हो पाता है कि लेटेस्ट खबर देने की कोशिश की जाती है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो आप स्टेटमेंट दें उसको स्टैंसिल करवा कर कल तक बंटवा दें ।

श्री चरणसिंह—जी हां, कल तक बंटवा दूंगा । अध्यक्ष महोदय, जोड़ इसमें दिया है । श्रीमन्, जो रकबा प्रभावित हुआ है वह है १९,१४,८७६ एकड़, मनुष्यों का नुक्सान २३,८२,८६३ हुआ और गांवों का जो नुकसान हुआ वह है ९,५९६ और ४३,०२,३, जाने जो जाया हुई हैं वह हैं ३३ और जानवर जो मरे या गुम हुये हैं वह हैं ७५६ ।

अध्यक्ष महोदय, शायद यह रेलेवेंट बात होगी अगर मैं यह अर्ज करूं कि इन ३३ आदमियों की मौत हुई है इनमें १६ केवल अलीगढ़ में और ८४ जानवर मरे हैं । लेकिन सबसे

[श्री चरणसिंह]

ज्यादा जानवर झांसी जिले में बेतवा की वजह से मरे हैं–५४४ जानवर। जो आदमियों की मौतें हुई हैं उनमें ४ आगरा में, ३ मैनपुरी में और ४ एटा में, एक एक और कहीं कहीं है। २ की लखनऊ में मौत हुई है। हो सकता है कि जो हमारे आंकड़े हैं इनमें कुछ और इजाफा हो जाय जैसी रिपोर्ट्स बाद में पहुंचें।

जहां तक गवर्नमेंट के करने की बात है बहुत से जिलों में रुपया पहले से मौजूद था कुछ रुपया बाद में दिया है। कुल अनुदान ४,७९,००० रुपया है और तकावी ५,१७,००० रुपया है। कुल ३६ जिलों में नुकसान हुआ है और इस वक्त नदियां सब जगह उतार पर हैं या उतर चुकी हैं सिवा गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ के। तीनों जिलों की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वहां वाटर लेविल राइज कर रहा है।

चीफ मिनिस्टर साहब दौरा कर चुके हैं, एटा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा आगरा, मुरादाबाद और बुलन्दशहर में हवाई जहाज से। जिलाधीशों को बुला कर आगरा में बातचीत कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वह आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, एटा, बदायूं, गोरखपुर, बस्ती और हरदोई को हुआ है।

जैसा मैंने अर्ज किया नुकसान जो हुआ है वह वाटरलागिंग से ज्यादा हुआ है।

अबकी बार एक और विशेषता रही है। १९५५ में अक्तूबर में बारिश हुई। जहां-तक मुझे याद पड़ता है अगस्त और सितम्बर में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में और पश्चिमी जिलों में १५ अक्तूबर को अधिक वर्षा हुई थी। पिछले साल जो वर्षा अधिक हुई और नुकसान हुआ वह सितम्बर की वर्षा थी, लेकिन अब की बार जुलाई के आखिरी सप्ताह में और अगस्त के शुरू के दिनों में जो बारिश हुई है वह लगातार होती रही है कई रोज तक और बहुत सी जगह जो खरीफ का रकबा बोया जाया करता था वह किसान बो नहीं सका है। जहां वह बो पाया, अंकुर निकला ही था, २–४ इंच का ही पौदा हो पाया था, वहां ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर सितम्बर में वर्षा होती और इससे भी ज्यादा होती तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान अब की बार हुआ है, अगरचे उतनी वर्षा अभी नहीं हुई है जितनी कि पिछले वर्ष या १९५५–५६ में हुई थी। ऐसा मेरा अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और आप की इजाजत से अर्ज करूंगा, जैसा कि मैं पिछले वर्षों में कह चुका हूं, उसकी ओर मैं माननीय मित्रों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जितना यह नुकसान सम्पत्ति का हमारी आंखों के सामने है जिसको कहा जा सकता है कि कांक्रीट डैमेज है जो आंका जा सकता है उससे ज्यादा नुकसान वह होता है जो स्वायल फर्टिलिटी के वाश अवे हो जाने से होता है। अगर फसल बोई गयी है या खेत खाली है उस पर जो वर्षा होती है–फर्टिलिटी की लेअर एक इंच टाप स्वायल में होती है, जब वह घुल जाती है तो २०,२० वर्ष में जाकर फर्टिलिटी लेयर बनती है। यह तो ज्यादा बारिश से नुकसान होता है। जहां पानी रुक जाता है उससे भी फर्टिलिटी जिन चीजों से पैदा होती है वह नीचे बैठ जाती है। उससे भी खेतों को बड़ा नुकसान होता है। असली नुकसान ३३ आदमियों की जान जाने, ७५० जानवरों की जान जाने का नहीं हुआ है। असली नुकसान वह है जो मैंने अर्ज किया जो वर्षों तक हमारे किसान ही नहीं सारी कौम को सतायेगा।

अध्यक्ष महोदय, साढ़े ६ लाख टन हमारे सूबे में मक्के की औसत पैदावार है। उस सारी मक्का की फसल को सारे सूबे में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मक्का बहराइच में बोई जाती है, जौनपुर में बोई जाती है और बुन्देलखंड में बोई जाती है और इससे भी ज्यादा पश्चिमी जिलों में बोई जाती है, लेकिन इन सब जगहों पर मक्का की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कपास की फसल पश्चिमी जिलों में बोई जाती है वह भी नष्ट हो गई है।

मैं पहले यह अर्ज कर चुका हूं कि जहां-जहां पर यह नुकसान हुआ है वहां से पहले भी तकाजा आ रहा था किन्तु अब और तकाजा बढ़ रहा है कि उनके यहां सस्ते गल्ले की दुकानें

खोली जांय। जैसा कि सदन को मालूम है कि हमारी भी कुछ लिमिटेशन्स हैं। बावजूद इसके कि लोगों को तकलीफ है, गल्ले की उनके पास कमी है, यह सब बातें समझकर भी आज कोई इलाज नहीं मालूम होता है कि जितनी दुकानें वह चाहते हैं वहां पर खोली जा सकें। भूसे के मुताल्लिक मैं अर्ज कर ही चुका हूं।

एक बात बतलाने से रह गई है और वह यह है कि मुरादाबाद में एक छोटा सा बान्ध है ठाकुरद्वारा तहसील में उसके ब्रीच होने की वजह से वहां १० गांवों में बहुत जबरदस्त पानी आ गया और वहां के लोग करीब-करीब बह चले। तो हमने रुड़की और बरेली से आर्मी अथारिटीज से सहायता मांगी और उन्होंने आनन फानन हमको सहायता पहुंचाई। इस सदन में मैं आपके जरिये से यह निवेदन करता चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट उन आर्मी अथारिटीज का बहुत एहसान मानती है और अपना आब्लिगेशन प्रकट करती है।

मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि गोरखपुर में एक मलानी बांध था वह गत रात्रि में ८ बज कर ५० मिनट पर ब्रीच हो गया उसके पीछे एक रिटायर्डबांध बनाया गया था वह भी ब्रीच हो गया। इन दोनों बान्धों के बीच में एक नदुआ गांव है वह गांव पीछे की तरफ जो एक रिंग बान्ध था उससे घिर गया। उस गांव में ४६ फैमिली रहती थीं। यहां इंजीनियर को पहले से कुछ आशंका थी कि शायद यह ब्रीच हो जाय। तो उन्होंने वहां लोगों से कहा कि तुम लोग इस गांव को खाली कर दो। ४० खान्दान उस गांव से कई रोज पहले जा चुके थे। केवल वहां पर ६ फैमिली रह गई हैं जिन्होंने बावजूद समझाने के उस गांव को नहीं छोड़ा। अब उन ६ फैमिलीज का क्या हुआ मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वे महफूज हों और परमात्मा करे वह महफूज हों। आज सबेरे जो बातचीत हुई वही मैं यहां बता रहा हूं। चीफ इंजीनियर यहां से वहां के लिये रवाना हो चुके हैं और कलेक्टर वगैरह मौके पर मौजूद हैं।

आज जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज आई है उसके अनुसार बस्ती में नदी चढ़ रही है। घाघरा और राप्ती अभी भी चढ़ रही हैं, लेकिन स्थित काबू में हैं। बाराबंकी के विषय में कल परसों तक खबर थी कि वहां पर नदियां चढ़ रही हैं, लेकिन अब खबर है कि वे घट रही हैं।

गोंडा के विषय में ३६ जिलों में बता चुका हूं। देवरिया के मुताल्लिक लेटेस्ट खबर है कि घाघरा चढ़ रही है।

गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में ही नदियां चढ़ रही हैं। देवरिया की तफसील यह है कि घाघरा चढ़ रही है और उसका मौजूदा लेविल २०९.६ फीट है। पिछले साल का लेविल २०९.९ फीट था। लिहाजा यह पिछले साल के मुकाबले में .३ फीट कम है। राप्ती और छोटी गंडक भी बराबर चढ़ रही हैं। बड़ी गंडक रिसीड कर रही है। ८५,२९४ एकड़ का रकबा ३८२ गांवों का प्रभावित है और १,७८,५९२ व्यक्ति प्रभावित हैं। अभी तक किसी आदमी या जानवर की जान के नुकसान होने का कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सहायता पहुंचायी जा रही है और १०,००० रुपया उनके पास पहले से है, अगर जरूरत होगी तो और रुपया दिया जायगा।

तो अध्यक्ष महोदय, जो जरूरी बातें थीं वह मैंने सदन के सामने रख दीं। मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी खुद तमकुही रोड, देवरिया गया था और उस स्थान पर हजारों आदमी इकट्ठा थे जो खाने की मांग कर रहे थे और उसके लिये पुलिस को प्रबन्ध करना पड़ा। दूसरे दिन वहां एस० डी० एम०, पडरौना, डी० एस० पी० और पुलिस फोर्स भी मौजूद थी और १,००० आदमी वहां यही मांग कर रहे थे कि हम को रोटी दो और हटाने से वह हटने के लिये तैयार नहीं थे।

श्री अध्यक्ष--बाढ़ से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री गेंदासिंह--सारी चीजें इकट्ठा हो गयी हैं। उसमें बाढ़-ग्रस्त इलाके के लोग भी थे और अभावग्रस्त इलाकों के भी लोग थे। तो मैं चाहता हूं कि अगर इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास हो तो वह बतलाने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बरहज बड़हलगंज के क्षेत्र से अभी आया हूं। वहां घाघरा के कटाव पर जो गांव हैं उनमें नावों की कोई व्यवस्था नहीं है। बरहज में केवल एक मोटरबोट है, वह पिछले साल लायी गयी थी और इस साल बेकार पड़ी हुई है। वहां के लोगों की झोपड़ियों में पानी हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक एक नाव का भी प्रबन्ध वहां नहीं किया है। माननीय मंत्री जी इसकी जांच कर लें। वह हवाई जहाज से नहीं हो सकती, इसलिये किसी दूसरे साधन से बड़हलगंज और बरहज के बीच की जो स्थिति है उसकी जांच अवश्य करालें।

श्री अध्यक्ष--अब अधिक इस विषय पर और विचार नहीं होगा। अब दूसरी कार्यवाही शुरू होगी।

खसरे में काबिज की कैफियत आदि दर्ज करने का नियम समाप्त करने के लिये समिति बनाने के विषय में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--श्री ब्रजनारायण तिवारी का संकल्प पर भाषण जारी होगा। माननीय तिवारी जी ५ मिनट बोल चुके थे और वे २० मिनट और बोल सकते हैं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संकल्प के संबंध में बोल रहा था। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है कि चाहे कैसा ही प्रस्ताव रखा जाय उसको वह एक अलग और निराले ढंग से देखती है। श्रीमन्, मैं लेखपालों के अधिकार के सिलसिले में आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व पटवारी समाप्त हो गये और उनकी जगहों पर नये लेखपाल आये। 'गये नागनाथ आये सांपनाथ' और श्रीमन्, यह भी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि यह बात भी सही नहीं है कि लेखपालों को भूतपूर्व पटवारियों से कम अधिकार दिये गये हैं। सही यह है कि लेखपालों को पटवारियों से हर दृष्टि से अधिक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। तनख्वाहें ड्योढ़ी, तरक्की के लिये सबको इजाजत और इसके अलावा यह किया गया है कि पटवारी को बुनियादी खाने में नाम दर्ज करने का, खारिज करने का अधिकार था, यह अधिकार लेखपालों को नहीं है। लेकिन श्रीमन्, जो एक अधिकार उसको प्रदान किया है खसरा के कैफियत के खाने में काबिज इन्दराज करने का, यह ब्रह्मा जैसा अधिकार है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस प्रदेश की साढ़े चार करोड़ से अधिक जनता जो काश्त पर निर्भर करती है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो यह अधिकार दिया उससे उनकी मंशा क्या है ? क्या उससे उत्पादन अधिक बढ़ेगा ? क्या उससे भूमि के बटवारे की समस्या हल हो जायगी ? क्या उससे अधिकार में समानता हो जायगी ? इससे न तो उत्पादन बढ़ने वाला है, न भूमि का वितरण होने वाला है और न नवैयत ही इससे मजबूत हो सकती है, यह केवल लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के लिये और मुकदमेबाजी के लिये किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि पहले माननीय मित्र पटवारियों को जो पहले अधिकार थे उनको बयान कर दें और फिर उनके मुकाबले में यह जो अधिकार हैं उसको देखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१३ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जहां तक मेरी जानकारी है पटवारी लोग जिस वक्त थे उस वक्त २० खाने खतौनी में थे जिनमें से १ से ५ तक जमींदारों के हक में थे, ६ से लेकर १२ तक काश्तकारों के हक में थे, १३, १४ जमींदारों के और १६ से लेकर २० तक शिकमी के खाने में दर्ज करते थे, लेकिन उसको किसी काश्तकार को समाप्त करने का हक नहीं था। समाप्त करने के लिये उसको रिपोर्ट करनी पड़ती थी और अधिकारियों के आदेश के मुताबिक किसान को भूमि से खारिज करना होता था। लेकिन लेखपाल का आज यह अधिकार है कि वह खतौनी के खाने में तब्दीली कर सकता है। अगर वह रेहन की हैसियत से काबिज है तो रेहन लिखेगा, शिकमी की हैसियत से काबिज है शिकमी लिखेगा, बटाई के हैसियत से काबिज है तो बटाई लिखेगा, हूंडा की हैसियत से काबिज है तो हूंडा लिखेगा, हरवाहे की हैसियत से काबिज है हरवाहा लिखेगा, इसके अलावा और भी उसे जो कुछ मालूम होता है उसके आधार पर लिखता है। लेकिन वह खेत की नवैयत नहीं बतलाता है कि किस आधार पर किसका कब्जा है।

माननीय मंत्री जी ने एक बार भाषण में कहा कि जिसको शुबहा हो कि खाते पर कब्जा क्यों लिखा गया है, उसको अदालत में चाराजोई करना चाहिये। यह जानने के लिये कि खेत पर कब्जा क्यों लिखा गया है, किस आधार पर लिखा गया है, उसको मुकदमा दायर करना पड़ता है। आप क्यों नहीं संशोधन कर देते कि जिस हैसियत से काबिज है उसी हैसियत से लिखा जाय और उसकी नवैयत बतायी जाय। मैं यह निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई भी दावा कब्जा छोड़ कर नहीं किया जा सकता। अगर दीवानी में दावा दायर करना हो तो हर आदमी यही कहता है कि खेत पर काबिज मैं हूं। किसी तरह कब्जा न भी हो तो कब्जा दिला दिया जाय। झूंठ बोलने की आदत आप क्यों सिखाते हैं। इसलिये कि आपने कानून में यह व्यवस्था की है कि चाहे वह सीरदार हो या अधिवासी हो तीसरे आदमी को वह भूमि उठा नहीं सकता। जब नहीं उठा सकता तो आप पता लगायें कि कितने लोग आपके कानून की अवहेलना कर रहे हैं और भूमि उठा रहे हैं। चाहे बटाई पर हो, चाहे साझेदारी पर हो और चाहे रेहन की हैसियत से उठायी गयी हो। मैं एक जगह के आंकड़े लगभग बता सकता हूं। पडरौना तहसील में करीब ४०,००० मुकदमें ग्राम सभाओं की तरफ से दाखिल होने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या है?

आपने कहा था कि पटवारियों की बात जाने दीजिये, अब लेखपालों के बारे में बतलाइये। मैं उन्हीं के बारे में यह पूछना चाहता हूं कि शिकमी के बारे में जो पुराना इन्दराज पटवारियों ने किया था, उनकी आपने कोई जांच करवायी कि वास्तव में वे शिकमी हैं भी या नहीं हैं? शिकमी का मंशा यह है कि काश्तकार लगान के आधार पर अपनी अराजी उठावे तो उसे शिकमी माना जाय। लेकिन यहां हुआ क्या है, किसी ने अपनी कमजोरी से अपनी आराजी उठा दी या किसी ने रेहन कर दिया तो उसको भी पटवारी ने शिकमी लिख दिया। तो पटवारी के उस लेख को तो आप ब्रह्म लेख मानते हैं और उसी पटवारी को फिर गलत मानते हैं, जब उसने सन् ५६ व ५९ में शिकमी का इन्दराज कर दिया। एक तरफ तो आप पटवारी के लेख को ब्रह्मलेख मानते हैं और फिर उसी पटवारी को बेईमान कह कर निकाला गया। इस बात से यह साबित होता है कि गलत इन्दराजात हुए हैं और आपने इसके लिए कोई इन्क्वायरी कमेटी नही बैठायी कि वाकई में वे शिकमी हैं या नहीं हैं। शिकमी का मंशा यही होता है कि किसी ने मुस्तकिल तौर पर अपने खेत को लगान पर उठा दिया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ९० प्रतिशत शिकमी काश्तकार जो माने गये हैं वे वास्तव में शिकमी नहीं हैं बल्कि उनका इन्दराज बिल्कुल गलत है। इससे बड़ी अशान्ति है।

दूसरी बात यह है कि आपने लेखपालों को काबिज लिखने का जो अधिकार दिया है वह गलत है, उसे आप वापस लें। उनके हाथ में यह अधिकार देकर आप काश्तकारों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझ यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि चकबन्दी

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

जो २७ तहसीलों में हो रही है वहां भी बहुत से गलत आंकड़े देखने को मिले हैं। ५०,५०,९०२ तो चक बनेंगे और उनके खसरा, खतौनी और नक्शे में ७९,७६,६६६ गलतियां पायी गयी हैं। मैं तो समझता हूं कि ऐसी सरकार को मोरेली इस्तीफा दे देना चाहिये जिसके शासन में ५०,००,००० चकों में ७९,७९,६६६ गलती निकले। यह सरकार एक मिनट के लिये भी यहां रहने के काबिल नहीं है।

कहा यह जाता है कि यहां भूमि के बटवारे की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून के द्वारा भूमि अपने आप भूमिहीनों में बटती चली जायगी। श्रीमन्, मैं आपके सामने आजमगढ़ का एक दृष्टान्त पेश करूं कि वहां पर ५० प्रतिशत् किसान जो अपने खेतों पर काबिज हैं आज क्यों बेदखल किये जा रहे हैं। किसी मैजिस्ट्रेट ने जाकर उनके खेतों का कब्जा लिखा था, फिर गौहरपुर के किसान क्यों बेदखल हो रहे हैं? इस तरह से भूमि बटवारे की समस्या हल होने वाली नहीं है।

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि अगर शहर में कोई आदमी रहता है जो अपनी जमीन पर मकान बना कर उसका किराया पचासों वर्ष तक वसूल करता रहता है फिर भी मकान उसी का रहता है, तो फिर इन किसानों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अगर किसी ने अपनी कमजोरी से लाचारीवश अपना खेत किसी के हाथ दो तीन साल के लिये उठा दिया तो उस पर उसका हक न रहे और वह दूसरे के कब्जे में चला जाय। एक किसान है जो अपने खेत को जोतता है, बोता है और अन्न पैदा करता है उसकी हैसियत से मैंने यह बयान किया। अब मैं फिर आपके सामने बयान कर रहा हूं कि मंत्री जी अपने भाषण में बाहर कह चुके हैं कि वही देश सम्पन्न है जिसमें ५० फीसदी से कम लोग खेत पर निर्भर हों। यह नक्शा उनके दिमाग में चक्कर काट रहा है कि खेत पर से किसको हटाया जाय। बड़े लोगों को हटा नहीं सकते, क्योंकि उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने एक पुस्तक छापी है "एग्रेरियन रिफार्म इन उत्तर प्रदेश" बड़ा क्रान्तिकारी प्रोग्राम है। उनका कहना है कि जमींदारी एबालीशन के बाद काश्तकार अपनी जमीन पर चारपाई बिछा कर सोता है। ठीक है जमींदारी एबालीशन के पहले काश्तकार जमींदार की जमीन पर सोता था, लेकिन अब जब आजादी हो गयी है और वह भूमिधर हो गया है उसकी कमर में रस्सा बांधा जाता है बैल खुलवा लिये जाते हैं। पहले गांव सभा उसको बेदखल नहीं करती थी। उस समय यह नहीं था कि उसको ट्रेसपासर मान लिया जाय। जिस समय गुलाम थे तो बकिया लगान के लिये नोटिस होती थी, ३, ३ वर्ष बाद बकाया वसूल होती थी और यह नहीं था कि चारपाई बिछाने की इजाजत तो आपने दे दी, लेकिन भादों के महीने में चपरासी भेज दिया।

आपकी इजाजत से मैं जरा एक बात और अर्ज कर दूं। अभी भुखमरी का प्रश्न उठाया जा रहा था। अगर सरकार की समझ में हमारी ३ मांगे आ जायं तो यह सारा आन्दोलन खत्म हो जाय और सभी लोग संतुष्ट हो जायं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह तो कर ही सकते हैं कि विपत्ति के समय जो वसूली होती है उसका मांगना छोड़ दें। भादों के महीने में जब लोग भूखों मर रहे हैं और काश्तकार के लड़के अपना नाम स्कूल से कटा रहे हैं उस समय चपरासी बैल खोलता है और कमर में रस्सा बांधता है, यह सब बन्द किया जाय। किसान यह समझता है कि इसके खिलाफ लड़ना जायज नहीं है, वह मुरव्वत में फंसता है। आप उसकी यह सहायता कर सकते हैं कि उससे ऐसे समय में लगान न मांगें और जो उसकी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करें। लेकिन ऐसा करने के लिये आप तैयार नहीं हैं। इसी तरह से इस मामले में भी मैं समझता हूं कि सरकार का रुख क्या होगा?

अब आगे मैं यह बयान करूंगा कि जमींदारी एबालीशन के बाद जो यह कैफियत के खाने में काबिज का इन्दराज का अधिकार देकर माननीय मंत्री जी ने हमको कमजोर किया और वह कमजोर इस तरह किया कि आजादी की लड़ाई में हमने योगदान दिया। योगदान देने से आप जब पदासीन हुए और आपकी हुकूमत आई तो आपने कहा कि १० गुना

दाखिल करो। स्वराज्य होने से पहले लार्ड कार्नवालिस जब बंगाल के गर्वनर थे उस समय जो काश्तकार लगान अदा करता था उसके मुकाबले में आज जब कि काश्तकार भूमिधर बन कर अपनी जमीन का मालिक हो गया है उससे ज्यादा लगान वह आज आपको अदा करता है और वे अधिकार जो उसको उस समय थे भूमिधर बनने के बाद भी आपने उसको नहीं दिये हैं। १० गुना लेने के बाद भी आपने वे अधिकार उसको नहीं दिये हैं और पक्षपात किया है।

जो सीरदार है उसके लिये यह है कि ३ वर्ष के भीतर अगर अपनी आराजी वापस कराने के लिये नियत कोर्ट में दावा दाखिल न करे तो फिर उसको गांव सभा बेदखल कर दे। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि जितने सीरदार काबिज इन्दराज हुए हैं वे कमजोर लोग हैं। यह ठीक है कि जिन्होंने काश्त नहीं की है, या काश्त करने में कमजोर हैं या इस काबिल नहीं है कि पूरे तरीके से खेती कर सकें उनमें अधिकांश लोगों ने बटाई पर जमीन दी है। आज ऐसी भुखमरों की अवस्था है कि ५० रुपये की ज्वार ५ रुपये में वे बेचते हैं। आज वह खेत रेहन हैं और सीरदार लोग रेहन किये हैं, जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है और इस प्रकार उन पर काबिज दर्ज हुए हैं और आज वह बेदखली के मुंह में हैं। तो हमने यह देखा कि उन काश्तकारों को जिन्होंने दस गुना सरकार के एलान पर नहीं दिया उनको केवल बेदखल करने की नीति सरकार की है और वह बेदखल करना चाहती है कम भूमि वालों को, गरीबों को और जो शक्तिहीन हैं उनको बेदखल करके माल मन्त्री जी चाहते हैं कि भूमि के भार को हलका करें। यह नहीं कि बड़े लोगों की जमीन की हदबन्दी करें और उनसे अधिक जमीन लेकर वह उसका बटवारा करें। उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि बड़े-बड़े फार्म वालों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, सम्भव है, आगे मन्त्री जी एक और संशोधन लायें साढ़े बारह एकड़ से अधिक जमीन वालों के लिए कुछ सोच रहे हैं इधर उधर गड़बड़ करने के लिए। तो मैं इस सदन को यह बता दूं कि उन्होंने सब से पहले यह अधिकार दे रखा है फार्म वालों को कि जिस फार्म का मैनेजमेंट ठीक होगा और वह यह सिद्ध कर दे कि इससे उत्पादन बढ़ सकता है तो वह अपरिमित खेत रख सकता है। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो यह केवल गरीबों के हित के खिलाफ है यह जो अधिकार उन्होंने दिया है काबिज लिखने का।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बड़े तपाके के साथ जब कभी बहस प्रारम्भ होती है तो माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि हम चक बना रहे हैं और इससे उत्पादन बढ़ेगा। जमींदारी एबालिशन किया, पटवारियों को हटाया और चकबन्दी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तरीके पर कहता हूं कि इससे न तो उत्पादन बढ़ेगा न भूमि पर उनके अधिकार बढ़ेंगे और न तो इससे वह शान्ति स्थापित होगी। जमींदारी एबालीशन के बाद यह तीन प्रक्रियायें अपनी जगह पर उग्रतर होती जायंगी और इससे असन्तोष बढ़ता जायगा।

अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि चकबन्दी के बाद, जब काबिज लिखने का लेखपाल को हक है तो आप कैसे रोक सकते हैं, चक बनने के बाद जरूरी है कि वह बंटाई पर दें, जरूरी है कि वह रेहन करें और रेहन करने के बाद जब जुज हिस्से पर काबिज लिखने की इजाजत देंगे तो गांव सभा उसको बेदखल करेगी। अगर भूमिधर है तो उसको तो बेदखल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर भूमिधर देता है तो जिसके हक में देगा उसके हक में हो जायगा। तो कैसे आप टुकड़े होने से रोक सकेंगे? इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, यह जो एक बवाल खड़ा कर दिया है, उसको समाप्त कर दें और तब मैं समझता हूं कि आपकी जो चकबन्दी योजना है वह किसी हद तक कायम रहेगी।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप जरूरी समझते हैं कि खसरे में कोई इन्दराज होना चाहिए तो किसी इन्दराज को करने के लिए एक कमेटी का निर्माण

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

कर दीजिए और वह कमेटी बैठकर सोचे कि वह कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है जिससे यह काम किया जाय। मैं बताना चाहता हूं कि जब इन्दराज होने के बाद हमको मुकदमा लड़ना पड़ता है और हम इन्तखाब के चक्कर में पड़ते हैं कि किसी का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो उसी हैसियत में क्यों नहीं इजाजत देते कि जो विवाद-ग्रस्त क्षेत्र पर काबिज है वह दरख्वास्त दे। जैसे आपने लेखपालों के अन्य अधिकार वापस किये हैं कि वह किसी का नाम खतौनी में नहीं लिख सकते उसी प्रकार यह भी अधिकार उनसे वापस ले लें कि जब तक ऊपर का आदेश उनको न हो तब तक कैफियत के खाने में भी इन्दराज न करें।

श्री अध्यक्ष--(श्री गेंदासिंह से) आप ५ मिनट ही बोलना चाहते हैं ?

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--जी हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजनारायण जी का जो प्रस्ताव है वह बहुत साफ है और जिन लोगों का गांव के कागज से और गांव के किसानों से ताल्लुक होगा इसको समझने में उनको आसानी होगी। कब्जा लिखने का अधिकार उनका कहना है कि लेखपालों को न रहने दिया जाय और इसके स्थान पर क्या हो उसके लिए फिर विचार करने के लिए कोई समिति मुकर्रर हो। कब्जा लिखने का अधिकार सरकार ने उनको दे रखा है और मैं समझता हूं कि पिछले जमाने के पटवारियों से लेखपालों के अधिकार कुछ कम किये गये। लेकिन दिक्कत एक हुई। लेखपालों के अधिकार कम करने के बाद भी जमींदारी एबालीशन के बाद जो नये-नये अधिकार गांव समाज को और गांव समाज से सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेखपालों से भी जो आये वह फिर सब मिला कर पुराने पटवारियों को जो पुराने जमाने में अधिकार मिले हुए थे उससे बढ़ गये। और आज इस काबिज लिखने में इस बात की जरूर गुंजाइश की गई कि जिस वक्त काबिज या कोई नया इंदराज लिखें तो गांव सभापति इत्तला करे। अध्यक्ष महोदय, गांव सभा के अध्यक्ष की कोई हैसियत लेखपाल को समझता नहीं वह अपने को इन लोगों से ऊंचा समझता है और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं जिनमें गांव सभा का सभापति लेखपालों से डरता भी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है, इस समय मैं किसी के ज्ञान को चैलेन्ज नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि इस प्रस्ताव के माने कई आदमियों ने मुझसे पूछे कि भाई इसके क्या अर्थ हैं। तो ज्यादातर लोगों ने, जो यहां के पढ़े लिखे सदस्य हैं, इसके शायद समझने में दिक्कत समझी। माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी समझते हों और शायद वित्त मंत्री जी समझ रहे हों, बाकी लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है। तो इस प्रकार का अधिकार जिसको दिया हुआ है और जिसको समझने में लोगों को कठिनाई हो तो ऐसे मामले पर तो एक हजार बार सोचना चाहिये कि यह तो सर्वसाधारण लोगों के लिये है जो बिना पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कानून बनाना चाहिये जिसको जानने में लोगों को आसानी हो। और जो काबिज वाली बात माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी ने कही यह तो अधिकार इसलिये दिया गया है कि जिसका कब्जा हो उसको सही-सही लेखपाल लिखे। लेकिन यह प्रबन्ध सिर्फ हमारे यहां ही है, सारे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है कि किसी पटवारी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह किसी जमीन पर किसी का कब्जा लिख दे तो उसको फाइनल समझा जाय, और वह समझा भी जाता है, क्योंकि कोई जल्दी अदालत में जाता नहीं और फिर उसी की बात मानने को मजबूर होते हैं, क्योंकि राजस्व मंत्री जी का कहना है कि लेखपाल से बढ़ कर सच बोलने वाला सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है।

श्री चरणसिंह--मैं जानना चाहूंगा कि मैंने कब कहा ? गलतबयानी की कोई सीमा होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह---मैं समझता हूं कि इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमारा रोज का व्यवहार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि रोज का व्यवहार हो रहा है कि बात खूब बढ़ाकर कहने का ?

श्री गेंदासिंह---आज माननीय राजस्व मन्त्री जी भी यह समझने लगे कि लेखपाल भी झूठ बोलता है, यह खुशी की बात है । तो मैं कह रहा था कि लेखपाल को इस तरह का अधिकार दे देना खतरे से खाली नहीं है । इस जगह पर अगर सारे भारतवर्ष में कब्जा लिखने की कोई प्रथा हो तो क्यों न प्रदेश की सरकार सारे भारतवर्ष से सीखे और इस ६,३२,००,००० लोगों के सिर पर यह लेखपाल ही रूप में नहीं है कहीं पर पटवारी है, कहीं पटवारी और पुलिस दोनों हैं और कहीं लेखपाल हैं । मतलब यह है कि उसको हर दर्जा हासिल है । तो इसके स्थान पर कोई दूसरी चीज ऐसी सोची जाय और जो मैं समझता हूं माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के प्रस्ताव से बहुत स्पष्ट है कि इस खतरनाक कौम के अलावा दूसरी कौन संस्था ऐसी हो सकती है जो जमीन पर कब्जा लिखने में अनपढ़ लोगों के साथ न्याय कर सके और जो बर्ताव वह आज कर रहे हैं वह हमेशा न करें । बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं इसी विषय पर बोलना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---मैंने आपको भाषण के लिये नहीं बुलाया है, मैं समझता था कि आप कुछ और कहना चाहते हैं । अब श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी बोलेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय....,

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आसानी के लिये सरकार का दृष्टिकोण समझ लिया जाता पहले, क्योंकि शायद श्री दीपनारायणमणि जी न समझा पायें। यानी सरकार इसको उचित समझती है, मानेगी या नहीं मानेगी, वह कोई खामी तो नहीं पाती है ? यह सब मालूम हो जाता तो हमें विवाद में आसानी हो जाती ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मन्त्री जी इन्टरवीन करना चाहते हों तो बता दें ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के बनाये हुए तो वह नियम हैं ही, उनका विरोध हो रहा है, कोई खास बात बताई तो नहीं गई है कि क्यों विरोध हो रहा है और क्यों कमेटी बनाई जाय । सरकार का मत तो इस में साफ है कि वह इस का विरोध करेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपने हमारा नाम पुकारा था.....

श्री उपाध्यक्ष---पहले विरोधी दल के सदस्य बोल चुके हैं इसलिये अब सरकारी पक्ष से बोल लें श्री दीपनारयणमणि त्रिपाठी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी के प्रस्ताव पर, जो यह है कि सदन यह निश्चय करता है कि लेखपालों को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार तुरन्त समाप्त किया जाय, साथ ही खसरे में कैफियत के खाने में काबिज आदि दर्ज करने का नियम भी समाप्त कर देने के लिये एक समिति बनायी जाय और उसके सुझाव के अनुसार कार्य किया जाय, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे यहां जो भूमि की व्यवस्था

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

है वह जमींदारी टूटने के बाद इस ढंग से आई कि जिसमें अनेक प्रकार की गड़बड़ियां पैदा हुईं। यह प्रदेश क्या यह देश ही एक खेतिहर देश है और यहां की कानून व्यवस्था का तीन चौथाई भाग भूमि के कानून से ही सम्बन्धित है। जमींदारी टूटने के बाद जो भी यहां विधि विधान बने उन से लगातार चौधरी चरण सिंह साहब का सम्बन्ध रहा है और वह यहां के लिये विशेष रूप से इस व्यवस्था को ला सके हैं, भूलें हो सकती हैं, हुई हों और वह तो होती हैं और होती रहेंगी। फिर भी जो कानूनी व्यवस्था भूमि सुधार के सम्बन्ध में उन्होंने दी है, यह सभी सदन के माननीय सदस्य मानेंगे कि वह एक ऐसी व्यवस्था है कि जिस से हमारी बहुत कुछ समस्यायें हमारे मन के लायक बन सकी हैं। परन्तु फिर भी लेखपालों के इन्दराज की जो व्यवस्था है उसके दो पक्ष हो सकते हैं चाहे यह प्रस्ताव हो या न हो। जमींदारी के समय में ऐसी हालत थी कि किसान जोतते थे और उनका नाम नहीं चढ़ पाता था और जमींदार जान बूझकर किसानों के नाम पर इन्दराज नहीं होने देते थे और जमींदार को हक था बेदखली नहीं हो सकती थी। बहुत से लोग खेत जोतते हैं और उसके बाद भी अब तक ऐसी प्रथा है कि लेखपाल के काम में व्यस्तता के कारण नाम उन के दर्ज नहीं हो पाते। आज भी ऐसे किसान हैं और गरीब लोग हैं उनका इन्दराज कराना बहुत आवश्यक था, इसीलिये इसमें अधिवासी का नाम दिया गया कि अधिवासियों के नाम दर्ज किये जायं और अधिवासियों को प्रशासन ने कुछ ऐसे अधिकार भी दिये कि वह भी बेदखल न किये जायं जो सन् १९५६ में बेदखल हो गये थे, तो उससे कुछ लोगों को राहत मिली। तो यह जो व्यवस्था थी वह कुछ समय के लिये तो ठीक थी। ऐसा न हुआ होता तो लाखों ऐसे किसान जो भूमि के इच्छुक थे और जो वाकई खेत जोतते थे, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं था, अगर वे शिकमी में दर्ज नहीं होते तो फिर बड़ी कठिनाई होती। खेती से वह विहीन हो जाते। मुझे मालूम हुआ कि यहां इस सदन में प्रोसीडिंग्स में पहले भी आ चुका है कि इस पक्ष से यह मांग की गयी थी कि ऐसे किसान जो खेत जोतते हैं उनका नाम पहले से दर्ज होना चाहिये था। शिकमी दर्ज करने की बात थी। वह उसी आधार पर बने थे।

अब परिस्थिति ऐसी पैदा हुई है कि हम लोग गांव में, जिलों में देखते हैं कि मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ रही है और बढ़ी है। अदालतों में बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिये स कानून में पटवारी को नाम दर्ज करने का अधिकार देकर हम एक ऐसी परिस्थिति का विकास कर रहे हैं जिससे कि ऐसा अनुमान लग रहा है कि किसान नाम रहते हुए भी वे खेत नहीं पा सकते हैं। इसलिये अच्छा यह है कि एक बार यह निश्चय हो जाय कि अगर चकबन्दी होती है तो जहां चकबन्दी होती है वहां तो कागजात दुरुस्त हो गये, लेकिन जहां नहीं है वहां ऐसे इन्दराजों पर बराबर मुकदमे चल रहे हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां और हर जगह हम देखते हैं कि जिनका नाम दर्ज है उनको १० रुपये खाने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वह उस इन्दराज के चक्कर में पड़कर लड़ते हैं और पैसे वाले उनको लड़ाते हैं, इससे बरबादी होती है। तो मैं समझता हूं कि इस इन्दराज के होने से एक फायदा तो है कि यह संतोष है कि कागज में हमारा नाम दर्ज है, लेकिन वास्तविक रूप से उनको यह भूमि मिलने में कठिनाई होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था सोचें और बनायें कि एक बार हमेशा के लिये निश्चय हो जाय कि किसका खेत है। तो १०-१५ वर्ष के लिये स्थायित्व देकर इन्दराज करके बन्द कर दिये जायं। इसलिये कि जो लेखपाल हैं उसने एक को कैफियत में दर्ज किया और फिर नोटिस भी नहीं पहुंचा और फर्जी दस्तखत कराये, जो फार्म ईश्यू होते हैं १२-सी सूचना वाले और १०-पी उनमें फर्जी दस्तखत हो जाते हैं और जिनका नाम दर्ज है वादी और प्रतिवादी उसमें लेखपाल अपने मन से कार्यवाही कर लेते हैं। हम विधायकों को भी माननीय वित्त मन्त्री की कृपा से ऐसा अवसर मिला कि हम अपने यहां से ५ गांवों को चुन कर के पड़ताल करें। तो हमने जो पड़ताल की उससे ऐसा अन्दाजा लगा कि इस इन्दराज करने की व्यवस्था की समाप्ति आवश्यक मालूम होती है और करनी चाहिये। लेकिन साथ ही दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिनकी जोत है और नाम दर्ज नहीं है तो वह हो जाय और स्थायी रूप से जमीन के रेकार्ड्स को ठीक करके इस व्यवस्था को खत्म किया जाय।

बिहार में भूमि के मुकदमे बहुत कम हैं। थोड़ी भूमि हमारी भी बिहार में है। हमने जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वहां पर इस तरह के शिकमी की कैफियत वाले बहुत कम मुकदमें अदालतों में जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है कि हम ऐसी व्यवस्था ला सकें कि जिसकी जोत है उसको तो शिकमी का हक मिलना चाहिये। उसको देने के बाद बार-बार यह कहा जाय कि दूसरे की जोत है, तीसरे की जोत है और भूमि की व्यवस्था में बराबर लड़ाई चलती रहे तो किसानों के पैसे की बड़ी बरबादी है और जो न्याय बड़ा महंगा पड़ रहा है, वह क्यों पड़ रहा ह ? यह तो जैसी हमें अंग्रेजों से व्यवस्था मिली उसी के मुताबिक गांवों में अदालतें बनीं। वहां जो मुकदमें होते हैं उनके ऊपर अपील होती है। तो इस तरह से एक ऐसा सर्किल बन गया है कि इस कानून से जितनी राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो लेखपालों को नाम दर्ज करने का अधिकार मिला हुआ है इसमें कुछ जरूर रुकावट होनी चाहिये, बल्कि अच्छा है कि हमेशा के लिये यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये। अगर उसमें कोई ऐसी बात महसूस हुई प्रशासन को तो पुनः कोई सुधार करें, मगर जब तक यह चीज समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह जो सर्किल चलता है बुराई का वह हमेशा बढ़ता जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--व्यवस्था का प्रश्न। मैं माननीय सदस्य के भाषण से यह समझ नहीं पा रहा हूं कि वह प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध कर रहे हैं। वह एक ही साथ में कहते हैं कि प्रस्ताव की मांग ठीक है, कानून में सुधार होना चाहिये और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह एक पक्ष की बात कहें तो कुछ समझ में भी आवे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में काफी कलाकार हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, यह व्यवस्था उपाध्यक्ष की ओर से नहीं होगी बल्कि वह तो समझने वाले की बुद्धि के अनुसार समझ में आयेगी। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जहां तक दर्ज होने का प्रश्न है यह बहुत दूर तक जा चुका है और इसको समाप्त होना चाहिय। यह व्यवस्था क्यों रही ? मैंने बतलाया कि इतने अधिवासी थे और इतने लोग थे उनको रेहन पर दी थी इसलिये यह व्यवस्था चली थी। श्रीमन्, मैं अपना सुझाव दे रहा था कि हमारे प्रदेश में जो छोटे किसान हैं वह एक बीघे, दो बीघे और चार बीघे के शिकमी दर्ज हैं, ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था का अंत होना किसानों के लिये आवश्यक है। इसलिये मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले तो मैं आपको यह बतला दूं कि मैं भी पटवारी रहा और पटवारगीरी की नौकरी छोड़कर १९३० में कांग्रेस में आया। इसलिये मैं उनकी बातें जानता हूं। एक किताब मैंने पढ़ी है जो हमारे मन्त्री जी ने लिखी है "अब और तब" यह किताब पटवारियों के बारे में है। वह अब के लेखपालों और पहले के पटवारियों के बारे में है। वाकई इस किताब के पढ़ने से तो साबित होता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो इन्कलाब हो गया है, लेकिन अमल में एक हुरूफ भी नहीं हुआ है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि अब पहले से ज्यादा परेशानी किसानों को बढ़ गयी है। यह तो जरूर फर्क हुआ है कि पहले के पटवारी एक रुपये में इंतखाब दे देते थे और अब के पटवारी १०-५ रुपये में देते हैं। पहले के पटवारी तो डरते थे, लेकिन अब के पटवारी कतई नहीं डरते हैं। पहले के पटवारी थे, लेकिन अब के पटवारी तो लेखपाल हैं। पहले के पटवारी जमींदारों से डरते थे, लेकिन अब तो जमींदार नहीं रहे, जो कुछ है वह सरकार है और उसके वह मातहत हैं। वही हाल है "जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का" अब तो लेखपाल के बजाय यदि उनको राजपाल कह दिया जाय तो कोई बुराई की बात नहीं है।

[श्री बालकराम]

अब मैं आपको बताऊं कि खाना कैफियत में काबिज लिखने का पटवारियों को जो हक है, वह खत्म कर दिया जाय ऐसा हमारे तिवारी जी का क्यों प्रस्ताव है। पहले पटवारी शिकमी के खाने कैफियत में लिखते थे और यह लिखना पड़ता था कि रेहन के जरिये शिकमी है, या पट्टे के जरिये से है या बटाई पर है। अब वजह लिखने की जरूरत नहीं है बस काबिज लिख दिया। इतना बड़ा अधिकार है चाहे कोई काबिज हो या न हो। अगर नहीं है और वह किसी काश्तकार से नाराज हो गया तो उसके खाते के खाने कैफियत में किसी जबर्दस्त आदमी का नाम लिख देगा आगे चाहे कुछ हो। उन्हें रेहन का हक है इसका नतीजा यह है कि पहले उत्तर प्रदेश में जितने मुकदमे शिकमी और काश्तकार के चलते थे आजकल उससे दुगने चलने लगे हैं और जिसकी तरफदारी करना चाहते हैं उसको दस बीस वर्ष का काश्तकार शिकमी है वह बात नहीं लिखते हैं। मिसाल के तौर पर शाहजहांपुर जिले में मेरे ही क्षेत्र में पहले के जो एम० एल० ए० थे उनकी सीर थी। उन्होंने कभी हल नहीं चलाया और कई काश्तकार बीसियों वर्षों से उनके शिकमी थे, लेकिन पटवारी ने उनको कभी उनकी वजह से शिकमी नहीं लिखा और न काबिज ही लिखा। इसका नतीजा यह हुआ कि दो साल तक काश्तकार मुकदमा लड़े और हार गये। क्योंकि वहां काबिज तो लिखा ही नहीं था। जहां जरूरत नहीं होती है वहां पर लेखपाल काबिज लिख देते हैं और दूसरे को लड़ा देते हैं। वह तो समझते हैं कि एक हमारे पास जरूर आयेगा। १००, ५० रुपया देगा। फिर जब मुकदमा चलता है तो एक कहता है कि १०, २० रुपया ले लो इंतखाब दे दो, दूसरा कहता है कि ५० रुपया ले लो इंतखाब दे दो। जिसकी पैरवी करनी होती है वह उससे रुपया ले लेता है। मैं मिसाल के तौर पर शाहजहांपुर के थाना बंडा में देवकली के करीब एक गांव है वहां का किस्सा बतलाता हूं। वहां के पटवारी ने एक आदमी को काबिज लिख दिया और मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद कलेक्टर साहब ने उसकी जांच की। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पटवारी की गलती पकड़ी और लेखपाल को बरखास्त कर दिया।

एक मजे की बात बताऊं और वह यह कि लेखपाल जो पड़ताल करता है वह ज्यादातर फर्जी पड़ताल करता है। वह १०, १२, १५ नम्बर तो सही लिख लेता है और उन्हीं की जांच जाकर कानूनगो करते हैं, उन्हीं की जांच जाकर तहसीलदार करते हैं, उन्हीं की जांच जाकर हाकिमपरगना करते हैं। इस जांच का मतलब क्या हुआ? पटवारी ने १०, १२ नम्बर सही कर लिये बाकी फर्जी लिख दिये। कानूनगो, तहसीलदार और हाकिम परगना ने उन्हीं की जांच की। तो जांच क्या हुई? जांच करने का मंशा यह है कि अगर कानूनगो ने उत्तरी हिस्से में जांच की, तो तहसीलदार दक्षिणी हिस्से में जांच करे और हाकिम परगना पश्चिमी हिस्से में जांच करे। यह क्या जांच है जिन नम्बरों की जांच कानूनगो ने की उन्हीं की जांच तहसीलदार ने कर ली और उन्हीं की जांच हाकिम परगना ने की। कलेक्टर साहब ने गलती पकड़ी तो लेखपाल को तो बरखास्त कर दिया, लेकिन तहसीलदार, हाकिम परगना और कानूनगो जिन्होंने सब ने जांच की थी, साफ बच गये। जब पटवारी की गलती थी, उस गलती की जांच कानूनगो साहब ने की, तहसीलदार साहब ने की, हाकिम परगना साहब ने की तो उनको पहले मुअत्तल करना चाहिये और सजा मिलनी चाहिये। लेकिन सजा मिली पटवारी को।

एक बात और है। कुरिया कलां एक मौजा है जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पिछले चेयरमैन प्रतिपालसिंह रहते हैं। वहां एक मुसम्मात हैं। ढाई में उनका मैका है। उनके पति मर गये। उनके पास १०० बीघे जमीन थी। उस पर लेखपाल ने एक ठाकुर साहब को काबिज लिख दिया। उसका इंतखाब भी दे दिया। उसके बाद उस मुसम्मात ने दस गुना दाखिल कर दिया और बयनामा किया। अब एक दूसरे ठाकुर साहब थे। वह उस खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद उस लेखपाल को बुलाया गया। यह तो बड़ा गजब हो गया है और मुकदमा बड़ा संगीन बन गया है। लिहाजा तुम इस कागज को किसी तरह बदलो। उसने कहा कि मैं इसी साल आया हुआ

हूं। मैं कैसे बदल सकता हूं। मुझे जो कागज में मिला मैंने इंतखाब दे दिया। तो पुराने पटवारी को बुलाया गया। उसे बुलाकर वह कागज खतौनी में से निकलवाया गया और उस पुराने लेखपाल के हाथ से फिर लिखाया गया ताकि लेख एक सा रहे। फिर उस लेखपाल से कहा गया कि अब तुम इनको इसका इंतखाब दे दो। तो उसने कहा कि मैं एक इंतखाब दे चुका हूं अगर दूसरा दूंगा तो मेरी जान पर आ जायेगी। मैं तो नौकरी से चला जाऊंगा। कहा नहीं जब हम मौजूद हैं तो फिर क्या फिक्र है। खैर, नतीजा यह हुआ कि दोनों इंतखाब अदालत में पेश हुए। लेखपाल को तलब किया गया। लेखपाल ने साफ कह दिया कि मुझे ७५ रुपये मिले और मुझ से जबरदस्ती लिखा लिया गया। पहला इंतखाब जो मैंने दिया है वह सही है। दूसरा इंतखाब गलत है। तो अब यह जो काबिज वाली बात है इसको लिखना तो पड़ेगा इससे मुझे इनकार नहीं है। लिखना जरूर चाहिये। जो कोई शिकमी हो वह लिखा जाय, लेकिन वह लिखने का अधिकार खाली आप पटवारी को देंगे तो जो काम होता रहा है वही होगा। रोज पटवारी गलत लिखते हैं और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में यह है कि तिगुने और चौगुने मुकदमें हो गये हैं और बढ़ते रहेंगे। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय और उस कमेटी के सामने लेखपाल कब्जा लिखे। जिसके खेत पर दूसरे काश्तकार का कब्जा लिखे वे दोनों काश्तकार बुलाये जायं और उनके सामने कब्जा लिखा जाय। उनके सामने ही इन्तखाब दे दें। तभी यह बात ठीक हो सकती है वरना जिस तरह यह मसला चल रहा है वह चलता रहेगा और इसका कुछ नतीजा नहीं होगा।

हम लेखपाल से कहते हैं कि तुम गड़बड़ क्यों करते हो तो वह कहता है कि हम क्या करें, काम इतना बढ़ गया है कि हमें तहसील से ही फुरसत नहीं मिलती। इसलिये हम मजबूर हैं कि जब हम जिन्सवार पड़ताल करने जाते हैं तो १०, १५ नम्बर तो सही लिख लिये और बाकी में किसी चीज को भर दिया और किसी में ज्वार, किसी में बाजरा, किसी में चरी और किसी में धान भर देते हैं। वह कहते हैं कि जिन्सवार लिखकर हमको वक्त पर दाखिल करना होता है इसलिये हम क्या करें। अगर सही काम करना भी चाहें तो वह कर ही नहीं सकते हैं। १०, १५ सही नम्बर लिख कर उनको दिखा दिया जाता है और उनकी ही जांच करा दी जाती है। ऐसा न करें तो फिर वह मुअत्तल हो जायं और वक्त पर दाखिल भी न कर पाये।

इसलिये असल बात यह है कि जब तक पटवारी हाकिम परगना और तहसीलदार के मातहत रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। सोशलिस्ट पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक हमने यह कहा था कि पटवारी गांव की एक कमेटी के मातहत रहे ताकि उसको वहां के लोगों का डर रहे। उसको यह पता रहेगा कि वहां पर अगर गलत काम किया जायगा तो लोगों को सब बातें मालूम होने की वजह से बरखास्त किया जा सकता है। अब वह यह समझता है कि गांव वाले कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं उसको उनका कोई डर नहीं है। जिस तरह से वह चाहता है वैसा ही वह करता है। वह समझता है कि उसका अफसर हाकिम परगना और तहसीलदार हैं। तब ये लोग क्या कर सकते हैं। पहले हमारे पास कुछ जमीन थी उसमें काश्तकार बराबर पिछले साल तक शिकमी चले आये हैं। मुझे मालूम हुआ कि यह शिकमी लिखे हुए हैं हमने लेखपाल से पूछा कि हमको खाता दिखा दो। वैसे मेरे पास तो एक बिस्वा भी नहीं है और न मैं काश्तकार हूं। मैं अपने मामा के यहां रहता हूं। तो मैंने कहा कि अगर सरकारी कागज देखने के लिये नहीं दोगे तो लेखपाल साहब होश में आकर काम करो वरना हम तुम्हें दरख्त से बांध देंगे और जब तक सारे कागज नहीं देख लेंगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमको यह मालूम था कि सरकार का ऐसा आदेश है कि लेखपाल हर गांव में जाये और जब गांव वालों की मरजी के मुताबिक काश्तकारों को उनके नम्बर न दिखाये तब तक वह वहां रहे। हमने कहा कि तुम जब तक नहीं दिखाओगे तुमको यहां रहना पड़ेगा। इसलिये जब तक खसरा और खतौनी नहीं दिखाओगे तो हम जाने नहीं देंगे .....

श्री चरणसिंह—वरना आप उसको पेड़ से बांध देंगे।

श्री बालकराम---हमने भी इसी तरह से कहा जैसा कि आप कहते हैं कि लगान जरूर वसूल होगा और वह जरूर होगा तो मैं यही कह रहा था कि काबिज के इन्दराज का हक लेखपाल को नहीं होना चाहिये, बल्कि इस के लिये एक कमेटी बने और उस के सामने लेखपाल काबिज और गैर-काबिज का इन्दराज करे।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और इसका सब से बड़ा कारण यह है कि अगर आज लेखपालों से काबिज लिखने का अधिकार छीन लिया जायगा तो हजारों किसान अपने खेतों से वंचित हो जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपसे और आगे बोलने वाले सदस्यों से भी एक बात निवेदन करूंगा कि कही हुई बातों को फिर दोहराया न जाय। उनकी इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री प्रभुदयाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो विरोध किया गया है वह उचित नहीं है। लेखपाल को इस अधिकार देने के कारण ही पिछले सालों में लाखों किसानों को इस से लाभ हुआ है। संभव है कहीं-कहीं गलती हुई हो, लेकिन अधिकांश में किसानों को इससे लाभ ही हुआ है। काबिज के खाने में काफी छान-बीन के बाद इन्दराज किया जाता है। अपने क्षेत्र की बात मैं कह सकता हूं कि वहां इससे किसानों का काफी लाभ हुआ है। अगर इस अधिकार को लेखपालों से छीन लिया जाय तो बड़े-बड़े काश्तकार और भूतपूर्व जमींदारों का ही लाभ होगा। वे अपने खेतों की परती छोड़ देंगे या बटाई पर या लगान पर उठा देंगे। आज उनको डर है कि अगर वे जमीन को परती छोड़ देंगे तो लोग उस पर कब्जा ले कर उसके अधिवासी अपने को करार दिलवा लेंगे। सदन के सदस्य जानते हैं कि ऐसा करने से उल्टे किसानों को ही हानि उठानी पड़ेगी।

अभी हमारे क्षेत्र नौगढ़ में 'घेरा डालो' आन्दोलन हुआ। वहां किसान मरे नहीं हैं, कोई मजदूर भी नहीं मरा है, कोई काश्तकार भी नहीं मरा है, जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन ५, ६ आदमियों का नाम दे दिया गया कि ये भूख से मर गये। अगर आप लखनऊ शहर को लें, चारबाग स्टेशन पर चले जायं तो आप देखेंगे कि जो परिश्रम नहीं करते, पड़े रहते हैं, यूंही मर जाते हैं। आप भले ही चीन जाइये या रूस, वहां के जो लोग आये उनसे बातें होती हैं, उन्होंने बताया कि वहां के लोग काफी परिश्रम करते हैं। वह व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो सकता जो परिश्रम नहीं करता। यहां एक अजीब बात है। यहां जब उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला है कि जो जोतेगा वही खेत का मालिक होगा, तो उसका विरोध करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है ताकि उस जोतने वाले का नाम न लिखा जाय और वह दूसरे के परिश्रम पर मौज करता रहे। इस तरह का एक बहुत बड़ा खतरा हमारे किसान भाइयों को है। हर साल इससे हजारों किसान भाइयों को लाभ होता है खासकर बस्ती जिले में। मैंने और जिलों का दौरा नहीं किया है, किन्तु मेरे यहां २५,००,००० की आबादी है। काफी घना बसा है। पहले वहां जमींदारी थी, राजे महाराजे थे और उनके खेत पीर में लिखाये गये थे। आज वहां किसान अधिवासी के नाम से जमा बैठा है। इसलिये किसानों के हित में यह बात है कि लेखपालों को इसका हक दिया जाय।

जहां तक लेखपालों की धांधली का सवाल है उस पर हमारे राजस्व मंत्री जी काफी कड़ाई रखे हुए हैं। अगर लेखपाल गांव के सभापति या जिसका खेत है उससे दस्तखत नहीं कराता है तो उसका कब्जा लिखना कोई माने नहीं रखता है। किसी कमेटी के बनाने से तो और ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा होगा। उसमें कोई कहेगा कि जनसंघ का प्रतिनिधि रखा जाय, कोई कहेगा कि कम्युनिस्ट रखा जाय। तो इस तरह से गांव एक अखाड़ा बन जायगा।

पिछले गांव समाज के चुनावों में क्या हुआ उसे हम देख चुके हैं। फिर कैफियत के खाने में कमेटी के जरिये से एक हंगामा-सा मच जायगा। मैं किसान तबके से सम्बन्ध रखता हूं और थोड़ी सी खेती भी रखता हूं। मैं देखता हूं कि मौजूदा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के कारण बहुत से बड़े-बड़े किसान अपनी भूमि को छोड़ते जा रहे हैं और उनकी जमीनें नीलाम में जा रही हैं और वे काफी बटाई देने की सोच रहे हैं। आज हमारे जिले में बहुत सी जमीन ऐसी है जो कि भूतपूर्व जमींदारों ने बटाई पर दे रखी है। अगर हम और वहां के सभापति चैतन्य रहें तो बहुत सी जमीनें किसानों को मिलेंगी। उस क्षेत्र के एम० एल० ए०, एम० एल० सी० या एम० पी० किसी भी दल के हों राजस्व मंत्री को, या कलेक्टर या हाकिम परगना को लिखकर कभी भी जांच करा सकते हैं। इसका उन्हें सदैव हक हासिल है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि सूबे में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी या उथलपुथल इन लेखपालों के जरिये होने वाली है या फैली हुई है। लेखपालों के अधिकार आज के काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी देखभाल है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इन्दराज न करने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अगर इन्दराज करने का अधिकार पटवारी से छीन लिया गया तो सबसे बेहतर होगा। जो आजकल दो दो सौ रुपया माहवार कमाया जाता है, उसका खात्मा हो जायगा। खसरे में कब्जा लिखने के अधिकार से बिलकुल ही बेईमानी हो रही है। पटवारी उनका इन्दराज करता है जो खेती नहीं करते हैं और बलवान हैं। किसी भी कमजोर आदमी का नहीं करते हैं चाहे वह खेती करता हो या नहीं। ऐसी दशा में यही मुनासिब है कि खसरे में इन्दराज का अधिकार लेखपाल को न दिया जाय।

मैं कमेटी के भी पक्ष में नहीं हूं। बहुधा देखा गया है कि कमेटियां बेईमानी करती हैं। वे किसी न किसी पार्टी से सम्बन्ध रखती हैं और देहात में पार्टीबन्दी का होना स्वाभाविक है। इस तरह से गलत इन्दराजों के होने से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, फौजदारियां और ज्यादा कत्ल और डकैतियां होंगी। यह कैफियत का खाना एक फिजूल सी चीज है। यह मुकदमेबाजी कराके जनता का रुपया लूटने का तरीका है। सरकार चाहती है कि आपस में लड़कर किसान मर जाय।

यह झूठ है कि लोग कहते हैं कि जमीनें मिल रही हैं या मिल जावेंगी। यह बात नहीं है। जमीन तो उस हालत में मिलेगी जबकि सरकार कोई नियम बनावेगी कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर जिनके पास कम है या नहीं है उनको जमीन दे दी जावे। इस इन्दराज से कि किसी के नाम कब्जा लिख दिया गया है, इससे जमीन नहीं मिल सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि खाना कैफियत और खसरे में इन्दराज का करना बिलकुल बन्द किया जावे और लोगों को अच्छी तरह से निर्भीकतापूर्वक और मजदूर लगाकर खेती करने का मौका दिया जाय। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे सामने कांग्रेस का ६० वर्ष का ऐतिहासिक बैकग्राउन्ड आ जाती है। अगर तिवारीजी देखें तो वह भी यह कहेंगे कि जो कैफियत के खाने में पटवारी दर्ज करता है उसके पीछे बहुत बड़ी तवारीख है। सैकड़ों वर्षों से हमारी कृषि की व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि जो शख्स सैकड़ों और हजारों बीघे जोतता भी नहीं था उसका नाम चला आता था। हमने फैसला किया कि जमीन का बंटना आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना हमारे देश का काम नहीं चल सकता है। उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

चीज को मद्देनजर रखते हुये कि लैन्ड फार दी टिलर (Land for the tiller) जो जमीन जोतता हो उसकी जमीन है, हमने तय किया कि कैफियत के खाने में पटवारी कब्जे का इन्दराज करे। मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि किस जरिये से वह यह बतलायेंगे कि कौन आदमी खेत को जोतता है ? इसे पटवारी ही देखता है और बताता है कि फलां आदमी खेत को जोतता है और वह उसका सीरदार होगा। ऐसी दशा में यह प्रस्ताव बड़े-बड़े जोत वालों को तिवारी जी की तरफ से प्रोत्साहन देता है। आज हमारे प्राविन्स में यह परिस्थिति है कि बड़े-बड़े काश्तकार अपनी जमीन को नहीं जोत सकते हैं, वे चाहते हैं कि जिस तरह से सैकड़ों वर्षों से अपनी जमीन दूसरों से जुतवा कर उनकी मेहनत का पैसा खाते थे, उसी तरह से किया करें। मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा कानून लाकर उनके दिलों पर चोट की है और उसके लिये हमारे तिवारी जी को उकसाया गया है कि ऐसा प्रस्ताव लावें.....

श्री उपाध्यक्ष—इससे समझा जाता है कि कुछ लोगों ने साजिश करके उनको उकसाया है। ऐसा कहना मुनासिब नहीं है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—मैं वापस लेता हूं।

जिस समय हमारे देश में कृषि सुधार हो रहा है उस समय यह जरूरी हो जाता है कि जो जोतेगा उसका खेत माना जायगा। लेखपालों के दर्ज करने से लोगों को कठिनाई होती है कि वे अपना खेत दूसरों से जुतवायें। हमारे माननीय मंत्री जी का दृढ़ निश्चय है कि वह जमीन का बटवारा करेंगे और उसके लिये यह एक कदम है। यह अवश्य है कि इसमें कुछ लोगों को कठिनाई होती है। मैं मानता हूं, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन इसके लिये दूसरे रास्ते हैं। सुपरवीजन ज्यादा किया जाय। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसके लिये विशेषकर देखें कि जो पटवारी लिखता है उस पर अधिक सुपरवीजन किया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर जो आदमी जोतता है उसका पता कैसे चलेगा कि वह कितने खेतों को जोतता है ? मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि अगर इसमें ज्यादा व्यय न हो तो हर साल पटवारी जो इंदराज करे उसका इंतखाब हर साल लोगों को दे दिया करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, लेखपाल का खसरा और पुलिस की एफ० आई० आर० इन दोनों के बारे में प्रदेश के सारे मुकदमेबाज जानते हैं कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिसका पटवारी ने कब्जा लिख दिया वही जीतता है और हेड कान्सटेबिल ने जिसके फेवर में एफ० आई० आर० लिख दी वही जीतता है। लेखपाल वह व्यक्ति है जो अगर लिख दे कि दरिया इन नंबरों में से बहा है तो उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि तहसील से लेकर सारे रेवेन्यू के कोर्ट्स उसी की बात को मानते हैं। आज का लेखपाल खेतों पर नहीं जाता है। गांव के आदमियों के बीच में बैठकर कब्जा लिख देता है। लेकिन जो खसरा पटवारी लिखता है उसी को अदालत मानती है।

मान्यवर, आज हम देखते हैं कि शिकमी काश्तकार को अधिवासी के हकूक मिले हैं। जो रिकार्डेड थे और जिनका कब्जा था उनको भी, शिकमी काश्तकारों को अधिवासी के हकूक मिले हैं, लेकिन जो रिकार्डेड नहीं थे, लेकिन जिनका कब्जा था, उनको भी हक दिया गया, क्योंकि सब लोग यह जानते थे कि रिकार्ड गलत हो सकता है। इसी कब्जे की बिना पर जिसको लेखपाल लिखता है, उनको अधिकार दिलाये गये थे। यद्यपि आज लेखपाल के कुछ अधिकार छीन लिये गये हैं। यद्यपि यह लाजिमी हो गया है कि अगर किसी दूसरे का कब्जा है तो वह प्रधान के हस्ताक्षर करायें और असली काश्तकार के भी हस्ताक्षर करायें, लेकिन आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखपाल करता क्या है--वह प्रधान के हस्ताक्षर भी धोखा देकर करा लेता है और जिसका खेत है उसके हस्ताक्षर भी धोखा देकर करा लेता है। अगर उसका कोई बस नहीं चलता है तो वह लिख देता है यह मुतनाजा है। आप समझिये कि उसके इतना लिखने से ही कितनी बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है और मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। आज कोई भूमिधर है और असली का कब्जा नहीं है तो लेखपाल किसी दूसरे का नाम बेईमानी से लिख देता है। क्योंकि वह बेईमानी के १० प्रतिशत लेता है। आगे बढ़ कर जो रिपोर्ट होती है थानेदार छीनता है और जगह-जगह काश्तकार को लूटा जाता है यही मुकदमेबाजी की जड़ है। अगर ईमानदारी से लेखपाल काम करे तो कभी भी बड़े-बड़े काश्तकारों को उससे लाभ नहीं हो सकता है। कहा गया कि अगर कब्जा दर्ज नहीं होगा तो यह किस प्रकार से मालूम होगा कि किसका कब्जा है। तो उसके बारे में तिवारी जी ने यह कहा है कि उसके लिये एक कमेटी बनायी जाय जो कब्जा दर्ज करे।

मान्यवर, आज एक नई समस्या लेखपालों के सामने है। जो बड़े-बड़े जमींदार थे वे आज उसके लिये हौआ बने बैठे हैं। वे अपनी खेती को तो जोत नहीं पाते हैं, लेकिन लेखपाल उनके लिये लिख देता है कि उनका कब्जा है। कभी लिख देता है कि फसल बोई गयी, जिस उपजी, लेकिन मारी गयी अगर वह न लिखे तो सारी सम्पत्ति गांव समाज की हो जाय। क्या वे ऐसा नहीं करते हैं कि गांवों में जो जमींदारों के बड़े-बड़े मकान बने हुये हैं, उस लेखपाल ने उनका कब्जा दर्ज नहीं किया? पहले के पटवारी ने दर्ज नहीं किया, क्योंकि वे तो जमींदारों के हाथ की कठपुतली थे, वह दर्ज करे या न करे, लेकिन आज के लेखपाल ने भी दर्ज नहीं किया। और उसकी वजह से आज गांवों के अन्दर एक संकट खड़ा हो गया है। जो २०, ३० साल पहले के बने हुए मकान बंजर में खड़े हुए हैं उनको साल डेढ़ साल का बना हुआ बतला दिया गया और इस तरह से उसका मुआवजा वसूल किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं जहां कि गांवों के अन्दर जमींदारी उन्मूलन के पहले बने हुए मकानों का मुआवजा जमींदारों द्वारा वसूल किया गया है। अगर प्रधान ने गवाही दे दी कि यह गांव समाज की सम्पत्ति है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि क्यों न तुमको बरखास्त कर दिया जाय, क्यों न तुमको मुअत्तल कर दिया जाय। जो खसरा है उसमें ठीक तौर से कब्जा दर्ज नहीं किया जाता है। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, मान्यवर, यदि मुझे यह न ज्ञान होता कि माननीय तिवारी जी समाजवादी दल के सदस्य हैं तो इस प्रस्ताव को पढ़ कर मैं तो यह समझता कि सदन के इस कोने से यह प्रस्ताव आया है और उधर से आना ठीक भी था। मेरे कहने का समर्थन इससे और भी मिलता है कि श्रीमन् की भी आंख उसी ओर पड़ी और उधर के ही सदस्यों को बोलने का मौका मिला।

श्रीमन्, तिवारी जी ने इस सम्बन्ध में यह कहा कि जमींदारी खत्म होने के बाद कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं और इसके पहले भी बहुत कहा जा चुका है कि जमींदारी उन्मूलन का असर समाज में बहुत बड़ा पड़ा। लेकिन कल्पना यही कर लीजिये, जैसा कि उन्होंने कहा--तो क्या वे इस बात से भी इन्कार कर सकते हैं कि ऐसे लाखों व्यक्तियों के परिवारों ने यह महसूस किया कि बिना हाथ से मेहनत किये हुए वे इस जीवन को नहीं रख सकते हैं? क्या उनको यह महसूस नहीं हुआ कि दूसरों के कमाये हुए धन से हम आराम नहीं कर सकते हैं? क्या उस दल के बहुत से व्यक्तियों ने जो साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे और आज भी रखते हैं, आज इस बात की चेष्टा नहीं करते हैं कि इस सदन में और इस सदन के बाहर इस तरह की बात न कहें जो कल्याणकारी समाज की

[श्री रामस्वरूप यादव]

रचना के विरुद्ध हो ? मैं समझता हूं कि यह भी देश के लिये एक बहुत बड़ी देन है। क्या जमींदारी उन्मूलन के बाद हर काश्तकार को यह महसूस नहीं हुआ है कि जो कुछ उसकी भूमि है, उसमें वह सुरक्षित रह सकता है ? इसके समर्थन में दो तीन वक्ता पहले बोले, लेकिन जहां तक सोशलिस्ट पार्टी के वक्ता का सम्बन्ध है, उन्होंने तो इस बात को स्वीकार किया कि इन्दराज तो अवश्य होना चाहिये, लेकिन उसके लिये एक कमेटी बने। मैं नहीं समझ सका कि इससे उनका आशय कहां तक पूरा होता है। यह सही है कि वे अपने पुराने साथियों से नाराज हैं, लेकिन नये साथियों के अनुभव के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। एक ओर से यह भी कहा गया कि कमेटी बननी ही नहीं चाहिये, क्योंकि उसमें भी बहुत गड़-बड़ी होती है। तो क्या मैं इससे यह समझूं कि आप यह चाहते हैं कि जिस तरह से गलत इन्दराज चलता रहा है वह हमेशा के लिये चलता रहे ? मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्या यह व्यवस्थित ढंग माना जायगा कि जिसमें जैसे इन्दराज चले आये हैं वैसे चले जायं ? अभी जिक्र किया गया उस ओर से लेखपाल के पास पटवारी से ज्यादा काम है। लेकिन अगर तुलना की जाय तो पटवारी के पास इस समय के लेखपाल से बहुत ज्यादा काम था। उसके पास ३ कागज--खेवट, खतौनी व खसरा थे। अब लेखपाल को केवल खसरा ही तैयार करना पड़ता है। खेवट का प्रश्न नहीं उठता और खतौनी ४ साल में एक बार तैयार करना पड़ती है। वार फंड पहले था उसका सब काम करना पड़ता था। हां, अब इतना जरूर है कि डेवलपमेंट के काम से वह थोड़ा बहुत अवश्य सम्बन्धित रहता है, लेकिन इससे उसके काम पर कुछ असर नहीं पड़ता।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि लेखपाल ठीक काम नहीं करता, बेईमान है और उसके जो अफसर हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है। हम तो इस सदन में यही सुनते हैं चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस का अफसर हो, चाहे किसी विभाग का अफसर हो सब बेईमान हैं। कहीं ईमानदारी नहीं है। अगर श्रीमन्, समाज ऐसा दूषित हो चुका है कि देश के सभी कर्मचारियों का ऐसा हाल हो चुका है तो मेरी समझ में उसका कोई हल नहीं हो सकता। अगर माननीय सदस्यों के दिमाग में इसके हल का कोई नक्शा था तो वे सुझाव दे सकते थे कि क्या कमेटी बनायेगी ? मान लिया जाय कि वे कमेटी के सदस्य होते तो वे क्या बनाते कौन सी व्यवस्था कमेटी लागू करती ? इस विचार को ले कर अगर हैसियत नहीं बदलेंगे तो फिर कैफियत के खाने में लिखने की जिम्मेदारी किस की होगी, इसके हल के लिये किसी सज्जन ने व्यवस्था के देने की चेष्टा नहीं की।

कहा गया कि लेखपाल को बहुत अधिकार दे रखे हैं। पहले तो पटवारी को बहुत ही ज्यादा अधिकार थे। किसी को पता नहीं चलता था, ५० वर्ष बाद भी शिकमी लिखा रहता था। यही नहीं लाखों बीघे ऐसी जमीन थी जिसको काश्तकार जोता करते थे, खास कर, हमारे अवध के हिस्से में और उनके नाम इन्दराज हुआ करते थे जो जमींदार या सीरदार हुआ करते थे। अब यह है कि वह भूमिधर है और वह खेत जोते हुए है तो उसका इन्दराज चले। यह अवश्य है कि अगर उसकी पड़ताल लेखपाल करे तो सभापति साथ हो जो कि चुना हुआ आदमी है। फिर लेखपाल अगर नया इन्दराज करे तो वह उनको भी दे जिस पर असर पड़ता है। इससे ज्यादा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। फिर अगर हर एक को चोर समझ कर चला जायगा तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सवाल यह है कि अधिक से अधिक प्रयत्न यह किया जाय कि जो लेखपाल है वह ऐसी व्यवस्था न कर दे जिससे आम आदमी को नुकसान हो।

इस सदन में सदस्य होने से पहले मेरा काफी सम्बन्ध इन इन्दराजों से रहा है। मैं अपनी निजी जानकारी से कह सकता हूं कि मेरे पास सैकड़ों काश्तकार आते थे। मैं पूछता था कि इसमें झूठ या सच क्या है। ८०-९० फीसदी आदमी कहते थे कि यह इन्दराज तो बिलकुल सही हुआ है, लेकिन बात यह थी कि हमने रुपया लिया था और उसको

एक वर्ष के लिये जोतने के लिये जमीन दे दी थी और इस वजह से भी दी कि जो खेती हमारे पास है उसका हम इन्तजाम नहीं कर सकते, हम नौकरी करते हैं। हमारा मत यह नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि क्या यह सही नहीं है? मुझे इस बात की जानकारी है कि बड़े-बड़े काश्तकारों ने नौकर होने के इकरारनामे लिखाये, लेकिन वास्तव में बटाई पर खेत दिये, साझे की खेती लिखी गयी। मैं साझे और बटाई में फर्क समझा दूं। बटाई में काश्तकार आधा जमींदार को दे देता है, जमींदार उसको बीज या बैल नहीं देता था, सिर्फ उसकी जमीन के उपयोग में आधा गल्ला वह ले लेता था, लेकिन साझा में यह माना जाता है कि उसके बैल हैं वे भी काम करते होंगे। एक नहीं सैकड़ों जिलों में इस प्रकार खेत उठे हुए हैं, चाहे मजबूरी में उठे हों या इस वजह से उठे हों कि वह काश्त नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके पास बैल नहीं हैं, हल नहीं हैं, उनकी खेती कौन करता है, उनकी खेती आज कैसे होती है? अगर लेखपाल सही इन्दराज कर देता है, सही चीज को सामने ला देता है और सम्भव हो सकता है कि लेखपाल कहीं गड़बड़ हो, यह भी हो सकता है कि सही इन्दराज उसने न किया हो, मुमकिन है कि कुछ बड़े काश्तकार से मिल गया हो, मैं तो ऐसे काश्तकारों को भी जानता हूं कि बावजूद इस बात के कि दरअसल वह शिकमी थे उन्होंने यह बताया कि वह रुपये पर जोते हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि झगड़ा कौन मोल ले, जब कभी लेखपाल ने इन्दराज कर दिया, दूसरे ने दरख्वास्त दे दी, उन्होंने मंजूर कर लिया।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूं कि माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम भी हो सकता है। उन्होंने यह अन्दाज लगाये हैं कि अगर यह इन्दराज हो गया तो इन्दराज अन्तिम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ सबूत दिया जा सकता है। अदालत को अख्तियार है कि सही माने या गलत माने। तीन वर्ष और छः वष भी इन्दराज किये हो जाय और अगर यह साबित हो जाय कि वह गलत है तो गलत हो जायगा। दरअसल केवल बन्दोबस्त का कागज ही ऐसा हुआ करता है जिसको कि फाइनल माना जा सकता है। बाकी हर चीज पर शहादत हो सकती है और अगर वास्तविक कब्जा नहीं है तो माना जायगा कि इन्दराज गलत है। हजारों बीघे के काश्तकार मौजूद हैं, उनके पास हल नहीं है, बैल नहीं हैं, लेकिन सब इन्दराज उनके नाम मिलेगा। १३५९ फसली के सिलसिले में एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि १३५९ के सिलसिले में जिनका कब्जा लिखा हुआ था वह सब अधिवासी घोषित कर दिये गये। उनके आंकड़े लिये जायं कि वह बड़ों के शिकमी थे या छोटों के थे, उनमें से कितने गलत थे, तो मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि ९० प्रतिशत काश्तकार सही थे। दरअस्ल में वही काश्तकार सही थे। ट्रेसपासर भी बहुत से लिखे हुए थे, लेकिन ९० प्रतिशत से ज्यादा इन्दराज सही थे।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी ने मकान बना लिया है। यह चीज विषय से बाहर है। अगर किसी ने मकान बना लिया है तो वह आबादी में लिख दिया जाना चाहिये। अगर नहीं लिखता है तो अदालत इस बात के लिये बनी हुई है। अगर लेखपाल को भी गड़बड़ समझे, तहसीलदार को भी गड़बड़ समझे, एस० डी० ओ० को भी गड़बड़ समझे, तब तो फिर इतने वर्षों का कागज जो है उसको भी कैसे सही मान सकते हैं। फिर तो अगर आप कहते हैं कि हम सीरदार हैं तो आपको सीरदार कैसे माना जा सकता है? इस तरह तो कोई व्यवस्था ही नहीं चल सकती।

मैं एक निवेदन यह कर दूं कि सरकार की ओर से क्या हो रहा है? सरकार की इच्छा तो हमेशा यह रही कि जिसके हाथ में हल की मुठिया होगी वही काश्तकार होगा। यही ध्येय हमारा है। माननीय मंत्री जी ने तो इन्हीं शब्दों में इस बात को कहा है कि उनकी राय में वही काश्तकार है जो मुठिया पकड़ता है। वह यह भी नहीं चाहते हैं कि सब नौकरों से ही काम कराया जाय। लेकिन इसको कार्य-रूप में परिणत करने के लिए अगर यह

[श्री रामस्वरूप यादव]

लेखपाल गड़बड़ भी करता है तो उसके लिए तरीका क्या हो ? सीधी सी बात है कि जब सारे प्रदेश में चक बन जायेंगे, चकबन्दी हो जायगी तो मैं समझता हूं कि उस वक्त स्थिति भी ऐसी पैदा नहीं होगी कि लेखपाल इस कैफियत के खाने का किसी के लिए उपयोग कर सके। चक होंगे तोन, फिर कोई शिकमी है या नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस वक्त तो प्रश्न इसलिए भी उठ जाता है कि किसी काश्तकार का एक खेत गांव के दूसरे कोने पर होता है जो कि तीन चार मील पर भी हो सकता है और दूसरे खेत उसके होते हैं दूसरे कोने पर। तो वह उस कोने वाले खेत को उठा देता है। ऐसी परिस्थिति में यह हो जाया करता है।

अभी हमारे जो माननीय सदस्य बाद में बोल रहे थे उन्होंने तो यह बात कही कि जो कुछ इन्दराज चले आ रहे हैं वही हमेशा के लिए सही हैं। लेकिन कागज चाहे वह किसी से सम्बन्धित हो, चाहे व्यक्ति से सम्बन्धित हो, चाहे नगरों से सम्बन्धित हों, चाहे मकानों से सम्बन्धित हों, कागज रखे जायेंगे, जरूरत पड़ने पर उनका रिवीजन भी होगा और उन्हीं के अनुसार कार्यशैली होगी। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी की तरफ से जो सदन के समक्ष इंदराज के सिलसिले में प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी दोनों पक्षों की तरफ से इंदराज के सम्बन्ध में जो बहस मुबाहिसा हुआ है उसको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उधर से यह भी कहा गया है कि इंदराज में कोई गड़बड़ी नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि आज जो कैफियत के खाने में इंदराज हो रहे हैं इस इंदराज से भूतपूर्व बड़े-बड़े जमींदार फायदा उठा रहे हैं, गरीब किसान इससे फायदा नहीं उठा रहा है। जो पहली परम्परा चली आती है जमींदारों के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते, घर में छिप कर रहें कब उसमें यह हिम्मत आ सकती है कि जमींदारों के सामने वह कह दे कि इस खेत पर कब्जा हमारा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। आज खेत वह जोतता है, लेकिन जमींदार इंदराज अपने नाम में करा रहा है और जरा सी कोई मजदूरी मांगे या हलवाही मांगे तो फौरन ही जमींदार उसके ऊपर दफा १४५ की कार्यवाही करके उस किसान से खेत निकाल लेता है। मैं मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में ऐसे लाखों व्यक्तियों के खेत छीने गये हैं और अगर चाहें तो उन्हें रिपोर्ट दे सकता हूं और आप जांच करा सकते हैं कि ऐसे गरीब किसानों के खेत छीने गये हैं। अभी अभी उधर से यह भी कहा गया है कि पटवारी बिल्कुल दूध का धोया हुआ है किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं करता है।

श्री चरणसिंह---किसने कहा है ?

श्री रघुवीरराम---अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा है।

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री रघुवीरराम---घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा इत्मीनान से हम लोगों की भी बात सुना कीजिये। मैं तो मान्यवर, लेखपाल को लोकपाल कहने लगा हूं, जो लोगों का पालक हो गया है। यह ७५ फीसदी जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं इनको निगल गया। आज यह बड़े-बड़े जमींदारों के फेवर में हो करके छोटे-छोटे किसानों का वध कर रहा है। मान्यवर, जैसे मुतवातिर तीन साल से कैफियत के खाने में जमींदार कब्जा लिखवा रहा है और उस गरीब किसान को, जो पटवारी के करीब कभी नहीं पहुंच पाता है, अगर यह जानकारी हो जाती है कि हमारा खेत बाबू साहब के नाम कैफियत के खाने में इंदराज हो रहा है तो अगर वह लेखपाल के पास जाता है तो कम से कम १०० रुपये से नीचे बातचीत नहीं

होती है। तो मैं राजस्व मंत्री जी के सामने सुझाव रखना चाहता हूं और इसकी मांग भी करता हूं कि कम से कम लेखपाल जब इंदराज करने जाय तो एक नोटिस दोनों पक्ष को दे दे और जब वह नाम काटता है और दूसरे का इंदराज करने की कोशिश करता है उस समय उस किसान को खसरे का इंतखाब दे दे ताकि उसको जानकारी हो जाय कि हमारा खेत किसी दूसरे के नाम इंदराज किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप यादव--दिया जाता है।

श्री रघुवीरराम--नहीं दिया जाता है। एक किसान जिस समय जा करके लेखपाल के क्वार्टर में बैठता है तो बुरी तरह से उसको धक्का दिया जाता है, उसको इंतखाब नहीं दिया जाता है। १० वर्ष का इंतखाब अगर चाहता है तो नहीं मिल सकता है। आप कहते हैं बराबर उसको दिया जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है। जब जरूरत पड़ती है वह जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि किसका नाम वहां दर्ज है, वह तो खेत जोतता है, वह नहीं जानता कि लेखपाल ने कैफियत में क्या लिख रखा है, लेकिन जब उसके सामने कोई अड़चन आती है या आवश्यकता होती है तो वह इंतखाब मांगता है, दस-दस बार मांगने पर भी उसको नहीं मिलता और उसको कचहरी से बारहसाला इंतखाब लेना पड़ता है और तब कहीं उसको पता लगाता है कि खाना कैफियत में बाबू साहब का नाम लेखपाल दर्ज करता चला आ रहा है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम जब उसका नाम काटा जाय और जमींदार अपना नाम खाना कैफियत में दर्ज कराये तो लेखपाल द्वारा उसको उसकी एक कापी दी जाय। अगर मंत्री जी कहते हैं कि यह नियम है तो भी यह कानून अमल में नहीं आता है और कोई कापी उसको नहीं देता है।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट भी हाथी की तरह मुंह बाये खड़ा है। अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है तो पूरी पट्टीदारी के लोगों की जमीन ले ली जाती है और नीलाम पर चढ़ा दी जाती है, कुर्की की नौबत आती है। पूरे खान्दान की प्रापर्टी ले ली जाती है। उसे लगान सरकार को भी देना पड़ता है और जमींदार को भी देना पड़ता है, वह दुगुना और तिगुना लगान देता है। अगर उसका मुकदमा भी चलता है तो कचहरी में जाकर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती जब तक कि पूरी जमीन नीलाम न हो जाय और कुर्की न हो जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी पाकिस्तान चला जाय उसकी प्रापर्टी खातों से निकाल दी जाय और जो भाई देश के नागरिक हैं उनकी जमीन पर कस्टोडियन डिपार्टमेंट किसी तरह का हमला न करे।

अभी यह भी कहा गया कि जब से यह खाना कैफियत का इन्दराज शुरू हुआ है तब इसके द्वारा गरीबों का बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं उनसे यह मालूम करना चाहता हूं कि इसमें उनकी क्या राय है कि अगर लेखपाल, जिस आदमी का नाम दर्ज है उसके अलावा जमीन पर किसी और का कब्जा पाता है तो उसे खाना कैफियत में उसके इन्दराज का हक होना चाहिये या नहीं होना चाहिये।

श्री रघुवीरराम--होना चाहिये। उसको सही इन्दराज करना चाहिये, गलत न करे। चौधरी साहब तो हमें कहने के लिये मजबूर कर देते हैं, दस मिनट का हमें मौका मिलता है उसमें भी आप खड़े हो जाते हैं और हमारा समय यों ही खत्म हो जाता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज किसान खेत जोते रहे हैं, लेकिन उनके नाम का इन्दराज नहीं हो रहा है। जो छोटे-छोटे किसान हैं उनका हल खूंटी पर रख दिया गया है।

[श्री रघुबीरराम]

इसके अलावा लेखपाल जो १५ डी० करते हैं वह हक भी उनसे लेकर ग्राम पंचायतों को दिया जाय। आज किसान भी यही चाहते हैं कि यह १५ डी० ग्राम पंचायतें करें लेखपाल न करें। माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि नोटिस दी जाती है, हमारा लेखपाल मुनादी कराता है, सभापति को बुलाता है, सारे गांव के किसानों को बुलाकर इन्दराज करता है। मैंने तो कभी ऐसी बात अपने इलाके में नहीं देखी। वह तो बड़े जमींदार के कमरे में बैठे-बैठे इन्दराज कर रहा है। छोटे-छोटे काश्तकारों के खेत पर वह नहीं आता है और आप कहते हैं कि मुनादी कराता है। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल गलत है। इसलिये मैं तो राजस्व मंत्री से यह मांग करूंगा कि कम से कम जब लेखपाल इन्दराज करने के लिए जाय तो गांव के सारे किसानों को जब तक इकट्ठा न कर ले और ग्राम पंचायत के सभापति और जितने मेम्बरान हैं वह इकट्ठे न हो जायं वह इन्दराज शुरू न करे।

मान्यवर, आज हमारे उत्तर प्रदेश में अभी-अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि गरीबों को खसरे में जो खतौनी का इन्दराज होता है, इससे बहुत बड़ी राहत मिल गयी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कभी आपने पूर्वी इलाके में चल कर देखा है? मुझे यह जानकारी है कि आप अगर सरकार के सामने कोई दूसरा सुझाव रखना चाहें, भले ही बैकवर्ड क्लास या निम्न वर्ग की भलाई का सुझाव हो इस कैफियत-खाने के इन्दराज के सिलसिले में, लेकिन आप उसको सही माने में इस हाउस के सामने रख नहीं सकते हैं--मुझे जानकारी है। कारण इसका यह है कि आप सरकार के पक्ष में हर एक बात अगर नहीं कहेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष--यह आप वापस लें कृपया। कोई भी माननीय सदस्य किसी डर से यहां नहीं बोलता। इसको कृपया वापस लीजिये, तब आगे बढ़िये।

श्री रघुबीरराम--अच्छा मान्यवर, मैंने इसको वापस लिया।

आज हमारे सूबे की यह स्थिति है कि जो अलाभ-कर जोत हैं साढ़े ६ बीघा, ५ बीघा, ३ बीघा, २ बीघा तक, इनको जो जोतने वाले किसान हैं, उनमें से बहुतेरों को आप देखेंगे कि जोत तो वह जरूर रहे हैं, लेकिन इन्दराज किसी दूसरे के नाम से कागज में हो रहा है, उनके नाम से नहीं हो रहा है।

दूसरी बात, जो खाद्य समस्या आज हमारे सूबे की इतनी जटिल हो रही है, अगर हमारे पूर्वी इलाके में या सूबे के पैमाने पर इन्दराज सही तरीके से किया जाय तो मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती है, क्योंकि किसान यह समझेगा कि यह खेत जो हम जोतते हैं यह हमारा है। आज वह यह समझता है कि आज नहीं कल यह हमारे हाथ से निकलने वाला है। छोटे-छोटे जोत वाले समझते हैं कि यह खेत हमारे हाथ में नहीं रहने वाला है, इसलिए वह अपने पूरे परिश्रम के साथ खेत के ऊपर मेहनत नहीं कर सकते हैं। वह निराश होकर बैठे हैं कि किसी न किसी दिन यह खेत हमसे छिन जायगा, रह नहीं सकता है।

श्री मक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री ब्रजनारायण तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर.....

(श्री चरणसिंह के कुछ कहने पर)

मैं कहूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया तो माननीय राजस्व मंत्री ने उनको टोका और प्रस्ताव का विरोध करने के लिए इंगित किया। श्रीमन्, आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या यह उचित है?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि क्या स्थिति है, ऐसा हुआ, आपने रोका ?

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, आपस में बातचीत होती रहती है, अगर इसको रोकना समझा जाय तो जरूर ऐसा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--यह उचित नहीं है । जब कोई सदस्य बोलें तो निर्भीकतापूर्वक बोलना चाहिये ।

श्री मुक्तिनाथ राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब १९५७ में माल विभाग का अनुदान चल रहा था उस समय भी अपने विचार रखे थे कि लेखपाल को काबिज लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिये और आज भी एक साल के बाद मेरा यही निश्चय है कि इस चीज को रखना किसानों के लिये अहितकर है । मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं हो सकता है किसी माननीय सदस्य को यह दिक्कत न हो । जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो ९० प्रतिशत लोग लेखपालों की शिकायत करते हैं । कहते हैं कि हम इनसे ऊब गये हैं, इनका तबादला करा दीजिये । हम आड़ में कह देते हैं और कभी-कभी उनका तबादला हो जाता है । लेकिन जब हम सभी के बारे में शिकायत सुनते हैं तो हम भी ऊब जाते हैं और हम निराश होकर लोगों से कह देते हैं कि यदि आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप लिख कर दे दीजिये और हम उसको फौरवर्ड कर देंगे । जब हम गांवों में जाते हैं तो सूखा और बाढ़ के अलावा लेखपालों के बारे में शिकायतें हमारे सामने आती हैं । लेकिन यहां कहा यह गया है कि जब लेखपाल गांव में जाता है तो गांव के किसानों को इकट्ठा करता है और लोगों की मौजूदगी में लिखता है । लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ऐसा कानून भले ही बना दिया हो, नियम भले ही बना दिया हो, लेकिन व्यवहार में इसका पालन बिल्कुल नहीं होता है । बड़ों की बात तो जाने दीजिये, छोटे लोगों का नुक्सान होता है । मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि एक मौजा सांतीपुर है उसमें कतवारू नाम का एक हरिजन है । ४, ५ आदमियों ने जबर्दस्ती उसके ४-५ नम्बरों पर काबिज लिखा लिया और उस बेचारे को मुकदमा दाखिल करना पड़ा । नतीजा यह हुआ कि उसे सुलह करनी पड़ी और उसके बाद वह गांव छोड़कर चला गया और अब पता नहीं कानपुर में या न जाने कहां नौकरी कर रहा है । यह हालत है । यह अधिकार लेखपालों को दे कर जबरदस्तों का और बड़ों का फायदा होता है और छोटों का नुक्सान होता है । मैं तो यह कहूंगा कि जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है इसी तरह से जो ताकतवर है वह कमजोर का खून चूसने को तैयार रहता है और वह कोशिश करता है कि किसी तरह से काबिज लिखा ले । यहां पर कहा गया है काबिज लिख देने पर अदालत में चाराजोई की जा सकती है, इंसाफ पाया जा सकता है । मैं कहता हूं कि लेखपाल काबिज लिख दे और मैं दुबला हूं और जब मैं खेत काटने जाता हूं तो मेरा सिर फूट जाता है और मैं मर जाता हूं । मुकद्दमेंबाजी होती है, हो सकता है मेरे घर वालों को डिग्री मिल जाय, लेकिन मैं तो मर गया, मैं कैसे वापस आ सकता हूं । तो यह इंसाफ बड़ा महंगा पड़ेगा ।

एक चीज और इसके समर्थन में कही जाती है कि इससे जमींदारी उन्मूलन का सिद्धान्त ही खत्म हो जाता है । मैं कहता हूं कि कानून इसलिये बनता है कि आदमियों को अधिक से अधिक सुख मिले, इसलिये नहीं कि कानून किसी कानून के लिये बनाया जाय । एक आदमी ने कहा फलां जगह जाना, लेकिन नाक की सीध में जाना । रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला, वह उस पर चढ़े और गिर कर मर गये । कहने का मतलब यह कि टिलर आफ दि स्वायल का सिद्धान्त अपनाया जाता है, वह मुनासिब है, उत्तम है, एक काबिज लिख देने से गांवों में एक समस्या पैदा हो गयी है, जो वातावरण पैदा हो गया है मैं सही कहता हूं कि उसमें रहने लायक नहीं है । हर एक में अविश्वास पैदा हो गया है । पड़ोसी-पड़ोसी में अविश्वास पैदा हो गया है

[श्री मुक्तिनाथ राय]

जो पुश्त दरपुश्त से साथ-साथ रहते चले आये हैं उनमें अविश्वास पैदा कर दिया है। कहा जाता है कि टु चूज बिटवीन टू डेविल्स (to choose between the two devils) दो बुराइयों में से जो कम से कम बुराई हो उसको मान लिया जाय। अगर मैं यह मान लूं कि टिलर आफ दि स्वायल का सिद्धान्त टूट जायगा क्योंकि हमारे पास खेत १०, २० बीघे हैं और हम बिना जोते काबिज लिखे रहेंगे और हम लिये रहेंगे तो टिलर आफ दि स्वायल के सिद्धान्त को हानि नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो आज गांव-गांव में हालत मची हुई है उससे यह अच्छा है कि अगर कोई आदमी चोरी से या किसी तरह से किसी को भूमि दे दे और उसका फायदा उठाये, शोषण करे तो मैं कहता हूं यह इतनी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। लेखपालों को जो यह काबिज लिखने का अधिकार दिया गया है यह बहुत गलत है। यह जरूर है कि टिलर आफ दि स्वायल जमींदारी एबालिशन का मूलभूत सिद्धान्त है, लेकिन यह जो एक चीज है गांवों में उससे इतनी अराजकता फैली हुई है कि जो डाके, कत्ल और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं उसमें भी इसका असर है, लेखपाल भगवान का असर है। काबिज लिख कर बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई है और जो यह अव्यवस्था फैली हुई है उसमें बहुत हद तक यह भी एक कारण है।

कस्टोडियन के बारे में मुझे कहना है। मेरे क्षेत्र में जोड़वाबर, दिवारा-जदीद एक गांव है। मुझे ठीक याद नहीं है कि महमूद या मुहम्मद नाम है। उनके बाप का नाम कुछ दूसरा है। एक आदमी वास्तव में पाकिस्तान गया है, लेकिन दूसरा आदमी हिन्दुस्तान में रहता है। लेखपाल ने गलती से वल्दियत दूसरे की लिख दी। जो आदमी यहां पर हिन्दुस्तान में है वह खेत उनका जोते हैं। लेकिन वल्दियत में दूसरे का नाम दर्ज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पचासों किसान परेशान हैं। वे मेरे यहां आये। मैं उनको जिलाधीश के यहां ले गया और अप्लीकेशन दी। उन्होंने उनको सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा और मुकदमें की कार्यवाही चल रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक मामूली चीज जो कि वास्तव में बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर लेखपाल गलती में कहीं लिख गया तो उसका बहुत बड़ा भुगतान हमको भुगतना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि जो लेखपाल को अधिकार दिया गया है यह बहुत ज्यादा है। कुछ सदस्यों ने कहा कि लेखपाल को काम बहुत ज्यादा है। मैं भी मानता हूं कि काम के भार में बहुत गलती हो जाती है। मैंने इसी सदन में निवेदन किया था कि आज हम लगान देते हैं ५० रुपया, १०० रुपया। लेकिन लेखपाल की कलम से ५० का ६० और १०० का सवा सौ लगान हमको कभी-कभी देना पड़ता है। एक ही खेत भूमिधरी में भी दर्ज है और सीरदारी में भी दर्ज है। आप एक सीलिंग कर दें कि इतना खेत होना चाहिए, तो कम से कम इतना तो मालूम हो कि इतना हमारा है, सन् ६५ में हमारा है, ६६ में हमारा है, ६८ में हमारा है और हमारा रहेगा। एक ही रकबा सीरदारी में भी लिखा है और भूमिधरी में भी लिखा हुआ है। दोनों का लगान देना पड़ता है। इस पर यह भी कहा जा सकता है कि दरख्वास्त दीजिये तहसीलदार को, या एस० डी० ओ० को। लेकिन मैं कहता हूं कि एक आदमी की मामूली गलती से चाराजोई करने में हम को कितना नुक्सान उठाना पड़ता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए जो एक आदमी के हाथ में अधिकार है उससे पूरे समाज में बेचैनी फैली हुई है, बहुमत तंग होता है तो क्यों न हम उस अधिकार को उससे छीन लें। तो यह प्रस्ताव अपनी जगह पर बहुत सही है। मैं यह समझता हूं कि चूंकि यह एक गैरसरकारी प्रस्ताव है इसलिये जितने भी यहां माननीय सदन के सदस्य हैं उन सबको अपने-अपने विचार रखने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। तो मान्यवर, यह जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, यह समाज के हित के लिये है और इस विषय में जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं उनकी दो राय नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव पास होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं।

चौधरी रघुराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव पर हर पार्टी की बहस और दलीलों को सुना। मैं तो यह समझता हूं कि हर तरफ से

किसी न किसी शकल में लेखपाल के इन्दराज के गलत होने की बात कही गई। कुछ साहबान ने यह कहा कि बड़े लोग उस पर असर डाल कर गलत इन्दराज करा लेते हैं और जोत किसी दूसरे की है, लेकिन इन्दराज उन्हीं का रहता है। उस जानिब से दोनों बातें कही गईं कि कहीं ऐसी शकल है कि जमींदार की काश्त तो नहीं है और खेती दूसरे आदमी कर रहे हैं, लेकिन इन्दराज उन्हीं के नाम चला आ रहा है। साथ ही साथ उसी सांस में यह भी कहा गया कि जब उनको मिलने का मौका लोगों से हुआ तो मालूम हुआ कि इन्दराज तो सही हैं, लेकिन कुछ और वजूहात से झगड़े पैदा हो जाते हैं। मैं एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब पुराना कानून नाफिज था तो उसमें एक दफा १७१ थी। उस दफा के मातहत बहुत बड़ी तादाद में काश्तकार बेदखल हुये और इसी सरकार ने उन जमीनों को उन्हीं को वापस कर दिया। अगर दरहकीकत इन्दराज सही थे तो क्या यह इन्साफ की बात हुई कि वह कानून की जक में आकर बेदखल हुए और फिर उन्हीं को दखल वापस मिल गये, और अगर वह इन्दराज गलत थे तो मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि आज कौन-सी ऐसी तब्दीली आ गई जिससे लेखपालों के गलत अमल सही हो गये ?

हम सब इस सदन में बैठने वाले और बाहर के लोग यह भली-भांति जानते हैं कि इन गलत इन्दराजात से उन लोगों को नुकसान नहीं होता है। जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि वे अपने रुपये और असरात से काम लेते हैं और इसी वजह से उनको झगड़े का मुकाबला नहीं करना पड़ता। नुकसान तो उन्हीं लोगों का होता है जो गरीब हैं और जिनके पास छोटी-छोटी जोतें हैं और कोई जरिया नहीं है वे रुपया भर कर इन्तखाब हासिल नहीं कर सकते हैं और उन्हीं को दिक्कत पेश आती है। जिनको अपनी जमीन के मुताल्लिक मुकदमेंबाजी करनी पड़ती है अगर आप उनकी तादाद को लें तो इसमें ज्यादातर ऐसे किसान मिलेंगे जो छोटे-छोटे किसान हैं। वे ही गरीब मुकदमेंबाजी में मुब्तला होते हैं। एक ऐसा अख्तियार कि जिसकी कलम से किसी की जोत इधर से उधर हो जाय और कब्जा व मिल्कियत बदल जाय, मैं बहुत बड़ा अख्तियार समझता हूं। माना कि प्रोसीजर के मुताबिक नोटिस दिया जाता है, लेकिन उस कानून पर दर असल अमल नहीं होता। बहुत-सी ऐसी कार्यवाही होती है कि नोटिस जारी किया जाता है और बाला-बाला ही लिखा दिया जाता है कि लेने से इन्कार किया, रुपया हज्म मामला खत्म। मिसल की तकमील हो गई और काम भी हो गया। वजीर साहब ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स जोत रहा है और उसका इन्दराज गलत है तो क्या होना चाहिये, इसका जवाब तो यही है कि दुरुस्ती होनी चाहिये। जो बात उन्होंने दरियाफ्त की उससे साफ साबित है कि वह भी मानते हैं कि इन्दराज गलत हो जाते हैं उनको गलत करने वाले पटवारी या लेखपाल ही हो सकते हैं। उनकी यह बात तो रिजोल्यूशन की खुली ताईद करती है। मैं तो समझता हूं कि यह बहुत ठीक रेजोल्यूशन है इस वास्ते कि जमीन के झगड़े आजकल देहात में, जैसा कि उधर से भी कहा गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गये हैं। इन झगड़ों से देहातों में मुकदमेंबाजी ही नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी फौजदारियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं और यह आम जुर्म बन गये हैं। इस इन्दराज के सिलसिले में कोई बहस या हिचक की बात नहीं होनी चाहिये जो कुछ इधर से बयान की उसकी उधर से भी ताईद हुयी। सभी ने कहा कि इन्दराज गलत किये जाते हैं, किसी ने इस बात को ठीक नहीं बताया। ऐसी हालत में, जब हर तरफ से यह आवाज उठी हो, तो सरकार को इसको मान ही लेना चाहिये। हो सकता है कि सरकार को इसमें प्रेस्टीज की हिचक हो और उसे ऐसा दिखाई पड़ता हो तब तो यही कहा जा सकता है कि जब आदमी कुछ ऊपर बैठ जाता है तो उसको नीचे का कुछ कम नजर आता है अगर वह अपने को कुछ नीचा उतारेंगे तो हकीकत को देख सकेंगे और इसमें कोई शुबह उनको नहीं रहेगा कि जो प्रस्ताव के जरिये मतालबा किया गया है व जायज है। जरूरी नहीं है कि जितनी ठीक बातें यहां आयें और वह उधर की बेन्चेज की तरफ से ही आयें। जम्हूरियत में हमेशा ही इस तरह की चेतावनी अपोजिशन की तरफ से आया करती है सरकार की तो बड़ी शान और बड़ाई ही है

[चौधरी रघुराजसिंह]

कि वह इस जम्हूरियत को जिन्दा रखने के लिये और मजबूत बनाने के लिये मुखालफीन की वह तजावीजें जो पब्लिक के हक में हैं, माने । अगर इसमें कोई शुबहा है तो आप तहकीकात करा लीजिये, आप मालूमात कीजिये, अफसरान से पूछिये, फैक्ट्स ऐन्ड फीगर्स मंगाइये कि इन इन्दराजों पर कितने फसाद और झगड़े होते हैं और कितनी फौजदारी और कत्ल होते हैं । अगर यह सही है और मुझे यकीन है कि यह बात सही है, तो आप इस प्रस्ताव को यह समझ कर कि यह आम जनता की आवाज है, जिसका पूर्ण सबूत उधर की स्पीचेज से भी मिलता है जैसा कि उधर से अभी हमारे लायक दोस्त फरमा रहे थे, उसे ही मान लें । इसको मान लेने में कोई कसरेशान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह एक बड़ाई ही की बात होगी । इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव की पुरजोर ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस इन्नोसेंट रेजोल्यूशन को नहीं ठुकरायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--राजदेव उपाध्याय जी, आपने जो संशोधन दिया है वह अनियमित है । ठीक बैठता नहीं । लेकिन आप बोल सकते हैं ।

*श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--- श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे ताज्जुब यह हो रहा है कि इस प्रस्ताव पर हमारे कम्युनिस्ट भाई भी बोल रहे हैं और वे इसका समर्थन करते हैं । जिस मंशा से तिवारी जी ने यह प्रस्ताव रखा है वह मैं समझता हूं कि इस से पूरा होता नहीं । इस प्रस्ताव से उनको फायदे की जगह नुकसान ही होगा । और इसका खास कारण यह है कि जब जमींदारी तोड़ी गयी थी उस समय बहुत से किसान शिकमी के नाम से दर्ज थे । जमींदारी खत्म होने के साथ-साथ उनको अपनी जमीनों पर अधिवासी का हक मिल गया । १३६० फसली के बाद इधर चार-पांच सालों में तमाम किसानों और मजदूरों के परिवार ऐसे हैं कि जो बड़े-बड़े भूमिपतियों, जमींदारों और ताल्लुकेदारों की जो सीर और खुदकाश्त है उस पर हल चलाते हैं या उनकी सेवा का काम कर रहे हैं और आज भी वे उनके कब्जे में हैं । इस प्रस्ताव की जो भाषा है वह अस्पष्ट है और इससे माननीय तिवारी जी की जो मंशा है, जिसके लिये यह प्रस्ताव लाया गया है, वह भी पूरी नहीं होती ।

प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया कि जो लोग पिछले ४-५ सालों से काबिज हैं उनके लिये क्या किया जाय । उनको भी कुछ कानूनी अधिकार मिलना चाहिये या नहीं । अगर उस प्रकार की कोई चीज इस प्रस्ताव में होती तो किसानों और मजदूरों का उससे बहुत लाभ हो जाता । आज भी ऐसे लाखों किसान हैं जो मालिकों की जमीनों को जोतते हैं और जिनके नाम ४-५ सालों से कब्जा दर्ज है । ऐसे लोगों के लिये इस प्रस्ताव में कुछ नहीं कहा गया है । इसलिये यह अस्पष्ट है । इससे अर्थ का अनर्थ होने का खतरा है । इसलिये उसमें ऐसी बातों का समावेश होना चाहिये कि ६० फसली से जिन लोगों का कब्जा है उनको कानूनी हक मिलना चाहिये ।

दीवानी को आज यह हक हासिल है कि जिस काश्तकार का कब्जा है तो किसान के राइट को दीवानी बदल सकती है । इसके बारे में इस प्रस्ताव में नहीं कहा गया है कि उसको वह राइट मिलना चाहिये या नहीं । भेड़ की कहानी मशहूर है कि अगर एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ें उसके पीछे कुएं में जा गिरती हैं । इसलिए मैं अपने भाइयों और माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि इस प्रस्ताव की भाषा अस्पष्ट है उससे फायदे के बजाय नुकसान होने का अंदेशा है । मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

मैं गांव का रहने वाला हूं और किसान हूं । मैं जानता हूं कि खेतों पर बहुत से मजदूर किसानों का कब्जा है और वे बाट जोह रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार उनके बारे में क्या कर रही है । सरकार उनके बारे में कोई विधेयक लाना चाहती है या नहीं जिससे जिन लोगों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का कब्जा दर्ज है उनको हक मिल सके। अपोजीशन के लोग बराबर यह नारा लगाते थे कि जमीन का बटवारा हो, लेकिन इस प्रस्ताव से वह बटवारे की मंशा भी खत्म हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से, जो विधान के बड़े भारी पंडित हैं और जिनको भूमि के बारे में अच्छी जानकारी है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सम्मानित सदस्यों के सामने कोई ऐसा विधेयक लायें जिससे कि जो आज काबिज हैं, जिनकी बड़ी भारी जमात इस प्रदेश में है और जो काफी जमीन जोते हुए हैं उनको कानूनी हक मिले और जो दीवानी कोर्ट, माल कोर्ट या किसी अदालत द्वारा भी बेदखल न किये जायं। इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव जो आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैं श्री तिवारी जी के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं। अभी हमारे बोलने से पहले के वक्ता ने जिस ढंग से अपनी वक्तृता दी उससे मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस प्रस्ताव के प्रस्तावक की मंशा पर भी हमला किया और यह कहने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ साकितुल-मिल्कियत या सीरदार या भूतपूर्व जमींदारों के हकूक को कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया है। अपने जोशीले भाषण द्वारा उन्होंने यह दिखलाने की कोशिश की कि उन छोटे-छोटे काश्तकारों के वे ही दावेदार हैं या प्रतिनिधि हैं। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का मंशा भी वही है जो वे स्वयं चाहते हैं। अपितु वे उस वर्ग में बैठते हैं जहां सही बात को जानते हुए और समझते हुए भी अपने हृदय की बात नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि किसी माननीय सदस्य के लिये यह न समझा जाय कि वे किसी पार्टी के डर से सदन में अपनी बात नहीं कहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, किसी पर लांछन न लगाते हुए जो मेरा अन्दाजा है वही मैं कह रहा हूं। उसी पार्टी में श्री मुक्तिनाथ राय भी बैठे हुए हैं, उनको मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अपने हृदय की बात निर्लिप्त भाव से कह दी और स्वतंत्र रूप से कही। यदि उनकी तरह ही उस पक्ष के हर व्यक्ति को माननीय मंत्री जी इस बात की स्वतंत्रता दे दें कि हर आदमी अपनी स्वतंत्र राय दे सके तो सचमुच में आज की स्वतंत्र वोटिंग होगी। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सन्देह है। आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सन्देह को दूर करेंगे।

अब श्रीमन्, मैं मूल प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज यह प्रस्ताव उस पक्ष की ओर से आया है या उन सज्जन की ओर से आया है जो सचमुच ही उन क्षेत्रों की पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमन्, एक तो गैर-सरकारी दिवस ही बहुत कम मिलता है, उनमें भी यदि प्रस्ताव आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत कम आते हैं। यदि कोई प्रस्ताव आता है तो वह भी लाटरी द्वारा तय होता है। ऐसे प्रस्ताव आने पर भी यदि सरकारी दल के सदस्य यह समझें कि विरोधी पक्ष की हर चीज का विरोध करना ही लक्ष्य है, तब तो हम लोगों का यहां बैठना ही निष्फल है।

श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी की एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम "तब और अब" है, उसी से मैं कुछ उद्धरण पढ़ देता हूं। उस किताब के पेज १४ में है--"यदि पड़ताल के समय उस व्यक्ति से भिन्न जिसका नाम खसरे में स्तम्भ ४ और ५ में लिखा हुआ हो, कोई और व्यक्ति खेत के वास्तविक कब्जे में पाया जाय, तो लेखपाल खसरे के टिप्पणी के स्तम्भ में उसका नाम 'बाकब्जा फलां-फलां' के रूप में लिखता है। ऐसे सभी इन्दराज लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

रोशनाई से किये जायेंगे और उन मामलों में जिनमें न्यायालय की तत्सम्बन्धी आज्ञायें वर्ष के भीतर प्राप्त न हों, उनको अगले वर्ष के खसरे में लाल रोशनाई से फिर से दर्ज किया जायगा, यदि कब्जा बराबर बना रहा हो और वे नये इन्दराज माने जायेंगे जिससे कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी उनकी जांच कर सकें। ऐसे इन्दराज किसी भी दशा में काली स्याही से नहीं किये जायेंगे।" इसके बाद आगे चल कर पेज १५ पर यह है कि लेखपाल "इन्दराजों की एक संहत सूची की तीन प्रतियां नियत फार्म पर बनाये। इस सूची की एक प्रति सुपरवाइजर कानूनगो को और दूसरी भूमि-प्रबन्धक समिति के चेयरमैन को भेजी जाती है। लेखपाल इस सूची से उद्धरण भी तैयार करता है और उन्हें उस व्यक्ति को देता है जिसका नाम खसरे में पहले से ही लिखा हो और उद्धरण की अन्य प्रति उस व्यक्ति को देता है जिसका नाम खसरे की टिप्पणी के स्तम्भ में लिखा हो"।

आगे चल कर पेज १६ पर है कि "लेखपाल कब्जे के बारे में इन्दराज करते समय उसी दिनांक को कब्जे की बात और उस व्यक्ति का नाम जिसका कब्जा हो, अपनी डायरी में भी लिखता है जिसे पड़ताल के समय उसे अपने पास रखना जरूरी होता है और उस डायरी में वह तारीख इन्दराज करेगा, आदि-आदि।" मैंने यह चीज इसलिये पढ़ कर सुना दी कि श्रीमान् राजस्व मंत्री जी ने जो हेरफेर या परिवर्तन किये हैं वे लिपिबद्ध हैं और उन्हें लेकर ही हम विवाद करना चाहते हैं।

मैं यह माने लेता हूं कि श्रीमान् राजस्व मंत्री की नीयत साफ है और वे वास्तव में सुधार करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कागजात की लिखाई में सच्चाई का पालन किया जाय, लेकिन मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि उनके ३-४ साल के प्रयत्न के बावजूद भी क्या उनके सुधार निकम्मे सिद्ध नहीं हो चुके हैं? उन्होंने कहा कि वे सुझावों का आदर करेंगे, लेकिन जब हम सुझाव देते हैं तो वे हमारी बात को सुनना नहीं चाहते।

माननीय मुक्तिनाथ राय ने अभी एक बात कही कि उन्होंने लेखपाल की शिकायत करके उसे हटवा दिया, वे सरकार के अंग हैं, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। मैं नरवल गांव का निवासी हूं। वहां गांव समाज का निर्माण हुआ, लेकिन लेखपाल ने आज तक बैठक नहीं बुलाई। गांव समाज के सभापति ने शिकायत की, मैंने भी तहसीलदार से शिकायत की और शिकायत किये हुए दो, ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन उस लेखपाल का बाल बांका नहीं हो सका। श्रीमन्, राजस्व मंत्री कहेंगे कि मैं उनके पास नहीं गया तो मैं आज उनके पास आया हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी कलम चलने पर कुछ हो सकेगा। जब एक लेखपाल के सम्बन्ध में हमको इतनी दिक्कत हो सकती है कि उसे हटाया नहीं जा सकता तब सारे विभाग का क्या हाल होगा। मैं तो समझता हूं कि उनका यह सारा विभाग ही निकम्मा हो चुका है।

मैंने एक प्रश्न के जरिये पूछा था कि कानपुर तहसील में ग्राम सभाओं की जांच-पड़ताल के बारे में तो उत्तर दिया गया कि ३२ ग्राम सभाओं में गड़बड़ियां पायी गयीं और ८ की पड़ताल नहीं हो पायी। और यह जांच पड़ताल कानूनगो के द्वारा करायी गयी। अगर कानूनगो के द्वारा जांच-पड़ताल करायेंगे तो इन ग्राम सभाओं की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? कानूनगो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं और वे कभी भी ग्राम समाज को अपने बराबरी के दर्जे पर मानना नहीं चाहते हैं, अगर मानना चाहते हैं तो इस लिहाज से कि ग्राम समाजों का आगे काम न चले।

श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम समाजों का उसने निर्माण किया। जमींदारी विनाश के बाद ग्राम समाजों को यह शक्ति दी गयी कि वे ग्राम के बारे में निर्णय दे सकेंगी और जांच-पड़ताल कर सकेंगी, लेकिन जब वास्तविक रूप से वे कोई काम करती हैं तो हम देखते हैं कि ये निकम्मी हो चुकी हैं। इसका कारण डुअल सिस्टम है।

आपने ग्राम समाज तो बनाये, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शक्ति किंचित मात्र भी कम नहीं की। आपने रेवेन्यू कलेक्शन का काम कलेशन आफिसर्स के हाथ में ही रखा और रेकार्ड्स के रखने का, लिखने-पढ़ने का जितना काम है जो कि लेखपाल के मार्फत होता है उसके लिये कहा जाता है कि उसमें ग्राम समाज की सम्मिलित जिम्मेदारी है, लेकिन निगरानी सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकार में है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी प्रकार नहीं चाहता कि ग्राम समाज पनपे। वह ग्राम समाज को कोई गाइडेंस नहीं देता। उसका सारा मंशा यही होता है कि किसी तरह से ग्राम समाज पनप न पायें और आत्म निर्भर न हो सकें।

अभी एक वक्ता महोदय ने उधर से कहा कि एक विधि विधेयक पेश किया जाय। जिस समय यह विधि विधेयक पेश करेंगे तो यह देखेंगे कि किस तरह से वह आता है और कितना वह उचित होता है। यह तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह कहते शोभा नहीं देता है। आपको अपने मुंह से निकम्मेपन की बात कहते हुए शोभा नहीं देता है। यह पटवारी, हम कहेंगे कि साहब, ईमानदार नहीं, आप कहेंगे कि हमने तो सब कुछ तरीके कर दिये हैं, वह अगर ईमानदारी से नहीं करते हैं तो तुम करवाते क्यों नहीं हो? यह हालत होते हुए कि आपने सब कुछ प्रिकाशंस ले लिए और यह भी आपने सुना, दूसरी तरफ से कहा गया कि उनका पालन नहीं हो रहा है, तब भी आप सल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि इन पटवारियों को आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलाहिदा करके ग्राम-समाजों के अंडर में रख दें। आपका रेवेन्यू कलेक्शन बराबर हो रहा है, उसमें एक पाई का भी खतरा नहीं है। हालांकि आपने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में लिखा कि हम धीरे-धीरे ग्राम पंचायतों को यह काम देना चाहते हैं, लेकिन आपका विश्वास उनके ऊपर नहीं जमता।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जरा मंत्री जी को प्रत्यक्ष संबोधित न करिये आप? आप बराबर उन्हीं को प्रत्यक्ष सम्बोधित कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री पद्धति जैसी है उसी के अनुसार आप भाषण दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आपने मुझे कल भी टोंका था...

श्री अध्यक्ष--आपको उसमें बड़ी आसानी हो सकती है। आप दूसरों को शिक्षा देते हैं तो आपको स्वयं भी उसे मानना चाहिए।

श्री मोती लाल अवस्थी--श्रीमन्, अपने को तो मैं आपका शिष्य ही समझता हूं।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ग्राम समाजों के बारे में जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में आपने बड़े आदर्श के साथ एक पूरा चैप्टर रखा था और उसमें यह सोचा गया था कि उनको धीरे-धीरे स्वतंत्र विलेज आटोनामस बाडी बना देंगे। ऐसा कहा गया था कि अपने गांवों का लगान वसूल करेंगे और पूरी स्वतंत्रता उनको होगी। लेकिन खैर, उसके बारे में तो सरकार ने निश्चय कर लिया कि जो रेवेन्यू है उसमें सरकार एक पाई का भी खतरा नहीं उठा सकती। हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि वह अपने पैसे के लिए हमेशा दूसरों को अयोग्य ही समझेंगे। लेकिन गांवों के सम्बन्ध की जो और बातें हैं, गांवों का रेकार्ड रखना, गांवों का इन्तजाम करना, इन सब चीजों के बारे में तो आप जिम्मेदारी गांव समाज को सौंप सकते हैं। लेकिन लेखपाल अगर ये सारे काम करता है और वह गांव समाज के अन्डर में नहीं होता है तो कैसे यह काम चल पायेगा? आप कहेंगे कि हमने तो सब उपाय कर रखे हैं कि लेखपाल ईमानदारी से काम करे। फिर अगर वह नहीं करता तो आप शिकायत नहीं करते, या दौड़ते नहीं। इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा। इन लेखपालों को अगर ईमानदारी सिखाना चाहते हैं, अगर सचमुच ही डाखिल-खारिज को सही करना चाहते हैं, तो अभी एक भाई ने बताया कि एक छोटी-सी गलती के लिए हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, न जाने कितनी जानें चली जाती हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह इतनी महत्व की चीज न होती तो हाउस का इतना

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कीमती समय इसमें लेने की कोई जरूरत न होती। तो मैं आपके सामने यह सुझाव रखता हूं कि आप इन पटवारियों को ग्राम सभाओं के अधीन रख दें। इससे आपको तनिक भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपने सेक्रेटरीज, पंचायत मंत्री रखे हैं। वह भी ड्युएल सिस्टम में रखे हैं। वह काम तो पंचायत का करते हैं लेकिन पेड होते हैं आपके रेवेन्यू से। होता यह है कि वह अपने को पंचायत अफसर के प्रति रिस्पांसिबिल समझते हैं बजाय इसके कि ग्राम पंचायत के प्रति अपने को रिस्पांसिबिल समझें। मैं इस ड्युएल सिस्टम को बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो सेवक हो वह एक ही के प्रति जिम्मेदार हो। अब प्रिकाशन के लिए आप दूसरी बातें रख सकते हैं। आपने भूमि प्रबन्धक नियमावली में यह रखा कि ग्राम समाजों की निगरानी परगना हाकिम करेंगे। मैं क्या पूछ सकता हूं कि यह कितनी निगरानी करते हैं? कतई नहीं कर पाते। इनके दो दौरे होते हैं जिनमें वह थोड़ी सी जगहों पर सेंट्रल प्लेसेज पर पहुंच पाते हैं और अगर उसके आसपास १०० ग्राम समाज हैं तो सबकी चेकिंग वह कभी नहीं कर पाते हैं। अभी आपने कल एक उत्तर में कहा कि कानूनगो के अलावा जाड़े के दौरान में एस० डी० ओ० ने भी किया। मुझे मालूम है कि एक सवाल के दौरान में मैं कानपुर गया हुआ था और मुझे थोड़ी सी कानाफूसी भी सुनाई पड़ी कि साहब आपके सवाल से कानपुर तहसील में तहलका मचा हुआ है और जवाब देने के लिये, खासतौर से पैसेंजर भेजना पड़ गया है। खानापूरी आपने कर दी, लेकिन असलियत कुछ दूसरी है। वहां पर ग्राम समाज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ड्युएल सिस्टम चल रहा है। लेखपाल को जब तक ग्राम समाजों के सुपुर्द नहीं करेंगे तब तक इन्दराज सही नहीं हो पायेंगे। आज मैंने देखा माननीय रामस्वरूप यादव जो भी इसके पक्ष में बोले जो कभी नहीं बोलते थे। मालूम होता है कि किसी कमजोर केस को बड़े-बड़े वकील लगा कर पेश किया जा रहा हो। इन लेखपालों के सम्बन्ध में आप जो पूछते हैं कि आखिर को इन्दराज करने को कहा जाय कि न कहा जाय? मैं मानता हूं कि वह गांव का रिकार्ड कीपर है और उसके द्वारा काम होना चाहिये। लेकिन उसका सुपरवीजन ऐसी बाडी के अन्डर हो जो ग्राम की विश्वसनीय संस्था हो और ग्राम समाज को वह संस्था है, उसी के हाथ में पूरी ताकत दे दें।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जिन सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने विरोध किया है उनके लिये श्रीमन्, मुझे केवल दो, एक शब्द कहने हैं और खासतौर से उनके लिये जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह का प्रस्ताव कैसे आया, मैं उनसे पुनः जो लोग इसके बाद बोले पूछता हूं, यह समाजवादी प्रस्ताव है इसलिये है कि आज भी प्रदेश में एक बटे तीन हिस्सा भूमिधर हैं और दो बटे तीन हिस्सा सीरदार हैं। श्रीमन्, काबिज लिखने और इन्दराज का अधिकार केवल सीरदारों को जो दो बटे तीन हिस्से के ऊपर काबिज हैं उनको बेदखल करने के अलावा कोई कायदे का नहीं है। मैं इसका जवाब चाहता हूं और साथ ही यह भी चाहता हूं कि बाग में जिनके घर हैं उनके बारे में क्या इन्दराज होता है। आप से मैं यह भी पूछता हूं कि जो बाग की रखवाली के लिये नौकर रखते हैं उनके लिये कैसा काबिज का इन्दराज मानते हैं? जो लोग अपनी जमीन पर मकान बना कर और ५० वर्ष तक दूसरे के कब्जे में उठाये हैं उनको किस इन्दराज के खाने में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है ? मैं यह भी पूछता हूं कि क्या आपकी हुकूमत में मजदूरी देकर काम कराने का नियम नहीं है ? मैं मानता हूं कि बैल न होने के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण और दूसरे कारणों से हम अपने खेत बटाई पर उठाते हैं और रेहन करते हैं इसलिये कि हम उसको थोड़े दिन बाद छुटा लेंगे तो वह काबिज लिख दिया जाय और वह ग्राम समाज द्वारा बेदखल कर दिया जाय । आप की हुकूमत ने...

श्री अध्यक्ष--आप भी 'आप' शब्द का बहुत उपयोग कर रहे हैं । आप सरकार कहिये ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तो मैं सदन को बताना चाहता हूं जो सरकारी पक्ष है उसको कि इस तरह की व्यवस्था का नाम क्या है जिसमें आज भी बड़े लोगों की हिफाजत करने के लिये सरकार तैयार है ? कायदे से, कानून से और हर प्रकार से उनकी मदद करने को तैयार है ? मुझे कोई हिचक नहीं है आज मजदूरी देकर फार्म पर काम कराया जा सकता है । जिसका फार्म है, जो बड़े-बड़े खेत वाले हैं वह खुद काश्त तो नहीं करते हैं और मजदूरी देकर खेती कराते हैं तो जो उस जमीन पर खेती करते हैं तो क्यों नहीं उनको मालिकाना हक देती सरकार ? लेकिन यह केवल गरीबों को बेदखल करने के लिये नियम बना दिया गया है और कहा जाता है कि यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम है । हमने बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों ने कहा कि आप कोई सुझाव दीजिये, मैं मानता हूं कि सुझाव देना जरूरी है । लेखपाल आदमी के मर जाने के बाद भी उसकी विरासत दर्ज नहीं करते और दस साल तक कब्जा नहीं लिखते और मरे हुये का ही नाम घसीटते चले जाते हैं और उसके लिये वारिसों को ही लिखना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है । अगर विवाद हो तो और भी झगड़ा होता है । मैं कहता हूं कि उसकी रिपोर्ट करने में क्या बुराई है । कोई ऐसा कंट्रोल हो जिससे विवाद न हो और बेदखली की नौबत न आये । जिन्हें इस सरकार की इज्जत का खयाल नहीं है उनको तमाम हक दिये गये हैं । बड़ा क्रान्तिकारी कदम सरकारी की तरफ से उठाया गया । जिन्होंने दसगुना दिया उनको तो हक दिया और जिन्होंने कीमत नहीं दी उनको और कमजोर बना दिया गया, उनको कोई हक नहीं दिया गया और उन्हें बेदखली के मुंह में खड़ा कर दिया गया और कुछ नहीं दिया ।

इन शब्दों के साथ अब मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं । यादव जी ने कहा कि यह समाजवादी प्रोग्राम है और यह किसानों की हिफाजत के लिये है । आप यही किसानों की हिफाजत करते हैं ? कहीं भी जमींदारी एबालिशन से पहले सार्वजनिक जमीन का इन्दराज था ? आपने लड़ाई के लिये जमीन तैयार कर दी और मुकदमेबाजी खड़ी कर दी । जमींदारी एबालिशन से पहले सार्वजनिक जमीनों का इन्दराज किस नवैयत में दर्ज होता था ? मुझे भी जानकारी है, मैं भी देहात का रहने वाला हूं, मैं भी भूमि से पैदा हुआ हूं और उससे मेरा सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि सन् ४६ से आज तक लगातार तमाम कानून किसानों के खिलाफ बन रहे हैं और आज भी वही हालत है । यह बड़ा सीधा-सादा प्रस्ताव है । इससे सरकारी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी । मैं चाहता हूं कि लेखपाल को जो यह इन्दराज का हक है कि किसी को चाहे काबिज लिखे या न लिखे यह न होना चाहिये ।

हमारे यहां लवकुश एक मौजा है वहां का एक किसान आज से २५ साल पहले काश्त छोड़ गया और उसकी जमीन पर अब दूसरा आदमी काबिज है, उसका २० साल से कब्जा है, लेकिन आज तक उसका कब्जा नहीं लिखा गया, उस जमीन का एक बैनामा किया गया है और उसका अब बलवा होने वाला है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दराज केवल काश्तकार की जोत पर ही नहीं होना चाहिये बल्कि वह बाजार पर भी होना चाहिये, बाग और मकान पर भी होना चाहिए ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

मकान पर जो दूसरे लोग काबिज हैं उनका भी नाम दर्ज होना चाहिये, फार्म में जो लोग शामिल हैं उनका नाम भी दर्ज होना चाहिये, जो कारखाने में काम करते हैं उन का भी इन्दराज होना चाहिये। यदि आप हमारे प्रस्ताव को मान लें और लेखपालों के इस अधिकार को समाप्त कर दें तो बड़ा लाभ होगा। एक कमेटी आप बना दीजिये, उसमें हम भी रहें और आप भी रहें, उसमें जिसको चाहे रखिये और उसमें इस बात पर विचार हो कि कैफियतों के इन्दराज की कैसे हिफाजत हो सकती है, कैसे गरीबों की रक्षा हो सकती है और कैसे हम भूमि-हीनों को भूमि दे सकते हैं।

एक साहब ने बटवारे का नाम लिया कि इस से भूमि का बटवारा हो सकता है। आप शिकमी के नाम पर इन्क्वायरी कराइये। आप अपने आंकड़े शास्त्रियों से पूछिये कि इस सूबे में कई लाख किसानों ने, अधिवासी किसानों ने सीरदारी का हक प्राप्त कर लिया। जो सही आदमी है उससे आपने कह दिया कि उज्रदारी करो। उज्रदारी करने पर मुकदमें और परेशानी उठानी पड़ी और दिया क्या? उनको तो और अढ़ाई गुना लगान देना पड़ा जो कि अधिवासी से सीरदार हो गये थे। उनको तो पुराना लगान देना भी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह बात संकल्प से संबंधित नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप किस-किस बात का जवाब देंगे? आप संबंधित विषय पर सीमित रहिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तो मेरा कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव नहीं है। नीयत हमारी साफ है और मैं अब भी कहता हूं कि यह जो एक आदमी को आपने मनमानी करने का अधिकार दे रखा है, यह उचित नहीं है।

सरकार का एक आदेश निकला, जमींदारी एबालिशन के पहले कि ५६ के इन्दराज मान लीजिये। ५६ के इन्दराज के बाद जो असली काश्तकार काबिज रहे तो इस सरकार ने आदेश निकाल दिया कि उसका कब्जा न लिखा जाय, कोई दूसरा काबिज हो तो उसका कब्जा मान लिया जाय। इससे क्या कानून की मर्यादा बढ़ती है? तो इसके सम्बन्ध में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री जी बोलने के लिये तैयार हैं और वह अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिर भी अगर भूमि का बटवारा करना है तो एक सीलिंग मुकर्रर कीजिये, आप उनको गारण्टी दीजिये कि इससे कम की खेती पर बेदखल नहीं होंगे जब तक कि वह अपने मन से नहीं बेचेंगे जितने अधिक भूमि वाले हैं उनसे लेकर भूमि का वितरण कीजिये। इस तरह से जो जमीनें बेदखल की जायंगी उनके लिये लिखा है कि सबसे पहले भूमिहीनों को भूमि मिले, लेकिन मैं जानता हूं कि वह उनको नहीं मिलेगी। अन्त में लिखा है कि उसका नीलाम होगा और जो अधिक बोली बोलेगा उसको जमीन मिलेगी। तो कहां आप भूमिहीनों को भूमि दे रहे हैं? एक जाल बनाने से, नाटक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने माना कि एक मानसिक शांति इस जमींदारी एबालिशन से लोगों को मिली .....

श्री चरण सिंह--मैं व्यवस्था का प्रश्न पेश करना चाहूंगा कि भूमि वितरण से इसका वास्ता क्या है? अगर उनका यह मतलब है कि जो उनके दिमाग में है भूमि के सिलसिले में वह इस रेजोल्यूशन के जरिये कहना चाहते हैं तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आखिर क्यों इसकी इजाजत दी जाय?

श्री अध्यक्ष--मैंने तो आपसे पहले भी कह दिया था। अगर किसी ने असंगत बात कही हो तो आप जवाब न दीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उधर से जो कहा गया उसका मैं उत्तर दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई असंगत बात कही गयी हो तो उसका जवाब न दीजिये ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—यह कहा गया कि अगर खेत पर कब्जा हो तो उसको कापी दी जाती है, लेकिन क्या खारिज करने की सूचना उसको मिलती है? नहीं मिलती । कई सदस्यों ने कहा कि जो लोग वास्तव में कमजोर हैं वह वास्तव में काबिज रहते हुये भी कब्जा नहीं करा पाते और बलवान उस पर कब्जा नहीं होने देता । इस कब्जे के आधार पर अगर जमीन मिल जाय, जैसा किसी सदस्य ने कहा कि एक बिल लाना चाहिये तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप क्यों बेदखल करते हैं । आजमगढ़ जिले में एक गांव के किसानों को मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी कराने पर कब्जा लिखा गया । और यह भी साबित हुआ कि उनका कब्जा १२ साल से अधिक का है, लेकिन फिर भी बेदखल किये जा रहे हैं । आपकी सरकार अगर बनायेगी तो वह जनतांत्रिक सरकार है और किसी न किसी को तो अधिकार देना ही पड़ेगा । अगर आपने यह कानून बना दिया कि कब्जे वाला मुस्तकिल हो जायगा तो भी यह चीज नहीं रहेगी क्योंकि जो बलवान आदमी होगा वह एक साल के लिये कब्जा लिखायेगा और उस पर अधिकार कर लेगा । इसलिये कोई न कोई प्रतिबंध तो आपको रखना ही पड़ेगा ।

अब दूसरी चीज यह है कि काबिज के सिलसिले में हमने यह बतलाया कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । यह काबिज गरीबों के हक में नुक्सान करने वाली चीज है और वह लेखपाल के डिसक्रीशन पर ही रहता है इसलिये इसको खत्म किया जाय और इसके लिये एक कमेटी बिठाई जाय और उसकी राय में जो उचित हो, वैसी व्यवस्था की जाय । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रस्ताव सीधा-सादा है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे और मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

*श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों तरफ से इस प्रस्ताव के ऊपर भाषण हुये हैं उन सबको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और मुझे ऐसा लगता है कि लेखपालों को कैफियत के खाने में जो इंदराज करने का अधिकार दिया गया है, वह नहीं रहना चाहिये, उसको छीन लिया जाय । अब देखना यह है कि इसके नतायज क्या होंगे ? इस पर बहुत कम विचार किया गया है वरना जैसी तकरीरें हुई हैं, वैसी न होतीं । मान लिया जाय उसको अधिकार न हो कि किसी प्रकार का इंदराज करे तो उसका केवल एक ही और अधिकार रह जाता है और वह यह कि खेत में जो फसल खड़ी हुई है वह किस किस्म की है । वह इसको लिखता है । आज लेखपाल के केवल दो ही अधिकार हैं । अगर एक अधिकार ले लिया जाय तो उसका केवल एक ही अधिकार रह जाता है कि फसल किस खेत में कैसी है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस अधिकार को इससे ले लेते हैं तो जितना दुरुपयोग से समाज को नुकसान होता है उसकी अपेक्षा समाज को कितनी बड़ी हानि होगी अधिकार लेने की सूरत में, क्यों ? आज जो हमारा कानून भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी बना है, उसका मूल सिद्धांत ही यह है कि जो आदमी जमीन का मालिक है, जिसके पास जमीन का टाइटिल है, कब्जा उसी आदमी का रहना चाहिये अगर वह मुंतकिल कर देता है इस खयाल से कि खेत से फायदा दूसरा आदमी उठायेगा और हक या टाइटिल मेरा रहेगा तो हमारी पालिसी है जमींदारी एबालिशन की उसके विरुद्ध यह बात हो जाती है क्योंकि जमींदारी हमनें एबालिश क्यों की ? इसलिये की कि टाइटिल और पजेशन, एक ही खेत के दो हाथों में थे । टैनेन्ट्स पजेसर थे और जमींदार टाइटिल होल्डर्स थे । जमींदारी एबालिशन का मतलब ही यह हुआ कि हमने लैन्डलार्ड्स को खत्म कर दिया और जिसका कब्जा था उसको टाइटिल दे दिया है तो फिर इससे यह रिलेशन दुबारा कायम हो जायगा अर्थात् आइन्दा कभी जमीन दो हाथों में न बंटे और एक ही के हाथ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]

कब्जा और टाइटिल रहे । इसीलिये हमने सबलैटिंग को मना किया । जो लोग समर्थ हैं, एबिल माइंडेड हैं, अगर वह लगान पर उठायेंगे तो वह कानूनन खिलाफ होगा, लेकिन उस कानून में साफ लिखा हुआ है, बेशक कानून इजाजत देता है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री चरणसिंह--मैं ईल्ड नहीं करता । पढ़ लें जमींदारी एबालिशन ऐक्ट । इसीलिये युजुफ्रक्टुअरी मार्गेज को, दखली रेहन को प्राहिबिट किया है, सिम्पिल मार्गेज को प्रोहिबिट नहीं किया है । भूमिधर को सिम्पिल मार्गेज करने का राइट है क्योंकि पजेशन राइट उसके पास रह जाता है । लेकिन दखली रेहन में पजेशन दूसरे का हो जाता है, मुर्तहिन का ।

अब माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी कहते हैं कि आपके कानून ने रेहन को खिलाफ कानून करार दे दिया है । जानबूझ कर दे दिया है । रेहनदखली और जरे-पेशगी पट्टे में सब्सटेंस में कोई फर्क नहीं है । रेहनदखली में क्या होता है ? एक आदमी शुरू में रुपया दे देता है और १०, २० साल के लिये जमीन ले लेता है । अगर उस मियाद के अन्दर वह रुपया अदा कर दे तो वापस ले सकता है, नहीं तो पजेशन निकल जाता है । युजुफ्रक्टुअरी मार्गेज रेहनदखली में भी पजेशन भूमिधर के हाथ से निकल जाता है और पट्टे में भी पजेशन निकल जाता है ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री को हिन्दी नहीं आती है ? वह काफी अंग्रेजी के शब्द घुसेड़ रहे हैं । अगर उनको हिंदी के शब्द नहीं मिलते हैं तो उसका अनुवाद भी कर दिया करें ।

श्री अध्यक्ष--वह हिंदी में अनुवाद भी करते जाते हैं ।

श्री चरणसिंह--जिन लफ्जों को मैं घुसेड़ रहा हूं उनकी हिन्दी भी साथ-साथ बोल रहा हूं जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि रेहनदखली की सूरत में भी और पट्टे की सूरत में भी पजेशन भूमिधर के हाथ से निकल जाता है और पट्टेदार या मुर्तहिन के दखल में हो जाता है । फर्क केवल इतना है कि पट्टेदार सालाना लगान देता है क्योंकि मुर्तहिन ने पेशगी दे दी इसलिये रेहनदखली के नाम से जमीन दूसरे के कब्जे में न चली जाय, इसलिये रेहनदखली को खिलाफ कानून करार दिया गया और सिम्पिल मार्गेज यानी सादा रेहन की इजाजत दे दी गई ।

अगर कब्जा लिखने का अधिकार लेखपाल को न हो और मान लीजिये कि मैंने पट्टा दे दिया अगर रेहनदखली कर दिया किसी के हाथ में तो खिलाफ कानून कार्यवाही हो गई और कागज में कोई सबूत नहीं, न गांव समाज उस पर कोई कार्यवाही कर सकता है, न मुहकमा माल के अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं । इसी तरीके से मान लो कि मेरी जमीन पर किसी का नाजायज कब्जा हो जाता है, अब आप चाहते हैं कि इसका भी इन्दराज न हो ।

तीसरी सूरत यह हो सकती है कि सीरदार को अधिकार है जमीन को इस्तेमाल करने का खेती के लिये, पशु-पालन के लिये, मछली पालने के लिये और कुक्कुट-पालन के लिये, इन चार तरह के इस्तेमाल के अलावा किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसका इन्दराज करने का अधिकार न हो लेखपाल को तो वह भी इन्दराज उसके अन्दर नहीं आयेगा । कैफियत के खाने में वह यह भी इन्दराज करता है कि आज फलां सीरदार ने खेती बन्द कर दी, उस पर कारखाना बना लिया, उसमें कंकड़ की खान बना ली, उसमें मकान बनाकर किराये पर दे दिया, इसलिये जो कानून बना है उसकी जो स्कीम है उसकी जो मंशा है वह खफ्त हो जायगी, फ्रस्ट्रेट हो जायगी, खत्म हो जायगी । वैसे मैं माननीय ब्रजनारायण जी तिवारी की मंशा को समझ सकता,

साल भर अभी नहीं बीता है, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया था और मैंने उनको बुलाकर समझाया था। प्रस्ताव क्या था ? प्रस्ताव यह था कि ३ १/८ एकड़ के भूमिधर और सीरदार को जमीन लगान पर उठाने की इजाजत दे दी जाय। यह प्रस्ताव आया था। जिस तरह से आज के एजेन्डे पर तीसरे नम्बर पर जो प्रस्ताव है उसी तरह से वह प्रस्ताव छपा हुआ था। सदन की कार्यसूची में वह प्रस्ताव छपा हुआ था। ब्रजनारायण जी यहां पर मौजूद हैं वह इससे इन्कार नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव उनका जब आया तो मैंने उनको समझाया कि आप पी० एस० पी० के मेम्बर हों तो क्या फिर जमींदारी कायम करना चाहते हो ? जमींदारी कैसे कायम होती है ? वह इसी तरह से होती है कि किसी आदमी को जमीन लगान पर उठाने का अधिकार दे देना। जमीन के मालिक को अगर यह अधिकार है कि वह अपनी जमीन लगान पर दे दे तो यही जमींदारी हो गई और इसी से जमींदार और काश्तकार का रिश्ता कायम हो गया। इसी रिश्ते को ब्रजनारायण जी इस रेज्योलूशन के जरिये से फिर कायम करना चाहते हैं। मैंने अपने मित्र होने के नाते उनको समझाया कि तुम्हारी पार्टी के सिद्धांत के यह विरुद्ध पड़ता है। उन्होंने उसको वापस ले लिया। लेकिन आज फिर उन्होंने यह बात कही कि आपका कानून न तो रेहन करने की इजाजत देता है और न पट्टे की इजाजत देता है और इस कानून को बनाने वाले प्रतिक्रियावादी हैं और यह भी कहा कि जितने कानून बनते हैं वह काश्तकारों के खिलाफ बनते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लेखपाल को आज इसका अधिकार है कि रेहन जिसके नाम होता है या पट्टा जिसके नाम किया जाता है, अगर उनका कब्जा होता है तो उनका कब्जा लिख दे। लिहाजा जो लोग जमीन को लगान पर उठाना चाहते हैं और दूसरे के लेबर का शोषण करना चाहते हैं वे ही इन्दराज के खिलाफ हो सकते हैं और अगर उनका कोई दूसरा मंशा है तो मैं कहूंगा कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया। एक मित्र ने इधर से भी कहा कि इस अधिकार को देने से डाके पड़ते हैं और कत्ल हो रहे हैं और इतना नुकसान हो रहा है और इससे वह दूसरी सूरत चाहते हैं। अगर जमीन लगान पर दे दी जाय तो इन्दराज न हो वह इस तरह की सूरत चाहते हैं बजाय इसके कि जो अधिकार आज दिया हुआ है उससे आज बदअमनी हो रही है। अव्वल तो मैं इस फैक्ट को ही तसलीम नहीं करता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यह बात उन्होंने तसलीम की कि अगर यह अधिकार न हो तो लोगों को अपनी जमीन को रेहन और लगान पर देने की छूट्टी मिल जायगी और वह सूरत उनको पसन्द है तो फिर अध्यक्ष महोदय, सारा सवाल यह है कि मान लीजिये कि आज हमारे यहां ९० लाख किसान हैं और ९० लाख किसानों के कुटुम्ब के नाम वहां दर्ज होंगे तो वह १।।। करोड़ किसानों के कुटुम्ब के लोगों के नाम खतौनी और खसरे में दर्ज थे। अब इनमें से ४ फीसदी लोग हर साल मरते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ६ लाख केसेज हो गये दाखिल खारिज के। अब मान लीजिये कि लेखपाल वहां तहसील में रिपोर्ट नहीं करता है और जो वारिसान हैं वे भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और लेखपाल को यह अधिकार है नहीं कि वह नाम इन्दराज कर सके तो फिर कुछ दिनों के अन्दर कन्फ्यूजन हो जायगा। मौके पर क्या है और कागज में क्या है इसका कोई मेल नहीं खायगा क्योंकि जो कागज में इन्दराज हैं उनमें अन्तर आ जायगा।

इसी वजह से यह समस्या पैदा हुई गोंडा और बस्ती में जबकि रिकार्ड आपरेशंस के समय वहां पर लाखों खड़े हुये काश्तकारों का सवाल आया था। उनका कब्जा था, लेकिन नाम दर्ज नहीं था। वहां पर खड़े काश्तकारों का आन्दोलन भी कुछ हुआ था। तो यही सूरत वहां पर पैदा हो जायगी १० साल के अन्दर अगर लेखपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया। इसलिये यह अधिकार देना जरूरी है और देना चाहिये। अब लेखपालों को जो हमने अधिकार दिये हैं उनका दुरुपयोग न हो इसके लिये जितनी कोशिश हम कर सकें वह हमको करनी चाहिये। गेंदासिंह जी अपनी बात कह कर चले गये कि राजस्व मंत्री जी समझते हैं कि उनका लेखपाल भगवान है। मैं तो गेंदासिंह जी को भी भगवान नहीं समझता और किसी इन्सान को भगवान नहीं समझता। मैं नहीं कहता कि मेरा लेखपाल तो क्या, मैं कभी गलती नहीं करता। कहीं

[श्री चरणसिंह]

ऐसा इंसान है कि जो गलती नहीं करता ? क्या सर्विस में हो जाने की वजह से वह गलती नहीं करेंगे, इंसान गलती करता है। हां, उस अधिकार का दुरुपयोग न हो, उसे हमको देखना होगा। लेकिन अधिकार देने होंगे अगर अधिकार न दिया जाय तो काम चलेगा नहीं। पुलिस अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, उसे न रखा जाय, रेवेन्यू स्टाफ अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, इसलिये इसको न रखा जाय, टीचर्स अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं लिहाजा स्कूल बन्द कर दिये जायं, नहरों पर पतरौल कभी-कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं इसलिये नहरें न चलायी जायं, यह क्या लाजिक है ? देखना यह है कि राज-कर्मचारियों को हमें अधिकार देने होंगे और गांव के लेविल पर कलेक्टर की हैसियत का अधिकारी नहीं रह सकता छोटी हैसियत का अधिकारी होगा। जो हमारी परिस्थिति है उसमें जो बेस्ट पासिबिल कोर्स है, जो सुगम से सुगम रास्ता हमारे पास हो उसके लिये हमारी कोशिश होनी चाहिये। अब अधिकारों का दुरुपयोग न हो उसके लिये जितनी कोशिश हमारे यहां हुई है, मैं नहीं समझता कि इतनी कहीं और हुई हो।

हमारे बड़े राज-कर्मचारियों का यह कहना है कि आपने अगर वह कब्जा लिखता है तो उस पर ७ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और अगर वह कब्जा न लिखे तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो क्यों वह कब्जा लिखे और झगड़े में पड़े इस से अच्छा तो है कि न लिखे और न झगड़े में पड़े। यहां तक सूरत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही जो प्रतिबन्ध हम ने लगाये हैं उनको मैं सुनाना चाहता हूं। हमारे मोती लाल जी ने एक पुस्तिका "उत्तर प्रदेश में भूमि-व्यवस्था में क्रान्ति" का जिक्र किया शायद लेखपाल वर्सेज पटवारी के सिलसिले में। इस में कुछ पाबन्दियां लिख दी गयी हैं, किन्तु इसके पहले मैं अध्यक्ष महोदय, आप को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय ब्रजनारायण जी ने पहले भी कहा था और इस बार भी कि लेखपालों को पटवारियों से दूने अधिकार हो गये हैं। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी यह बात अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता हो, सिवाय इसके कि वह ऐसी बात इस असेम्बली में कहे और कहीं नहीं कह सकता है। ठंडे दिल से कोई यह बात मानने को तैयार न होगा, क्योंकि पुरानी प्रथा के अन्तर्गत पटवारी दाखिली, रेहनों, काश्तकारी के उत्तराधिकार के बिना झगड़े वाले मामलों के सम्बन्ध में इन्दराज जमींदारों द्वारा उठायी गयी खड़ी जमीनों के पट्टे काश्तकारों और शिकमियों द्वारा उठायी गयी अपनी जमीनों के पट्टों, नदी की धारा के बदलने से निकलने वाली या डूबने वाली जमीन तथा उन पर काबिज होने वाले व्यक्तियों के नाम इन्दराज कर सकता था और यह सब अपने ही अधिकार से कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसमें तो उसे जमीन के एक्सचेंज लिखने का भी अधिकार था और वह ऐसा बिना अदालत के हुक्म के कर सकता था और दूसरा अधिकार यह था कि वह नाम काट भी सकता था जो वाकायदा खतौनी में लिखा है। तो यह सारे अधिकार ले लिये गये। यह जो शिकमी तथा अधिवासियों की बात कही गयी है, लाखों अधिवासी, जिनको कि माननीय रामस्वरूप जी ने कहा, जो जेनुइन टेनेन्ट्स थे उनको ट्रेसपासर लिखा हुआ था। अगर अदालत में मामला जाता तो एक पटवारी का बयान काफी था कि यह ट्रेसपासर है। जब तक कि वह किसान रसीद न दिखा सके। नहीं दिखाता क्योंकि पटवारी ने ट्रेसपासर लिखा हुआ है। लेकिन हमने सिर्फ इन्दराज होने के बल पर ही उनको मालिक बना दिया। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लाखों आदमी बेदखल हो जाते। आज उस चीज की भी नुक्ताचीनी की जाती है। तो मालूम होता है कि शब्दों के जो डिक्शनरी में माने थे वे बदल गये हैं। हमने पाबन्दी लगाई है कि लेखपाल कब्जे के बारे में अपनी डायरी में दर्ज करेगा, परताल के समय, पत्र की क्रम संख्या और तारीख भी टिप्पणी वाले खाने में दर्ज करेगा। मैं मिसाल देकर बताता हूं। मान लीजिये मेरे खेत पर कब्जा पाते हैं यादव जी। उनका नाम लिखा है मेरे खेत के मुकाबिले रिमार्क्स के कालम में। उस ऐण्ट्री का नम्बर लेखपाल डालेगा अपने रोजनामचे में। रोजनामचे में जो क्रम संख्या है उसे वह ऐन्ट्री के नीचे लिखेगा, डायरी के सीरियल नं० की डेट। इसकी एक नकल वह एफेक्टेड आदमी को भी देगा, दोनों को देगा और वह दोनों के हस्ताक्षर करावेगा ताकि कोई यह न कह दे कि हमने तो भेज दिया और वाकई भेजा नहीं।

तीसरी बात यह है कि जब कुल परताल हो जायगी, तो वह तीन सूचियां बनावेगा इस तरह के इन्दराज की। एक सूची गांव के सभापति को देगा। अगर वह नहीं देता है तो उसकी शिकायत होगी और उस पर कार्यवाही होगी। अगर वह नहीं देता है तो ऐंट्रिज बेमानी हो जावेंगी। लेकिन मान लीजिये कि किसान तो धोखे में रहता है और दस्तखत कर देता है। गांव का सभापति तो इतना सीधा नहीं है। कम से कम उससे टेढ़ा आदमी गांव में और कोई नहीं रह सकता। रामस्वरूप यादव जी या मैं सीधे आदमी हैं तो सभापति तो हमसे कह देगा कि चरणसिंह जी, तुम्हारे खेत पर लेखपाल ने कब्जा यादव जी का लिखा है और सजग हो जाओ। पहले ५० साल से कब्जा एक का था तो नाम दूसरे का दर्ज था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, उस सूची की एक नकल लेखपाल कानूनगो को देगा जो गांव में आवेगा और लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी को या भूमि प्रबंधक कमेटी के सभापति को और गांव सभा के सभापति को बुलावेगा और उनकी मौजूदगी में लिस्ट को चेक करेगा और अगर गलत है तो वह ठीक कर सकता है। वह तहसीलदार के पास उस सूची को भेजेगा। तहसीलदार दोनों फरीकेनों को नोटिस देकर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत कार्यवाही करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे १५ मिनट ज्यादा दे दें तो अच्छा हो क्योंकि सबके हित की बात है।

श्री अध्यक्ष--नहीं, यह नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह--और अगर हाउस दे दे तो ?

श्री अध्यक्ष--नहीं, नियम है कि भाषण समय के अन्दर समाप्त करना ही होगा।

श्री चरणसिंह----अध्यक्ष महोदय, छठी बात यह है कि हमने एक यह भी नियम बना दिया है, जिसको एक साल हो गया है, कि जो ४-५ पाबंदियां बतायी गयी हैं उनमें से अगर एक भी पाबन्दी नहीं होती है, एक पर भी अमल नहीं होता है तो उस इंदराज की अदालत के सामने कोई कीमत नहीं होगी। फिर इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता।

जनवरी, सन् १९५८ में एक आर्डर बोर्ड आफ रेवेन्यू की तरफ से भिजवाया है और उसके बारे में यहां भी माननीय सदस्यों को बता दिया गया है कि वे अपने-अपने हल्के में ५ गांव चुन लें, तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर उनके साथ जायगा तथा देखेगा कि वहां क्या-क्या गलतियां हैं। अगर आप लोग इस पर अमल करते हैं तो अगर लेखपाल आज गलती करता है, वह आगे को गलती करना छोड़ देगा। मैं जानना चाहूंगा कि लेजिस्लेटर्स का रिकार्ड्स के मामले में कहां कितना एसोसिएशन किया जाय। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ? केवल यह कह देना कि इसको समाप्त कर दिया जाय और उसका इलाज भी कुछ नहीं बताया जाय, मैं समझता हूं कि यह तो अपनी जिम्मेदारी से आंखें मींचना ही हुआ। इसलिये केवल नुक्ताचीनी से काम चलने वाला नहीं है। हर चीज के सिलसिले में नियम होते हैं और कानून होता है। अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कही गयी।

दूसरी बात यह है कि उस पर अमल करने वाले जो राज कर्मचारी हैं, उनको दोष दिया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब कभी किसी का कोई दोष बताया गया क्या उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई ? मैंने यह कभी क्लेम नहीं किया कि राज-कर्मचारी कभी गलती नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कही जाती है कि कमेटी बना दी जाय। मुझे यह कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, सन् १९५४-५५ में रेवेन्यू की स्टैंडिंग कमेटी इसके लिये एक-एक दिन बैठी और उसमें इस विषय पर बहस करवायी गयी। एक-एक विषय पर एक-एक घंटा

[श्री चरणसिंह]

बहस हुई और इस विषय पर एक दिन बहस हुई। तय किया गया कि नहीं, यह अधिकार रहना चाहिये। मैंने फिर उसको दूसरे साल के लिये रख दिया और दूसरे साल फिर उन्होंने कहा कि इसको रहने दीजिये।

तीसरी बात यह कि सन् १९५६ में फिर सारे कलेक्टरों से इसके बारे में ओपीनियन मंगवाई गयी। ४२ ने इसके हक में अपनी ओपीनियन दी और ५ ने इसके विरोध में। इसके बाद ६ तजुर्बेकार कलेक्टरों को यहां बुलवाया और बस्ती और देवरिया के दो पुराने एम० एल० एज० को बुलवाया और उन्होंने मीटिंग में यह पास किया कि इस अधिकार को रहना चाहिये। इसके बाद कमिश्नर्स की कान्फ्रेन्स हुई, उन्होंने भी बहुत गौर करने के बाद यह कहा कि यह अधिकार रहना चाहिये नहीं तो पुराने रेकार्ड्स से कन्फ्यूजन हो जायगा। लिहाजा कमेटी की जरूरत नहीं। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन यह निश्चय करता है कि लेखपालों को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार तुरन्त समाप्त किया जाय। साथ ही खसरे में कैफियत के खाने में काबिज आदि दर्ज करने का नियम भी समाप्त कर देने के लिये एक समिति बनायी जाय और उसके सुझाव के अनुसार कार्य किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में---३७,
विपक्ष में---९८।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२१ अगस्त, १९५८।

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उतर पीछे पृष्ठ ६८५ पर।)

तालिका

ट्रेड का नाम	भर्ती किये गये छात्रों की संख्या	भर्ती किये गये परिगणित छात्रों की संख्या	भर्ती किये गये बैकवर्ड छात्रों की संख्या
१--मोल्डिंग शाप	९	२	३
२--मशीनिस्ट	९	१	३
३--इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर	८	..	३
४--मिल राइट	६	..	२
५--ब्लेक स्मिथी	९	..	९
६--वेल्डिग	१०	३	४
७--वायरमैन	६	१	१
	५७	७	२५

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

एच० बी० टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर के सभी विषयों में सन् १९५७–५८ में भर्ती किये गये विद्यार्थियों की सूची

विषय	भर्ती किये गये छात्रों की संख्या बैकवर्ड तथा परिगणित सहित सन् १९५७–५८	परिगणित जातियों के छात्र	पिछड़ी जातियों के छात्र
१--पोस्ट डिप्लोमा कोर्स--			
(१) आयल केमेस्ट्री एन्ड टेक्नालाजी ..	१५	..	..
(२) केमिकल टेक्नालाजी एन्ड जेनेरल रिसर्च ..	९	..	..
(३) केमिकल इंजीनियरिंग ..	१६	..	२
२--फैलोशिप--			
(१) आयल केमिकल एन्ड टेक्नालाजी ..	..	..	..
(२) केमिकल इंजीनियरिंग एण्ड जेनेरल रिसर्च ।	१	..	..
३--पी-एच० डी०--			
आरगेनिक केमिस्ट्री	..	..	..
.. कुल योग ..	४१	..	२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद में आग लगने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

आग के लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझवाई गई। आग सब से पहले लगभग १ बजे रात में देखी गई। प्रातः कल होते ही अधीक्षक ने इसकी सूचना सरकार तथा एकाउन्टेन्ट जनरल को दी। आग से हुए नुकसान का ठीक-ठीक अनुमान करने तथा असावधानी के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को दंड देने के लिए विभागीय जांच की गई। जो चार कर्मचारी इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के विषय पर भी विचार किया जा रहा है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर).

जिला बस्ती के नियोजन विभाग में कर्मचारियों की सूची

क्रम सं०	पद का नाम	संख्या	हरिजनों की संख्या
१	खण्ड विकास अधिकारी	११	..
२	सहायक विकास अधिकारी	४६	..
३	ग्राम साथी	१२२	३
४	लिपिक	७०	..
५	जिला संगठक प्रान्तीय रक्षक-दल	१	१
६	मैकेनिकल इंसपेक्टर	१	..
७	खंड संगठक, प्रान्तीय रक्षक-दल	२२	..
८	बोरिंग मैकेनिक	५	..
९	चपरासी तथा अन्य ..	४८	१२
	योग ..	३२६	१६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९५ पर)

रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

१--स्टाक और स्टाक रजिस्टर ठीक तरीके से नहीं रखे गये ।

२--भंडार का बहुत-सा सामान सरकार के आदेशानुसार दामों में कमी करके तथा नीलाम द्वारा बिकवाया गया फिर भी काफी पुराना सामान शेष है ।

३--स्टोर में स्थान की अत्यन्त कमी है । वस्तुओं का पूरा विवरण नहीं है । इस बात पर स्पेशल मैनेजर को ध्यान देना चाहिये ।

४--स्पेशल मैनेजर ने कोई इन्सपेक्शन रेकर्ड नहीं किया और न दूसरे अधिकारी ही इन्सपेक्शन कर रहे हैं ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर)

सुझाव	कार्यवाही
१--बुन्देलखंड में सड़कों की कमी है। अतः यातायात के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक सड़कें इस क्षेत्र में बनाई जांय। साथ ही यह भी कहा गया कि एक सड़क ऐसी बनाई जाय जिसको मध्य प्रदेश के भिंड शहर से मिला दिया जाय तथा इसके लिये पुल का भी प्राविधान किया जाय कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि ललितपुर में पर्याप्त रूप में सड़कें नहीं हैं।	सुझाव का प्रथम प्रस्तर विचाराधीन है।
२--इस संबंध में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया कि माधोपुर की सड़क जिसके लिए ग्रामवासियों ने लगभग ५०,००० रुपया जमा कर दिया है, अब तक पूरी नहीं की गई है।	जहां तक द्वितीय प्रस्तर का प्रश्न है, इस संबंध में जांच करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि माधोपुर की सड़क लगभग पूरी हो चुकी है। ग्रामवासियों द्वारा जमा की गई कुल धनराशि ५०,२९४ रुपये में ४७,८५६ रुपये व्यय किया जा चुका है और केवल २,४३८ रुपये ही शेष है।
२--यह सुझाव दिया गया कि अल्प-बचत योजना को सहकारिता आन्दोलन के साथ इस तरह मिश्रित कर दिया जाय कि जो लोग अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत रुपया जमा करना चाहें उन्हें इसके लिए दूर डाकघरों में न जाकर पास की सहकारी समितियों अथवा सहकारी बैंकों में ही अपना हिसाब रखने की सुविधा दी जाय।	अल्प-बचत योजना को सहकारिता आंदोलन के साथ मिश्रित करने के संबंध में उचित आदेश सहकारिता विभाग से जारी कर दिये गये हैं।
३--एक सदस्य ने इस संबंध में यह भी कहा कि झांसी डिवीजन में सहकारिता के आन्दोलन में लगभग १२ लाख रुपया जमा किया गया है। अतः यह उचित होगा कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये यहां पर नियोजन विभाग द्वारा कोई विशेष प्राजेक्ट ली जाय अथवा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये ही अनुदान की विशेष धनराशि दी जाय।	बुन्देलखंड में पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए एक योजना जिसका अनुमानित व्यय १,३४,२५,५०० रुपये है, सरकार के विचाराधीन है।
४--वर्षा के न होने के कारण पाठा एरिया में सब सूखा पड़ गया है और इस क्षेत्र में बन्धियों के बनाने के लिए उचित अनुदान दिया जाय।	इन सुझावों के संबंध में बांदा जिले में पाठा व चित्रकूट क्षेत्र की एक योजना जिसका अनुमानित व्यय ३७ लाख रुपया है राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विचाराधीन हैं।
२--तालाबों को और अधिक गहरा कर दिया जाय जिससे वे सिंचाई के काम में भी आ सकें।	पाठा क्षेत्र में तीन कुंएं बनाने के लिये ७०,००० रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

सुझाव	कार्यवाही
५—तालबेहट तहसील में लोहे का तथा जखोरे में पीतल के उद्योग-धन्धे चालू करने का प्रबन्ध किया जाय ।	जहां तक लोहे के उद्योगधन्धे का प्रश्न है, मौरानीपुर प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में लोहे के उद्योग में भी प्रशिक्षण दिया जाता है और जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् इस उद्योग को सफल बनाने के हेतु आर्थिक सहायता से प्रोत्साहित किया जायगा पीतल के उद्योगधन्धे के संबंध में अभी निकट भविष्य में कोई केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।
६—बहुत सारे क्षेत्रों में आवश्यकता न होते हुए भी अलहर का बीज पहुंचा कर बटवाया गया । फलस्वरूप ग्राम-सेवकों को इस बीज के उठाने में बहुत परेशानी हुई और उन्हें घाटा सहना पड़ा ।	यह गत वर्ष का मामला है । इस वर्ष जिला नियोजन अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि जिस बीज के क्षेत्रों में आवश्यकता हो वही बीज उस क्षेत्र में भेजा जाये ।
७—झांसी जिले में ऐसे उद्योग-धन्धे आदि चलाये जांय जिनके लिए कच्चा माल जैसे ऊन आदि वहां मिल सके ।	झांसी जिले में चमड़े का काम, दरी बनाना, लोहे का काम, कम्बल बनाना, बुनाई, दर्जीगीरी तथा बढ़ईगीरी के केन्द्र चालू हैं । जहां तक ऊन के योग का संबंध है, मौरानीपुर केन्द्र में दो केन्द्र कम्बल बुनाई, रंगाई तथा छपाई के चालू थे । परन्तु चूंकि इन केन्द्रों की उपयोगिता समाप्त हो गई, अतः इन्हें अब बन्द किया जा रहा है ।
८—कहीं-कहीं कृषि विभाग द्वारा ग्रामसेवकों को बीज बांटने की जिम्मेदारी दी गई है जिसके कारण ग्राम-सेवक अपने अन्य कार्यों को सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं और कार्य में अड़चन पड़ता है ।	इस संबंध में सहायक विकास आयुक्त, झांसी ने अपने अन्तर्गत सभी जिला नियोजन अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि भविष्य में ग्राम-सेवकों को उनके निर्धारित कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं सौंपा जावेगा ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

१ जून, १९५८ तक राज्य आयोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता का विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	विकास मद		ऋण	अनुदान	योग
१	कृषि-कार्यक्रम	..	९९७.७८	६९.०५	१०६६.८३
२	राष्ट्रीय प्रसार एवं सामुदायिक योजनाएं	..	१४७.०६	१५८.९९	३०६.०५
३	सिंचाई तथा बिजली योजनाएं	..	६६४.००*	..	६६४.००
४	उद्योग	..	११६.३४	८.२५	१२४.५९
५	समाज सेवाएं	..	३५६.१४	३५६.७८	७१२.९२
६	विविध	..	..	३.५०	३.५०
७	विविध विकास योजनाएं	..	६२५.००	..	६२५.००
	कुल योग	..	२९०६.३२	५९६.५७	३५०२.८९

*इसमें रिहन्द बांध के लिये २१०.०० लाख रुपये के लागत की सज्जा के रूप में मिला ऋण भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर नीचे पृष्ठ ७०१ पर)

सन् १९५७ में विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो दंड दिये गये उनका विवरण

क्रम-संख्या	विभाग	कर्मचारियों की संख्या						
		जो अदालत से दंडित हुये	जो नौकरी से अलग किये गये	जो पदावनत किये गये	जिनकी वेतन वृद्धि रोकी गई	जिनका सत्य-निष्ठा का प्रमाण पत्र रोका गया	जिनकी चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल उल्लेख किया गया	जिन्हें अन्य दण्ड दिये गये जैसे निन्दित करना, जुर्माना, मुअत्तली के समय का पूरा वेतन न देना आदि आदि ।
१	राजस्व विभाग ..	..	..	१२	५२	..	..	..	१५३
२	गृह (पुलिस) विभाग	..	४	९८	१५६	४	१९३	१६४	४४
३	उद्योग विभाग ..	..	..	२	..	..	..	..	..
४	स्वायत्त शासन विभाग	..	..	..	..	१	..	..	..
५	वित्त विभाग ..	..	..	१	..	..	४	..	१
६	न्याय विभाग ..	..	..	..	..	१	..	..	..
७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	..	..	२	..	४	..	..	९
८	गृह (कारागार) विभाग	..	..	१	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	विभाग	कर्मचारियों की संख्या							
		जो अदालत से दंडित हुये	जो नौकरी से अलग किये गये	जो पदावनत किये गये	जिनकी वेतन वृद्धि रोकी गई	जिनका सत्य-निष्ठा का प्रमाण-पत्र रोका गया	जिनकी चरित्र-पुस्तिका में प्रतिकूल उल्लेख किया गया	जिन्हें अन्य दण्ड दिये गये जैसे निन्दित करना, जुर्माना, मुअत्तली के समय का पूरा वेतन न देना आदि-आदि
९	वन विभाग	..	..	..	..	१	७	..	..	२
१०	श्रम विभाग	..	..	..	१	..	..	..	..	..
११	सिंचाई विभाग	..	..	१	१	१	५	..	..	३
१२	पंचायत राज विभाग	..	१	१	..	१ सत्य निष्ठा का प्रमाण पत्र भी रोक लिया गया तथा चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल उल्लेख किया गया ।	१ चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल उल्लेख भी किया गया ।	..	..

१३	पशुपालन विभाग	१	२ .. .. ..
			चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल उल्लेख भी किया गया तथा मुअत्तली की अवधि को ड्यूटी में शामिल नहीं किया गया। एक व्यक्ति से सरकारी नुकसान का मूल्य भी वसूल किया गया।

टिप्पणी—उपर्युक्त विवरण में निम्नलिखित विभागों की सूचना सम्मिलित नहीं है—

(१) राजस्व विभाग के अधीन राजस्व परिषद् एवं भूमि सुधार कार्यालय तथा इन्टीग्रेटेड कलेक्शन योजना,
(२) वित्त (व्यय नियंत्रण ३) विभाग,
(३) परिवहन विभाग,
(४) नियोजन विभाग (विकास आयुक्त).
(५) शिक्षा विभाग,
(६) कृषि विभाग,
(७) सहकारिता विभाग।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३३ एल० ए०—१९५८—८३७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा